

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

**SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF**

**4th
LOK SABHA DEBATES**

[सातवां सत्र]
[Seventh Session]



[खंड 24 में अंक 1 से 10 तक हैं]
[Vol. XXIV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 24 फरवरी, 1969/5 फाल्गुन, 1890 (शक)

No. 6, Monday, February 24, 1969/Phalgun 5, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
121. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. ..	1—7
123. मूल्य वृद्धि	Rise in Prices ..	7—9
124. कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Cochin Refinery ..	9—12
125. गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये गये रूसी ऋण	Soviet Credit to the Private Sector ..	12—13
126. पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains under P.L. 480 ..	13—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
122. ईरान से एमोनिया का आयात	Import of Ammonia from Iran ..	19
127. महाराष्ट्र में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in Maharashtra ..	19—20
128. देश में शीत लहर के कारण मौतें	Deaths due to Cold Wave in the Country ..	20—21
129. नेपाल से चीनी का चोरी छिपे भारत लाया जाना	Smuggling of Sugar from Nepal into India ..	21
130. उड़ीसा में बाढ़ और तूफान से क्षति	Damage due to Flood and Cyclone in Orissa	21—22

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
131. पांडिचेरी में आयात में जाल-साजी	Import Racket in Pondicherry ..	22—23
132. निर्यातकों द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों से मिल जुल कर सीमा शुल्क वापसी के लिये झूठे दावे किया जाना	Bogus Claims of Drawbacks by Exporters in league with Customs Officials ..	23—24
133. कनाट प्लेस, नई दिल्ली	Connaught Place, New Delhi ..	24
134. लक्कदीव के अधिकारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Officials of Laccadives ..	24—25
135. सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का वेतन के साथ विलय	Merger of Dearness Allowance with Pay of Government Employees ..	25
136. महाराष्ट्र में कृषि कार्यों के लिये बिजली की दरों में सहायता	Subsidy for Electricity Rates for Agricultural Purposes in Maharashtra ..	25—26
137. सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली का स्थानान्तरण	Shifting of Safdarjang Airport, New Delhi ..	26
138. जोरहाट में उर्वरक सार्थ समूह	Fertilizer Complex in Jorhat ..	26
139. कृषि में प्रयोग में आने वाले ईंधन के लिये राज सहायता	Subsidising of Fuel for Agricultural Use ..	27
140. प्रत्यक्ष करों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	A.R.C. Report on Direct Taxes ..	27—28
141. टाटा उर्वरक परियोजना	Tata Fertilizer Project ..	28
142. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Willingdon Hospital, New Delhi ..	28—29
143. 'टैनेको' के साथ तट दूर ड्रिलिंग सम्बन्धी करार	Off-shore Drilling Agreement with TENNECO ..	29
144. तट-दूर समुद्र में ड्रिलिंग	Off-shore Drilling ..	30
145. सीमा शुल्क सहायक समाहर्ता (असिस्टेंट कलक्टर, कस्टम्स) कोचीन	Assistant Collector of Customs, Cochin ..	30

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

146. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा पत्रों पर लिया जाने वाला बिक्री कर	Sales Tax charged by U. P. Government on Examination Papers ..	31
147. आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Oil Refinery in Assam ..	31
148. पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में प्रसूति, परिवार नियोजन केन्द्र तथा सरकारी अस्पताल	Maternity and Family Planning centres and Government Hospitals in Pauri-Garhwal (U. P.) ..	31—32
149. श्री मून्धड़ा का ब्रिटेन में अपने एजेंट को पत्र	Shri Mundhra's Letter to his Agent in U.K.	32
150. भाखड़ा परियोजना के कर्म-चारियों की छंटनी	Retrenched Employees of Bhakra Project ..	32—33

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

760. सर्वप्रिय सहकारी गृह निर्माण समिति	Sarvapriya Cooperative House-Building Society ..	34
761. सर्वप्रिय सहकारी गृह निर्माण समिति	Sarvapriya Cooperative House-Building Society ..	33
762. सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के प्रतिवेदन	Reports of I and P Ministry ..	34
763. मंत्रालय के प्रकाशन	Publications of the Ministry ..	34—35
764. श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई और उनकी फर्मों को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to Shri Kantilal Morarji Desai and his Firms ..	35
765. अनुसंधान तथा विकास डिवीजन सिन्दरी	Research and Development Division Sindri..	35—36
766. गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र का समन्वित विकास	Coordinate Development of Ganga-Brahmaputra Basin	36—37
768. जीवन बीमा निगम द्वारा लगाये धन पर ब्याज	Interest charged on LIC Investments ..	37—38
770. बड़े नगरों में मकानों तथा भवनों के निर्माण पर व्यय	Expenditure on Construction of Houses and Buildings in Big cities ..	38
771. आय-करदाता	Income Tax Assessees ..	38—39

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
772. दिल्ली कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी फ़ेडरेशन लिमिटेड	Delhi Cooperative House Building Society Federation Ltd. ..	39—40
773. केरल के उद्योगों को औद्योगिक वित्त निगम के ऋण	Industrial Finance Corporation Loans to Industries of Kerala ..	40
774. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सैक्शन आफिसरों के वेतन क्रम	Pay Scales of Sectional Officers in C.P.W.D.	40—41
775. बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देना	Employment of unemployed Engineers ..	41
776. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरी सेवाओं के लिये भर्ती के नियम	Recruitment Rules for Engineering Services in C.P.W.D. ..	41—42
777. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा भूमि विकास कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध निम्न- लिखित सतर्कता के मामले	Vigilance Cases Pending against Employees of C.P.W.D. and Land Development Office ..	42
778. अल्मोड़ा जिले में रानीखेत से मासी तक बिजली ले जाना	Extension of Electricity to Masi from Ranikhet in Almora District	42—43
779. औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation ..	43
780. नर्स जांच आयोग का प्रतिवेदन	Nurses Enquiry Commission's Report	43—45
781. उद्यान विभाग के कर्मचारियों को निजी काम में लगाना	Use of Employees of Horticulture Directorate for Private Work ..	45—46
782. कृषि ऋण निगम	Agricultural Credit Corporation ..	46—47
783. चण्डीगढ़ में मिट्टी के तेल की कमी	Paucity of Kerosene Oil in Chandigarh	47
784. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज	Medical College of Banaras Hindu University	47—48
785. चिकित्सा कालेज को पीलामेडू से कोयम्बटूर ले जाना	Change in Location of Medical College from Peelamedu to Coimbatore ..	48
786. निम्न आय वर्ग के लिये सस्ते मकानों का निर्माण	Construction of cheap houses for low income Group ..	48—49
789. पूंजी निर्गम	Capital Issues ..	49

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

790. महाराष्ट्र में दीर्घकालीन सिंचाई योजना को स्थगित करना	Dropping of long term Irrigation Schemes in Maharashtra ..	50
791. महाराष्ट्र में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in Maharashtra ..	50
792. चिकित्सा पाठ्यक्रमों में संशोधन	Revision of Medical Course ..	50—51
793. राज्यों में सिंचाई की सुविधाएं	Facilities for Irrigation in States	51
794. उत्तर प्रदेश में बहु प्रयोजनीय तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाएं	Multi-purpose and Major Irrigation Projects in U. P. ..	51—52
795. फरक्का बांध का निर्माण	Farakka Barrage	52—53
796. उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें	New Electricity Rates in U. P. ..	53
797. लक्कदीव द्वीपसमूह में सरकारी भवनों का निर्माण	Construction of Government Buildings in Laccadive Islands ..	53—54
798. मेडिकल कालिजों में लक्कदीव के विद्यार्थियों के लिए स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats for Laccadive Students in Medical Colleges ..	54—55
799. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income of States and Union Territories ..	55—56
800. व्यास बांध पुनर्वास समिति	Beas Dam Rehabilitation Committee	56—58
801. लुबरिजोल इण्डिया लिमिटेड	Lubrizol India Ltd.	58
803. ग्रामीण क्षेत्रों में चलते फिरते बैंक	Mobile Banks in Rural Areas ..	59—50
804. कानपुर मेडिकल कालिज	Kanpur Medical College	59
806. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कार्यों के बारे में संसद् सदस्यों की शिकायतें	Complaints of M.Ps. Regarding Affairs in Willingdon Hospitals, New Delhi ..	59—60
807. राज्यों द्वारा साधनों का बढ़ाया जाना	Raising of Resources by States ..	60—61
808. उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक को पंजाब में उर्वरक कारखाने की स्थापना हेतु ऋण	Loan to Shri Biju Patnaik, ex-Chief Minister of Orissa for Setting up a Fertilizer Factory in Punjab ..	61

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
809. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance to Central Government Employees ..	61—62
810. उड़ीसा में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें	Major and Medium Irrigation Projects in Orissa ..	62
811. तेल समवायों के साथ करार	Agreements with Oil Companies ..	62—63
812. राज्यों द्वारा पूंजी की अदायगी	Capital Repayment by States	63—64
813. आसाम में पेट्रो कैमिकल सार्थ समूह	Petro-Chemicals Complex in Assam ..	64—65
814. सरकारी अस्पताल, जिला पौड़ी गढ़वाल	Government Hospital in District Pauri Garhwal ..	65
815. पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में गुन्थी चौरा बांध	Gunthichhora Dam in Pauri Garhwal (U.P.)	65
816. तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Smugglers	66
817. अनर्ह चिकित्सा व्यवसायिकों को सीमित व्यवसाय के लिए अनुमति	Permission to non-qualified Medical practitioners for Restricted Practice ..	66
818. 'पी' फार्म का जारी किया जाना	Issue of 'P' Form ..	67—68
819. नगर निगमों के लिए रिवाल्विंग निधि	Revolving Fund for Municipal Corporations	68
820. भारत नेपाल सीमा पर वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of goods on Indo-Nepal Border ..	68—69
821. फरक्का बांध में दरार	Cracks in Farakka Barrage Piers	70
822. भारत से बाहर चोरी छिपे चांदी ले जाना	Smuggling of Silver out of India	70—71
823. पौड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में आयकर देने वाले व्यक्ति	Persons Assessed to Income tax in Pauri Garhwal (U. P.)	72
824. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य का अनुमान	Assessment of working of O. and N. G. C. ..	72—73
825. कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	Cochin Refineries Ltd.	73
826. आसाम में केन्द्रीय डिपो	Central Depot in Assam ..	73—74

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

827. करनाल (हरियाणा राज्य) में बलात वैसेक्टॉमी आपरेशन	Forced Vasectomy Operations in Karnal (Haryana State)	..	74—75
828. जनपथ, नई दिल्ली स्थित कई मंजिल की इमारत में दुकानों का आवंटन	Allotment of shops in Multi Storeyed Building at Janpath, New Delhi	..	75
829. पंजाब में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in Punjab	..	75—76
830. राज्यों द्वारा विनियोजन	Investments by States	..	76
831. विदेशी धर्म प्रचारकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Foreign Missionaries	..	76
832. साबुन पर लेबल लगाना	Labels on Soap	..	77
833. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में सब इंस्पेक्टर	Sub-inspectors in Central Excise Department	..	77—78
834. ग्रामीण क्षेत्रों में होमियोपैथी के औषधालय	Homeopathic Dispensaries in Rural Areas..		78
835. गुजरात और आसाम में तेल के लिए स्वामिस्व के बारे में प्रधान मंत्री का निर्णय	P. M's. Award on Royalty for Oil in Assam and Gujarat	..	79
836. रवीन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली	Rabindra Rangshala, New Delhi	..	79—80
837. भारतीय तेल निगम	Indian Oil Corporation	..	80
838. नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में दुकानों का आवंटन	Allotment of shops in Chanakyapuri, New Delhi	..	81
839. बाढ़ के सम्बन्ध में चेतावनी देने का केन्द्र	Flood Warning Centres	..	81—82
841. चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में चलते फिरते अस्पताल	Mobile Hospitals in Rural Areas during Fourth Year Plan	..	82
842. दिल्ली नगर निगम द्वारा आवंटन की नीति निर्धारित न किए जाने के कारण किराए पर न चढ़ाए गए फ्लैट	Flats untenanted due to lack of Allotment Policy by DMC	..	82—83
843. टाटा उर्वरक कारखाना	Tata Fertilizer Project	..	83
844. सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन	Violation of Customs Rules	..	84

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

845. विदेशी तेल समवायों को हुआ लाभ	Profit earned by Foreign Oil Companies ..	84
846. मैसर्स किलाचन्द देवीचन्द एण्ड कम्पनी को दिया गया ऋण	Loans given to M/s Kilachand Devichand and Co. ..	84—85
847. विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Rules ..	85
848. महात्मा गांधी के हत्या स्थल पर स्मारक का निर्माण	Construction of a memorial for Mahatma Gandhi at the place of Assassination ..	85—86
849. ग्रीन तथा ब्लैक चाय का स्तर	Standards for Green and Black Teas	86
850. भाखड़ा और ब्यास नियंत्रण मण्डलों के निदेशकों की समिति	Committee of Directors of Bhakra and Beas Control Board	86—87
851. मीठापुर में टाटा उर्वरक परि-योजना	Tata Fertilizer Project at Mithapur ..	87
852. दिल्ली प्रशासन की उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नीति	Delhi Administration's Excise Policy ..	88
853. बम्बई और गुजरात के तटों के निकट माल का तस्करी व्यापार	Smuggling of Goods near Gujarat and Bombay Coasts ..	88—89
854. भारत का यूनिट ट्रस्ट	Unit Trust of India ..	89—90
855. हरियाणा को सहायता अनुदान	Grant-in-aid to Haryana ..	90—91
856. केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान द्वारा जनांकिकीय अनुसन्धान	Demographic Research by Central Family Planning Institute ..	91
857. विटामिन की गोलियों की देश से बाहर तस्करी	Smuggling of Vitamin pills out of India ..	92
858. स्टेट और रिजर्व बैंक के कर्म-चारी	Employees of State and Reserve Banks ..	92—93
859. यूनाइटेड प्रोविन्सिज कर्माश्रित कार्पोरेशन को सड़क कूटने के इंजन सप्लाई करने के लिए अग्रिम धन की अदायगी	Payment of Advance for Supply of Road Rollers to UGCC ..	93

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
860. मंत्रियों के निवास स्थानों के बिजली तथा पानी के बिल	Water and Electricity Bills in respect of Ministers' Residences ..	93—94
862. चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त करना	Abolition of Export Duty on Tea ..	94—95
863. भूतपूर्व मन्त्रिमण्डल सचिव द्वारा प्रस्तुत जीवन बीमा और सामान्य बीमा के बारे में प्रतिवेदन	Report of life Insurance and General Insurance submitted by Former Cabinet Secretary ..	95
864. मिट्टी के तेल के लाइसेंस प्राप्त व्यापारी	Licenced Dealers in Kerosene oil ..	95—96
865. गोरखपुर में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory, Gorakhpur ..	96
866. मन्त्रियों के विदेशों के दौरे	Ministers's Visits Abroad ..	96
867. चुंगी वापसी जांच समिति का प्रतिवेदन	Draw Back Inquiry Committee's Report ..	97
868. नौसैनिक तथा असैनिक जहाजों के कर्मचारियों द्वारा लाये जाने वाले माल पर सीमा शुल्क	Customs Duty on Goods Brought by Crew of Naval and Civilian Ships ..	97
869. भारतीय चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान करने के लिये स्वायत्तशासी परिषद्	Autonomous Council for Research in Indian System of Medicine ..	98
870. पोटेशियम उर्वरक तैयार करने के लिये नमक का उपयोग	Utilization of Salt for Manufacturing Potassium Fertilizers ..	98—99
871. उर्वरकों की खपत तथा उनका उत्पादन	Consumption and Production of Fertilizers..	99
872. सिंदरी के अनुसंधान तथा विकास विभाग का विस्तार	Expansion of Research and Development Wing at Sindri ..	99
873. नैफ्था का आयात	Import of Naphtha ..	99
874. ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाली तेल सम्बन्धी परियोजना	Project for Transformer Oil Production ..	100
875. गंगा नदी के पानी के दूषित होने सम्बन्धी आयोग	Ganges Water Pollution Commission ..	100

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

876. जीवन बीमा निगम के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Administrative Reforms Commission's Report on Life Insurance Corporation ..	101—101
877. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी सहायता की आवश्यकता	Requirement of Foreign aid for Fourth Plan ..	101
878. भारत तथा नेपाल के बीच तस्कर व्यापार	Smuggling between India and Nepal ..	102
879. तृतीय वेतन आयोग	Third Pay Commission ..	102
880. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के नई दिल्ली कार्यालय में सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold in IAC Office, New Delhi..	102—103
881. चम्बल जल विद्युत परियोजना से मध्य प्रदेश में भूमि की सिंचाई	Irrigation of land in Madhya Pradesh from Chambal Hydro-Electric Project ..	103
882. गुजरात में पेट्रोलियम रसायन निगम	Petro Chemical Corporation in Gujarat ..	103—104
883. कपाडिया परिवार द्वारा किलिक उद्योग समूह को अपने अधिकार में लिया जाना	Taking over of Killick Group of Industries by Kapadia Family ..	104—105
884. गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) अधिनियम	Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 ..	105
885. उत्तरी बंगाल में बाढ़ समस्या सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Flood Problems in North Bengal ..	105—107
886. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय (दिल्ली) से फाइलों की चोरी	Files Stolen from Central Excise Office, Delhi ..	107
887. तारा गृह निर्माण सहकारी समिति, नई दिल्ली	Tara House Building Co-operative Society, New Delhi ..	107
888. विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति	Foreign Exchange Position ..	108
889. भूतपूर्व मंत्रियों की ओर बिजली के बिलों की बकाया राशि	Arrears of Electricity Dues from Ex-Ministers	108—199

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
890. केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन	Central Government Hospitals Enquiry Committee's Report ..	109
892. पी० एल० 480 की निधियों का प्रभाव	Impact of P. L. 480 Funds ..	109—111
894. रसायन उद्योगों की कार्य प्रणाली	Working of Chemical Industries	111
896. मोती बाग II में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय	C. G. H. S. Dispensary in Moti Bagh II, New Delhi ..	111—112
897. दक्षिण मोती बाग के निवासियों के लिये सुविधाएं	Amenities for Residents of South Moti Bagh ..	112—113
898. तम्बाकू उत्पादकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Tobacco Growers ..	113
899. कोसी बाढ़ नियन्त्रण उपाय	Kosi Flood Control Measures ..	113—114
900. गांवों में बिजली की व्यवस्था सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee of Members of Parliament on Rural Electrification ..	114
901. बिहार के दरभंगा जिले में मधुबनी सबडिवीजन के गांवों में बिजली लगाने की योजना	Rural Electrification Scheme in Madhubani Sub-Division of Darbhanga District ..	114—115
902. चौथी योजनावधि के दौरान जनसंख्या नियन्त्रण उपाय	Population Control Measures during Fourth Plan Period ..	115—117
903. आसाम में मिट्टी के तेल की कमी	Scarcity of Kerosene Oil in Assam ..	117
904. आसाम में प्राकृतिक गैस का जलाना	Burning of Natural Gas in Assam ..	117—118
905. उर्वरक की नई किस्मों का उत्पादन	Production of New Varieties of Fertilizers ..	118
906. अशुद्ध तेल को नाहरकटिया से बरौनी ले जाने पर प्रभार	Charges for Transport of Crude Oil from Naharkatia to Barauni ..	118—119
907. विदेशी ऋण	Foreign Loans ..	119—120
908. उत्तर प्रदेश में पौड़ी गढ़वाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Pauri Garhwal, U. P. ..	120

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

909. चौथी योजना अवधि में उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधाएं	Irrigation Facilities in Uttar Pradesh during Fourth Plan ..	121
910. वर्ष 1967-68 में उत्तर प्रदेश में गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Uttar Pradesh ..	121
911. डी० आई० जैड० क्वार्टर	D. I. Z. Quarters, New Delhi ..	121—122
912. पेंशन	Pensions ..	122
913. पेंशन भोगी लोगों को राहत	Relief to Pensioners ..	123
914. आयुर्वेदिक अथवा एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में नये अनुसन्धान	New Researches in Ayurvedic or Allopathic System of Medicine ..	123—124
915. नई दिल्ली तथा पुरानी दिल्ली में सड़कों और पार्कों को सुन्दर बनाने की योजना	Scheme for Beautification of Roads and Parks in New and Old Delhi ..	124
916. नई दिल्ली में विजय घाट का निर्माण	Construction of Vijay Ghat, New Delhi ..	124
917. सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance Paid to Government Servants ..	125
918. उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income of U. P. ..	125—126
919. वर्ष 1968 में शेयरों से प्राप्ति	Yield of Scrips in 1968 ..	126
920. पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश के वीरखाज तथा अन्दारगांव में अस्पताल	Hospitals at Veerkhaj and Andargaon at Pauri Garhwal (U. P.) ..	126
921. मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Dodsal (P) Ltd. ..	127
922. अमरीका के निकसन प्रशासन द्वारा विदेश सहायता में कमी की जाना	Reduction in Foreign Aid by Nixon Administration ..	127—128
923. कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाना	Rationalisation of Tax Structure ..	128
924. विदेशी वस्तुओं की घोषणा	Declaration of Foreign Goods ..	128—129
925. बैंकिंग आयोग	Banking Commission ..	129—130

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
926. यूनानी चिकित्सा प्रणाली के लिये शुद्ध पाठ्यक्रम तैयार करना	Formation of Sudha Syllabus for Unani System of Medicines ..	130
927. अस्पतालों में पृथक शल्य चिकित्सा एकक खोलकर शल्य चिकित्सा के स्तर को बढ़ाना	Raising of Surgery by Creating Separate Surgical Units in Hospitals ..	130—131
928. नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि	Provident Fund for NDMC Employees ..	131
929. पांचवां वित्त आयोग	Fifth Finance Commission ..	132
930. चौथी पंचवर्षीय योजना में पेय जल के लिये धन का नियोजन	Allocation of Funds for Drinking Water in Fourth Plan ...	132—133
931. स्वामिस्व, तकनीकी शुल्क तथा लाभांश की राशि विदेश भेजना	Remittances of Royalties, Technical Fees and Dividends ..	133—134
932. चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों पर पूंजी निवेश	Investment on Fertilizers during Fourth Five Year Plan ..	134—135
935. दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बिजली की सप्लाई का बार-बार बन्द हो जाना	Frequent Failure of Power Supply Delhi, Bombay, Calcutta and Madras ..	135—136
936. डाकियों के माध्यम से गर्भ निरोधक सामग्री का बेचा जाना	Selling of Contraceptives through Postmen ..	136
937. भारतीय तेल निगम द्वारा आयोजित नारेबाजी प्रतियोगिता	Slogan Competition held by Indian Oil Corporation ..	136
938. नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र का रम्य बनाया जाना	Beautification Scheme of NDMC ..	137
939. पचास लाख रुपए की अधिक आय वाली कम्पनियां	Companies with Income above Rs. 50 Lakhs ..	137
940. दस लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति	Persons with Income above Rs. 10 Lakhs ..	138
941. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में नियुक्तियों के नियम	Rules Re : Recruitment in FACT Ltd. ..	138—139

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

942. पश्चिम बंगाल के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to West Bengal ..	139
943. उर्वरक निगम दुर्गापुर को बिजली का सम्भरण	Supply of Power to Fertilizer Corporation at Durgapur ..	140
945. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा विवाह प्रयोजनों के लिये समाज सदनों का प्रयोग	Use of Samaj Sadans by Central Government Employees for Marriage Purposes ..	140—141
946. विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को मकानों का आवंटन	Allotment of Accommodation to Government Servants in various Grades ..	141—142
947. नेपाल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं	Projects undertaken by CPWD in Nepal ..	142
948. सरकारी क्वार्टरों के नियतन में भेदभाव	Discrimination in Allotment of Government Accommodation ..	142—143
949. मैसर्स कैपिटल फाइनेंस आफ इंडिया	M/s Capital Finance of India ..	144
950. केरल राज्य को सहायता	Assistance to Kerala State ..	144
951. बाढ़ नियंत्रण पर परिसंवाद	Symposium on Flood Control ..	145
952. कर्जन रोड होस्टल, नई दिल्ली	Curzon Road Hostel, New Delhi ..	145—147
953. परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना तथा ग्रामों के लिये दी जाने वाली राशि का उचित उपयोग	Popularisation of Family Planning Programme and Proper Utilisation of Money Granted for Villages ..	147
954. नई दिल्ली नगरपालिका के प्रांगण में लगे हुए पेट्रोल पम्प को हटाना	Removal of Petrol Pump located in N. D. M. C. compound ..	147—148
955. विश्व स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारियों द्वारा मुद्रा की जालसाजी	Indulgence in Currency Exchange Racket by W. H. O. Staff ..	148
956. उत्तर बंगाल में बाढ़ पीड़ित लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Flood Victims in North Bengal ..	148—149

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
957. अधवाड़ा नदी समूह की बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई योजना	Flood Prevention-cum-Irrigation scheme of Adhwara Groups	149
958. दरभंगा मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Surgical Department of Darbhanga Medical College	150
959. पश्चिमी कोसी नहर	Western Kosi Canal	150
अतारांकित प्रश्न संख्या 5694 दिनांक 26 अगस्त, 1968 के उत्तर में शुद्धि सम्बन्धी वक्तव्य	Statement Correcting reply to No. USQ 5694. dated August 26, 1968	150—151
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
मिजो विद्रोहियों द्वारा सुरक्षा सैनिकों पर हमला	Attacks by Mizo Rebels on Security Forces	151—154
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 154—159
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक—	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for Presentation of Report of Joint Committee	.. 159—160
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	.. 160—184
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	.. 160—161
श्री अ० कु० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	.. 161—165
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	.. 166—167
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	.. 167—170
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	.. 170—172
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	.. 172—175
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	.. 175—177
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	.. 177—178
डा० महादेव प्रसाद	Dr. Mahadeva Prasad	.. 178—180

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री वि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	.. 180—181
श्री भोला नाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master	.. 181—183
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohammed Imam	.. 183—184
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—	
उत्तर कोरिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore to North Korea	184
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	.. 184—186
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	.. 186—189

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 24 फरवरी, 1969/5 फाल्गुन, 1890 (शक)
Monday, February 24, 1969/Phalguna 5, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
MR. SPEAKER in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

+
*121. डा० सुशीला नैयर :

श्री दे० अमात :

श्री गु० च० नायक :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की स्थापना से लेकर अब तक, अनियमितताओं, चोरी तथा स्टाक कम हो जाने के कारण प्रति वर्ष कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इसके कार्य-संचालन में त्रुटियों का पता लगाने तथा उनको सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चट्वाण):

(क) जुलाई, 1963 में भारत सरकार ने कम्पनी के जारी शेयर पूंजी के आधे से अधिक अंश का अर्जन किया। तब कम्पनी का वार्षिक लाभ/हानि निम्नप्रकार है :

1963-64	12.51 लाख रुपये शुद्ध लाभ
1964-65	48.63 लाख रुपये शुद्ध हानि
1965-66	69.85 लाख रुपये शुद्ध हानि
1966-67	43.46 लाख रुपये शुद्ध लाभ
1967-68	19.60 लाख रुपये शुद्ध लाभ

अनियमितताओं, चोरी तथा स्टॉक कम हो जाने के कारण उपर्युक्त हानि में से कितनी हानि हुई; इस बारे में यदि कोई सूचना है, तो वह तुरन्त उपलब्ध नहीं है। इसको निश्चित किया जा रहा है और जब प्राप्त होगी तब सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(ख) और (ग). उत्पादन में कमी के कारणों को जानने और उत्पादन एवं दक्षता में सुधार लाने के लिये सरकार ने संयन्त्रों के कार्य-संचालन की जांच के लिए जनवरी, 1968 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया। अध्ययन दल ने अप्रैल, 1968 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कई तकनीकी सिफारिशों की गई थीं। इनको कार्यान्वित किया जा रहा है। सही कार्यवाही करने के परिणाम स्वरूप, 1968 के द्वितीयार्ध में 21,672 मीटरी टन नाइट्रोजन के रूप में उत्पादन सुधार हुआ जबकि उक्त वर्ष के पूर्वार्ध में 11,290 मीटरी टन उत्पादन था।

डा० सुशीला नैयर : क्या मैं जान सकती हूँ कि इन कारखानों में पूर्ण क्षमता से उत्पादन अभी कितना कम है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : गत वर्ष उत्पादन कुल क्षमता का 60 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

डा० सुशीला नैयर : इसका अर्थ यह हुआ कि इन कारखानों की 40 प्रतिशत क्षमता का अब भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्या मैं जान सकती हूँ कि सरकार को यह निश्चय करने में कितना समय लगेगा कि ये कारखाने पूर्ण क्षमता तक कब तक कार्य कर सकेंगे क्योंकि नए कारखाने स्थापित करने की अपेक्षा ऐसा करना अधिक मितव्ययिता पूर्ण होगा और हमें देश में उर्वरकों की बहुत आवश्यकता है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जैसा कि मैंने मुख्य उत्तर में कहा है कि सरकार ने श्री शर्मा की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जिसने वहां जाकर कारखानों की कठिनाइयों को देखा, अध्ययन के परिणामस्वरूप उन्होंने रख रखाव तथा कार्य-संचालन के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशों की हैं। इन कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप, जैसा कि मैंने अपने उत्तर के आखिरी भाग में कहा है, उत्पादन बढ़ा है। मुख्य कठिनाई विद्युत-शक्ति की कम सप्लाई है.....

श्री वासुदेवन नायर : परन्तु अब नहीं।

श्री ए० श्रीधरन : यह नहीं थी।

श्री दा० रा० चह्वाण : मुख्य कठिनाई विद्युत-शक्ति की सप्लाई के बारे में हैं जिसने गम्भीर कठिनाइयां पैदा कर दी हैं।

श्री ए० श्रीधरन : चूंकि डा० त्रिगुण सेन ने कार्य-भार संभाल लिया है, मुझे आशा है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में फैली अव्यवस्था को दूर किया जायेगा क्योंकि डा० सेन एक ईमानदार व्यक्ति हैं और प्रलोभनों से दूर रहते हैं। मैं फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में हो रहे अपव्यय का अनूठा उदाहरण दूंगा। 29 जुलाई, 1968 के

अतारांकित प्रश्न संख्या 1404 के उत्तर में, जो कि इस संस्था के अधिकारियों द्वारा केवल दिल्ली की यात्रा सम्बन्धी व्यय के बारे में था, यह कहा गया था कि 1967-68 में यह 1,33,000 रुपये था। जनवरी से जून, 1968 तक यह 89,000 रुपये है। आश्चर्य की बात है कि ये अनुमानित आंकड़े हैं। यह अजीब प्रक्रिया है। देश के इस सर्वोच्च प्रभु सत्ता सम्पन्न सभा में प्रश्न पूछे जाते हैं परन्तु एक मामूली प्रबन्ध निदेशक राष्ट्र की संसद् को गुमराह करने का प्रयत्न करता है, उन्होंने उत्तर देने में तीन महीने लगाये और उनका उत्तर है कि यह अनुमानतः 1.33 लाख रुपये है, यह अनुमानित आंकड़े भी 12,000 रुपये प्रति महीने आता है। ये सब बातें संसद् सदस्यों द्वारा पेश किये गये ज्ञापन में उल्लिखित हैं और इस पर जांच करने का अनुरोध किया गया है। अभी सभा में जांच प्रतिवेदन को पेश किया जाना है, मैं जानता हूँ कि कोई इसे रोक रहा है, मैं अभी उन बातों का उल्लेख नहीं करूँगा क्योंकि वे ऐसी बातें हैं जिनसे राष्ट्र की संसद् का अपमान होता है। मैं दो विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा। इस सभा की निरंतर उपेक्षा की जा रही है। इस देश की संसद् द्वारा पूछे गये प्रश्नों की निरंतर उपेक्षा हो रही है और यह मामला भी मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया और यह निर्बल मंत्रालय हर समय ऐसे प्रश्नों पर अपनी स्वीकृत दे देता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है क्योंकि हमने ज्ञापन में यह दिया है कि इस संस्था से सम्बन्धित प्रश्नों की जो कि संसद् में पूछे जाते हैं, निरंतर उपेक्षा की जाती रही है। सरकार ने अपव्यय को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं? मैंने इस सभा में एक आरोप लगाया था कि 'अंकटाड' प्रतिनिधिमण्डल के सम्मान में एक जलपान का आयोजन किया गया था और जिसमें लाखों रुपया व्यय किया गया परन्तु 'अंकटाड' के एक भी प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार ने इस अपव्यय को रोकने तथा समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं। इस फर्म को संसद् में पूछे गए प्रश्नों की उपेक्षा न करने के बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं?

श्री दा० रा० चह्वाण : इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे सहयोगी को, जिनके पास पहले इस विभाग का कार्य-भार था, जो ज्ञापन प्रस्तुत किया था उसमें ये आरोप दिये गये हैं, जिनका कि माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया। मंत्रालय ज्ञापन के प्राप्त होने के बाद इस पर जांच कर रहा है। पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के सचिव वहां गये और लगाए गए आरोपों की जांच की। वे कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे हैं जिनकी संख्या लगभग 27 हैं। अत्यधिक व्यय के बारे में, जिसका कि मेरे माननीय मित्र ने हवाला दिया है, मंत्रालय के सचिव इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अत्यधिक व्यय पर उचित नियंत्रण होना चाहिए, जहां तक ज्ञापन में उल्लिखित अन्य मामलों तथा आरोपों का सम्बन्ध है, मंत्रालय के सचिव इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसमें कोई विशेष सार नहीं था.....

श्री ए० श्रीधरन : इसकी स्वतंत्र जांच करवाइये, हम आपकी जांच का महत्व नहीं देते हैं। 'अंकटाड' के प्रतिनिधि-मण्डल को दिए गए जलपान के बारे में पूछे गये प्रश्न का क्या हुआ? वे उस प्रश्न का उत्तर दें। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय उस प्रश्न का विशेषतः उत्तर दें.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने नाम लेने में भूल की है। श्री ए० श्रीधरन को बुलाने से पूर्व मुझे दो और सदस्यों को बुलाना चाहिए था, श्री दे० अमात ।

श्री ए० श्रीधरन : कम से कम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए ।

श्री नम्बियार : उस प्रश्न के एक भाग का उत्तर दिया गया है इसका पूरा उत्तर दिया जाना चाहिए ।

श्री दे० अमात : मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने इस प्रकार के व्यय के लिये किन्हीं अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया है । और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार के समक्ष क्या बाधाएं हैं ?

श्री दा० रा० चह्माण : कोई जिम्मेवारी निर्धारित नहीं की गई है । मंत्रालय के सचिव इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ज्ञापन में उल्लिखित कुछ अधिकारियों, जैसे प्रबन्ध निदेशक, के विरुद्ध आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और लगाये गये आरोपों का कोई आधार नहीं है । मैंने अभी लगाए गए विशिष्ट आरोप का उत्तर दिया है । अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ई० के० नायनार : मंत्री महोदय ने अर्जित लाभ के बारे में प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखकर कृपा की है । यह बताता है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा धन का दुरुपयोग किये जाने के परिणामस्वरूप लाभ घटकर 23.86 लाख रुपये रह गया है । सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन मात्रा में कम हो गया है । 1966-67 में इसका उत्पादन 1, 28, 045 मीट्रिक टन से कम होकर अब 1,20,107 मीट्रिक टन रह गया है । मांग अधिक होने पर भी उत्पादन कम हो गया है । प्रबन्ध निदेशक ने एक प्रचार एजेंट को नियुक्त किया और पूर्ण एजेंसी अपने प्रियजनों को दे दी । जहां तक मैं जानता हूं कि प्रचार एजेंट को 1968 में 18,000 रुपये कमीशन दिया गया । साथ ही एक कमीशन एजेंट की नियुक्ति की गई और उसको 1968 में 35,000 रुपये दिये गये । प्रचार और कमीशन एजेंटों को प्रति वर्ष कुल 53,000 रुपये दिये गए । इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि मांग बहुत अधिक है, उत्पादन कम हो गया है । साथ ही 87 नए पदों का निर्माण किया गया, जिनपर 1,000 रुपयों से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है । 331 पदों का मजदूरी और वेतन पहले के 10,78,000 रुपयों की तुलना में 26,59,149 रुपये हो गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति गठित की जायेगी ? यह संस्था सरकारी क्षेत्र में है और इसमें सरकारी धन लगा हुआ है । इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को घाटा होता है । आज डा० त्रिगुण सेन इस मंत्रालय का कार्यभार संभाले हुए हैं परन्तु कल वे वहां भी नहीं हो सकते हैं । अतएव हम जानना चाहते हैं कि क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के पूर्ण कार्य संचालन की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाएगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : इस मामले में मैंने दो पत्र पढ़े हैं। पांच छः संसद सदस्यों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें सरकार का ध्यान कुछ अपव्यय की ओर दिलाया गया है। दूसरे एक तकनीकी समिति का प्रतिवेदन है, जो कि ब्योरे पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। हम यह स्वीकार करते हैं कि वहां अपव्यय हुआ था.....

श्री ए० श्रीधरन : क्या उन्होंने इसके लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया है?

डा० त्रिगुण सेन : निदेशक मंडल को यह सुझाव दिया गया है कि इन सब मामलों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाए जो यह देखे कि अपव्यय रोका जाता है..

श्री ए० श्रीधरन : यह उसी निदेशक-मंडल को सौंपा गया है जो स्वयं चोर हैं..

डा० त्रिगुण सेन : उनको कमियां ढूढ़ने और अपव्यय रोकने के लिए कहा गया था। यह भी वांछनीय पाया गया था कि पूर्णकालिक वित्तीय निदेशक नियुक्त किया जाये।

मैंने तकनीकी समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है और मैंने विचार किया कि मुझे वहां स्वयं जाना चाहिए। वहां कार्यसंचालन तथा रखरखाव सम्बन्धी कई तकनीकी कठिनाइयां हैं जिनकी जांच की जानी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि संसदीय समिति किसी बात का पता लगा सकती है.....

श्री ए० श्रीधरन : मैं जानता हूँ कि प्रवबन्ध निदेशक कांग्रेस को दान दे रहे हैं मैं जानता हूँ कि यह अधिकारी किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है। मैं सभा में यह बता सकता हूँ। मैं उदाहरण देकर बता सकता हूँ कि वे कैसे प्रभाव डाल रहे हैं। वे संसद और हम सबकी उपेक्षा कर रहे हैं..

श्री स० कुण्डू : फिर से वे इस ज्ञापन को उसी निदेशक मंडल को सौंप रहे हैं जिसके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। क्या वे निदेशक मंडल को बर्खास्त कर सकते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर इतने अधिक सदस्य उठकर जोर से बोलना शुरू कर दें, तो मंत्री महोदय उत्तर कैसे दे सकते हैं। उनको एक-एक करके बोलना चाहिए।

डा० त्रिगुण सेन : मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता है। मैं अपव्यय की जांच करूंगा और साथ में तकनीकी त्रुटियों जहां तक कार्य संचालन और रख-रखाव का सम्बन्ध है, की भी जांच करूंगा। अगर और कुछ करना है, तो आपको सूचित करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : The guilty should be punished.

श्री एस० आर० दामानी : निदेशकों के प्रतिवेदन के अनुसार इसके शोचनीय कार्य का मुख्य कारण यह था कि गत वर्ष में कारखाने की सप्लाई अनियमित थी। इस तथ्य को देखते हुए कि इस कम्पनी का विस्तार किया जा रहा है, मंत्री महोदय ने यह सुनिश्चित करा लिया है कि बिजली तथा अन्य सामानों की नियमित रूप से तथा उचित सप्लाई की जाएगी अथवा वे

बिजली तैयार करने के लिये एक जेनरेटर लगाने का विचार कर रहे हैं ताकि कारखाना पूर्ण क्षमता पर उचित ढंग से कार्य कर सके ?

डा० त्रिगुण सेन : कई दोषों की ओर ध्यान दिया जा रहा है और हम पूर्ण मामले की जांच कर रहे हैं ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : एक वर्ष अथवा डेढ़ वर्ष पूर्व भारत सरकार के कहने पर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उद्योग-समूह के संगठन सम्बन्धी काम, उत्पादन मिश्रण, वस्तु सूची (इंक्वेंटरी) नीति और सामान्य काम की जांच करने के लिये टी०वी० ए० से एक विशेषज्ञों का दल बुलाया गया था । इन विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं । इसके कार्य-संचालन तथा मंत्री महोदय की इस स्वीकारोक्ति को देखते हुए कि अपव्यय तथा अकुशलता है, टी० वी० ए० के दल की सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है ? इसकी एक मुख्य सिफारिश यह थी कि ट्राम्बे तथा अन्य स्थानों में स्थित एफ० ए० सी०टी० और एफ० सी० आई० उद्योग-समूह में पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशक होने चाहिए । मंत्री महोदय ने कहा है कि एक और समिति इसकी जांच कर रही है । टी० वी० ए० दल की सिफारिशों का क्या हुआ और क्या उनके लागू किये जाने की संभावना है ? क्या भ्रष्टाचार और अपव्यय के पूर्ण मामले को संसद की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को सौंपा जायेगा ?

डा० त्रिगुण सेन : मैंने यह नहीं कहा है कि इस मामले की जांच के लिये एक अलग समिति बनाई जा रही है । निदेशक-मंडल से अपव्यय का पता लगाने और उसे रोकने के हेतु एक छोटी समिति बनाने के लिये कहा गया था, सरकार ने क्रियाशील निदेशकों के बारे में सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । वास्तव में इस कारखाने में पूर्णकालिक वित्तीय निदेशक की आवश्यकता है । इसको भी स्वीकार कर लिया गया है ।

श्री रंगा : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को सौंपने के बारे में क्या उत्तर है ? यह आप स्वयं कर सकते हैं ।

डा० त्रिगुण सेन : यह लोक लेखा समिति नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You can refer the matter to them, if you so desire. The Hon. Minister may agree to it or not.

डा० त्रिगुण सेन : अगर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति इस बारे में विचार करती है, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करती है, निश्चय ही वे इस पर भी विचार कर सकते हैं । इसको कोई रोक नहीं सकता ।

श्री पे० वेंकटसुब्बया : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि अपव्यय के अलावा 40 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता अभी तक उपयोग नहीं की गई है क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इसके

कारणों, चाहे वे यान्त्रिक, परिचालन अथवा प्रबन्ध सम्बन्धी कमियां हैं, का पता लगाया गया है ? यदि हां, तो वे क्या हैं और अब तक प्रयोग में न लाई गई क्षमता को उपयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : जैसा कि कहा गया है कि तकनीकी समितियों की कई सिफारिशें थीं । कुछ उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं । उत्पादन को 11,290 मीट्रिक टन से बढ़ाकर पहले ही 21,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है । अन्य उपचारात्मक कार्यवाहियां भी की गई हैं । चूंकि यह मामला सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को सौंपा जा रहा है अतएव मुझे आशा है कि वह सारे मामले पर विचार करेगी ।

Rise in Prices

+

*123 **Shri Bal Raj Madhok :**

Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Shri Bharat Singh Chauhan :

Shri Hem Raj :

Shri Brij Bhushan Lal :

Shri Jagannath Rao Joshi :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Shri Suraj Bhan :

Shri Ranjit Singh :

Shri Raghuvir Singh Shastri :

Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is much discontentment among the workers and Government employees as a result of rise in prices ; and

(b) if so, the steps taken by Government to reduce and stabilise the prices ?

The Minister in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). There has been no increase in prices over the year and the general level of prices today is about 2 per cent lower than the last year's level. Government, however, keeps the price situation under continuing review with a view to maintaining price stability. The measures taken towards this end include efforts to raise agricultural and industrial production, the adoption of suitable fiscal and monetary measures, the maintenance of a system of public distribution of essential commodities of mass consumption and regulation of distribution and prices of essential commodities in appropriate cases.

Shri Balraj Madhok : It is true that the price index today is lower than the last year's level. But to say that the prices have been stabilised is not correct. The price index today is 207.2 as compared to 100 in 1953. The consumer price index for the working class is 218 today. According to the statistics of the Reserve Bank the real wages of Government employees today are less than those in 1953. If it is a fact, I want to know whether Government propose to take any steps to remove the discontentment prevailing among the Government employees ? If they cannot be given need-based wages immediately may I know whether any other facilities—like cheap houses, conveyance allowance, facilities for children's education—are proposed to be provided to them and if so, whether a committee including representatives of the Government employees also will be constituted for the purpose ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : The suggestion which he has given will rather contribute to increase in prices and not lower them.

Shri Balraj Madhok : When Government is not in a position to give need-based wages, what is the difficulty in providing other amenities ?

Shri Morarji Desai : These also involve money.

Shri Balraj Madhok : At the Indian Economic Conference held in Hyderabad recently, deep concern was expressed about the constantly rising prices. One of their suggestions was to ban deficit financing altogether. Some other suggestions were also given. What is the reaction of the Government thereon ?

Shri Morarji Desai : Government do take them into account. I cannot say anything about deficit financing just now because the Budget is going to be presented on the 28th.

Shri Hem Raj : The prices are first raised by public sector undertakings. Then other people raise their prices, the increase given to the employees is offset by the simultaneous increase in prices. What steps are being taken to check such increase ?

Shri Morarji Desai : If the prices rise, there is a clamour to stop them and when they go down, again there is a clamour for raising them. First it should stop.

Shri Brij Bhushan Lal : The prices of other articles depend on the prices of foodgrains. When the prices of food grains are high naturally other article also cost more. We have so many times demanded the abolition of food zones so that the law of demand and supply may freely come into play. But it seems that the Food Minister is adamant about not abolishing these zones. Will the Hon. Minister try to prevail upon him to abolish these zones so that the prices of foodgrains and other necessities may come down ?

Shri Morarji Desai : The prices of foodgrains have gone down, though prices of coal have risen a bit. On the one hand, Hon. Members make a plea for raising the prices of foodgrains when ever they show a downward trend. On the other they demand more prices for the farm produce. There is contradiction between the two.

The Food Minister only acts in accordance with Government policy and therefore, there is no question of giving him any suggestion. In the present circumstances, it would not be wise to abolish food zones.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Presidential Address delivered on 17th February, mentions that the whole sale price index at present is 205 as compared to 211 last year. Today is 24th and the whole sale price index has gone to 207.2. The question is that the budget is going to be presented on the 28th, so some commodities have disappeared from the market under the fear of fresh taxation or their prices have gone up. Is the Hon. Finance Minister taking any effective steps to check their prices before the presentation of the Budget ?

Shri Morarji Desai : I do not know of any such step as yet. If he can suggest some such step, I shall be grateful to him.

Shri Suraj Bhan : Are Government thinking of providing necessities of life to their employees on subsidized rates through stores on the pattern of the practice once being followed by the Railway department ?

Shri Morarji Desai : That experiment did not prove useful and it is not worthwhile to try it again.

Shri Raghuvir Singh Shastri : It is for the first in the last 15 years that the Government has been able to say that the price index has fallen down by 2 per cent this year. My Hon. friend Shri Brij Bhushan Lal says that the prices of foodgrains are going up. But on the contrary, the prices of industrial goods are rising and those of agricultural commodities have declined by 40-50 per cent during one single year. In such circumstances, I would request the Finance Minister to try to step up industrial production and keep the prices of agricultural commodities at a fairly high level so that the farmers may remain contented.

Shri Morarji Desai : Till Hon. Members continue to say that the prices of foodgrains should be increased despite increase in production, the farmers will never feel contented. There is no doubt that the prices are on the high side and they should come down. As has been stated in reply to the question, the remedy to check the rising prices is to increase agricultural and industrial production. Efforts are now being made to increase industrial production and it is the proper remedy to check price rise.

Shri Ranjit Singh : Keeping this thing in view that the prices of foodgrains are likely to fall very much by appreciable increase in agricultural production, have Government fixed any lower limit beyond which the prices of foodgrains will not be allowed to fall and if not, what are the reasons thereof?

Shri Morarji Desai : Government have already fixed the minimum price and in case prices fall down beyond it, Government will themselves procure them and stock.

कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार

+

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| *124. श्री न० कु० सांघी : | श्री रामचन्द्र वीरप्पा : |
| श्री रा० रा० सिंह देव : | श्री य० अ० प्रसाद : |
| श्री चेंगलराया नायडू : | श्री जार्ज फरनेन्डीज : |
| श्री सीताराम केसरी : | |

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोचीन तेल शोधक कारखाने की क्षमता को 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 35 लाख मीट्रिक टन करने की योजना की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ;

(ग) विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) इस बारे में फिलिप्स पेट्रोलियम की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). शोधनशाला की क्षमता प्रति कार्य दिन 70,000 बैरल्स तक विस्तृत की जायेगी। ऐसा विस्तार कार्य 1972 के पूर्वार्ध में पूरा हो जायेगा।

(घ) फिलिप्स पेट्रोलियम इस विस्तार के लिए सहमत हो गया है।

श्री न० कु० सांघी : प्राक्कलन समिति ने कोचीन तेल शोधक कारखाने की स्थापना की बड़ी आलोचना की है। तेल साफ करने का काम शुरू होने से पहले ही स्थापना लागत 19 करोड़ रुपये से बढ़कर 28 करोड़ रुपये हो गई थी। यह भी कहा गया है कि फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के साथ हुए करार से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। क्या उन्होंने इस कम्पनी से इस बारे में बातचीत की है कि उन्हें इस कारखाने के विस्तार के लिये अतिरिक्त रायल्टी, सहयोग तथा तकनीकी फीस तथा अन्य लाभ नहीं मिलेंगे जो उन्हें इस करार के अन्तर्गत मिल रहे हैं ?

श्री दा० रा० चट्वाण : इस प्रश्न का उत्तर फिलिप्स पेट्रोलियम की प्रतिक्रिया के आधार पर दिया गया है। यह स्वाभाविक है कि इस मामले पर इस कम्पनी और भारत सरकार के बीच अवश्य ही बातचीत हुई है और उसके फलस्वरूप ही हम राजी हुए हैं। जिस बात की कड़ी आलोचना की गई है वह स्थापना करार का कोई प्रासेस मार्जिन खण्ड था और वह शर्त कड़ी शर्त समझी गई थी। यह इस धारणा पर किया गया था कि मूल्यों में उतार-चढ़ाव नहीं होगा। परन्तु उतार-चढ़ाव हुआ और फिलिप्स पेट्रोलियम से यह समझौता किया गया कि यह खण्ड स्थापना करार से हटाया जाना चाहिये।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि सरकार के साथ हुए पिछले करार में वे 1.30 डालर प्रति बैरल देने के लिये तैयार हो गये थे। यह अनावश्यक था और श्री के० दे० मालवीय ने यह करार किया। उन्होंने यह करार क्यों किया जबकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी ? क्या वे फिलिप्स पेट्रोलियम को इसे दान स्वरूप भेंट कर रहे थे ? उनका इरादा क्या था ? क्या यह सच है कि पुनरीक्षित करार में वे केवल 10 प्रतिशत लाभ देने के लिये राजी हुए हैं और 1.30 डालर सम्बन्धी खण्ड हटा दिया गया है ? यदि यह सच है तो क्या सरकार श्री मालवीय के पिछले सौदों के बारे में जांच करने के लिये एक न्यायिक समिति नियुक्त करेगी ?

श्री दा० रा० चट्वाण : इरादा क्या था मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो तथ्य बता सकता हूँ। इरादे का तो उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करके ही पता लगाया जा सकता है। यह मार्जिन प्रासेस खण्ड 1.35 डालर प्रति बैरल के लिये था। यह दस वर्ष तक के लिये था। बाद में इसे घटाकर 1.30 डालर कर दिया गया। अब इसे हटा दिया गया है और उन्हें केवल 10 प्रतिशत लाभ मिलने की सम्भावना है।

श्री रंगा : यह करार किया ही क्यों गया था, इसका उत्तर नहीं दिया गया है। यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो वे जांच करके बाद में बता सकते हैं। दोनों ही इस मंत्रालय में नए आए हैं।

श्री दा० रा० चह्वाण : इस करार के पीछे इरादा क्या था मैं यह नहीं बता सकता हूँ । मैं तो तथ्य ही बता सकता हूँ और तथ्य यह है कि यह करार किया गया था ।

श्री रंगा : श्री मालवीय ने ऐसा केवल अपनी निजी जिम्मेदारी पर नहीं किया था । हम जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में यह करार किया गया था । क्या माननीय मंत्री जांच करके हमें यह जानकारी देंगे ?

Shri Sitaram Kesri : Keeping in view the heavy loss suffered as a result of the agreement with M/S. Philips Petroleum, have Government again entered into any agreement with this firm to buy crude oil at 10% profit ? If so, Why ?

श्री दा० रा० चह्वाण : कोचीन तेल शोधन कारखाने में फिलिप्स पेट्रोलियम द्वारा लगाए गये धन पर 10 प्रतिशत रुपया दिया जायेगा । इस तेल शोधन कारखाने के एजेंट के रूप में, फिलिप्स पेट्रोलियम के द्वारा अशोधित तेल के आयात पर कमीशन आदि के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं । यदि मेरे माननीय मित्र एक पृथक प्रश्न की सूचना देंगे, तो मैं उनको वह जानकारी दे दूंगा ।

Shri George Fernandes : Setting up of Refineries in the Public Sector is welcome, though Refineries in the Private Sector have been pressing for giving them opportunity to increase their capacity. I want to know from the Hon. Minister in this connection that since Refineries in the Private Sector have been accused for so many years of indulging in profiteering in the sale of oil, petrol, diesel, kerosene etc., why the prices in Public Sector Refineries are increased instead of being reduced and what steps are going to be taken by Government to check it ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह प्रश्न मूल्यों से सम्बन्धित है । यदि मेरे माननीय मित्र इस प्रश्न का नोटिस देंगे तो हम इसका उत्तर दे सकेंगे ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : प्रश्न यह है कि फिलिप्स पेट्रोलियम के साथ हुआ मूल करार निश्चय ही देश के हितों के विरुद्ध था और पूर्ण रूप से हानिकारक भी था । अतः क्या विस्तार कार्यक्रम का लाभ उठाकर विशेषकर प्राक्कलन समिति द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने फिलिप्स पेट्रोलियम के साथ समझौते में संशोधन करने का प्रयत्न किया है जिसके अन्तर्गत न्यूनतम लाभ दिया जाये, जो 10 प्रतिशत से कम है ? जब सार्वजनिक क्षेत्र में तेल शोधन कारखानों को चार या पांच प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं होता है, तो इस कम्पनी को, विशेषकर प्राक्कलन समिति के सुझावों को देखते हुए दस प्रतिशत लाभ की अनुमति क्यों दी गई है ? इस करार में संशोधन करने के लिये क्या सरकार विस्तार-कार्यक्रम का लाभ उठायेगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जैसाकि मैंने पहले बताया कि फिलिप्स पेट्रोलियम को दिये जाने वाले मुनाफे के अन्तर सम्बन्धी शर्त का, जो निर्माण करार में उल्लिखित था, बातों की आलोचना लोक लेखा समिति ने की । लोक लेखा समिति के हस्तक्षेप के कारण फिलिप्स पेट्रोलियम के साथ

लम्बी वार्ता के पश्चात् इसका निदान हो गया है ? तब किये गए दस प्रतिशत लाभ के विषय में मैं समझता हूँ कि यह अनुचित नहीं है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : विस्तार कार्य-क्रम के लिए हम कितनी रायल्टी दे रहे हैं ?

श्री दा० रा० चट्वाण : जैसा मैंने कहा कि यह पूंजी का दस प्रतिशत है ।

श्री वासुदेवन नायर : प्रस्तावित विस्तार के कारण नैपथा की कितनी अतिरिक्त उपलब्धि होगी ? नैपथा की इस अतिरिक्त उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए क्या कोचीन में पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह की स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

श्री दा० रा० चट्वाण : नैपथा की अतिरिक्त उपलब्धि के बारे में मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता । इस तेल शोधन कारखाने की प्रतिदिन की क्षमता 53,000 बैरल से बढ़कर 70,000 बैरल हो जायेगी ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : 1.3 डालर प्रति बैरल के बारे में पूछे जाने पर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह नहीं जानते कि यह क्यों दिया गया है । सरकारी फाइलें तो होंगी । अतः मंत्री जी के “मैं नहीं जानता” कहने से क्या लाभ है ? कम से कम अब तो वे यह बता सकते हैं कि उन्होंने इसको क्यों छोड़ दिया था और क्या 10 प्रतिशत जो अब दिया गया है, 1.35 डालर की दर के बराबर है ?

श्री दा० रा० चट्वाण : लोक लेखा समिति ने इस धारा का विरोध किया था, इसीलिए लम्बी बातचीत के पश्चात् इसको हटा दिया गया था । इस विशेष करार को हमने क्यों किया, इसके क्या कारण हैं, यदि आदरणीय सदस्य नोटिस देंगे, तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा ।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फिलिप्स पेट्रोलियम लिमिटेड के सहयोग से कोचीन तेल शोधन कारखाने की बढ़ाई गई तेल शोधन क्षमता को आयातित अशोधित तेल से अथवा इस देश में उपलब्ध अशोधित तेल से, जैसे आसाम में, पूरा किया जायेगा ?

श्री दा० रा० चट्वाण : यह आयात किया जायेगा ।

गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये गये रूसी ऋण

+

*125. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री नरेन्द्र सिंह महोडा :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रूस से पूंजीगत माल के आयात के लिये भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र को माल उधार भेजने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या प्रस्ताव किया है और उसके सम्बन्ध में रूस की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रस्ताव भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये पूंजीगत माल की खरीद के लिये ऋण की एक निश्चित रकम निर्धारित करने के सम्बन्ध में था और इसके बारे में बातचीत हो रही है ।

श्री हिम्मतसिंहका : बातचीत कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : यह बताना कठिन है ?

श्री हिम्मतसिंहका : क्या सरकार रूस से ऋण के लिये अनुरोध करेगी ताकि उसके सहयोग से कुछ परियोजनाओं की स्थापना हो सके ?

श्री मोरारजी देसाई : इसके लिये ही तो बातचीत हो रही है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : रुपयों के इस निधि के प्रयोग अथवा रुपयों में भुगतान के आधार पर इस व्यापार के गलत तरीके के बारे में इस सभा में गत कुछ वर्षों में हमने अनेक शंकायें व्यक्त की थीं । मेरे माननीय मित्र श्री कंवरलाल गुप्त ने कुछ मशीनों सम्बन्धी मामले उठाये थे । कुछ मामले सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये गये हैं कि रूस और दूसरे समाजवादी देशों के एजेंट कुछ संस्थाओं को किस प्रकार वित्तीय सहायता दे रहे हैं । गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि वे इसकी जांच करेंगे और उसका प्रतिवेदन सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे । इन सब आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए रुपये में भुगतान करने के लिये भारतीय एजेंटों को उधार देने के लिये क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह तो रूस के द्वारा सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में पूर्ति-कर्ता को दिये गए ऋण के अन्तर्गत आ गया है । अतः यह कोई बिल्कुल नई बात नहीं है । यह विशेष रूप से इसलिये किया जाना है कि यदि गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये कोई विशिष्ट राशि नियत की जाती है, तो इन मामलों में विलम्ब न हों लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि यह काम एजेंट ही करेंगे । इस बारे में सावधान रहने का प्रयत्न करेंगे ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात

+

*126. श्री मुहम्मद इस्माइल : श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री उमानाथ :

श्री गणेश घोष : श्री श्रद्धाकर सुपकार :

श्री ई० के० नायनार : श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री नम्बियार : श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री सत्यनारायण सिंह : श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1968 में अमेरिका के साथ पी० एल० 480 के अन्तर्गत खरीदे जाने

वाले खाद्यान्नों के लिए किसी नए करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) निर्बाध विदेशी मुद्रा में कितने धन का भुगतान करना है ; और

(घ) इतनी अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (घ). एक विवरण जिसमें आवश्यक सूचना दी गयी है, सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). पी० एल० 480 के अन्तर्गत 23 लाख मेट्रिक टन अन्न और अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए 23 दिसम्बर, 1968 को एक नये पी० एल० 480 करार पर हस्ताक्षर किये गये थे । करार की मुख्य बातें ये हैं :—

- (i) करार का कुल मूल्य जिसमें 69 लाख डालर की अनुमानित भाड़े की रकम शामिल है 1671 लाख डालर है । इस करार के अन्तर्गत जिन वस्तुओं का आयात किया जायगा वे हैं : 23 लाख मेट्रिक टन अन्न, 90,000 मेट्रिक टन अखाद्य चरबी, 200 मेट्रिक टन तम्बाकू और 4,000 मेट्रिक टन दूध का पौडर ।
- (ii) 60 प्रतिशत आयात के लिए, भारत, रुपयों में अदायगी करेगा । बाकी 40 प्रतिशत आयात के लिए रुपयों में अदायगी नहीं की जायगी लेकिन आयात का यह भाग लम्बी अवधि के ऋण से पूरा किया जायगा जिसकी वापसी डालरों अथवा अन्य परिवर्तनीय मुद्राओं में की जा सकेगी ।
- (iii) 60 प्रतिशत आयात के सम्बन्ध में, जिसके लिए रुपयों में अदायगी की जानी है उस रुपये को बाद में इस तरह इस्तेमाल किया जायगा ; अर्थात् 66 प्रतिशत रुपये भारत सरकार को ऋणों के रूप में, 22 प्रतिशत रुपये भारत सरकार को अनुदान के रूप में, 5 प्रतिशत रुपये भारत में व्यवसाय करने वाली भारत-अमरीकी फर्मों को ऋणों के रूप में दिये जायेंगे और बाकी 7 प्रतिशत रुपये अमरीकी सरकार द्वारा भारत में किये जाने वाले खर्च के लिए इस्तेमाल किये जायेंगे ।
- (iv) 40 प्रतिशत आयात के सम्बन्ध में जिसका खर्च लम्बी अवधि के ऋण से पूरा किया जायगा, ऋण की रकम 40 वर्षों की अवधि में वापस की जानी है, जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है । उस अर्से में मूलधन की वापसी नहीं करनी पड़ेगी । ऋण पर पहले दस वर्षों में 2 प्रतिशत प्रति-वर्ष के हिसाब से और बाद के 30 वर्षों में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज लगेगा ।

(ग) मुक्त विदेशी मुद्रा में की जाने वाली अदायगी की रकम के ये दो भाग होंगे :—

(क) कुल आयात के 40 प्रतिशत भाग की अदायगी (जिसकी अदायगी लम्बी अवधि के ऋण द्वारा पूरी की जायगी) मुक्त विदेशी मुद्रा में 40 वर्षों की वापसी की अवधि में की जायगी ।

(ख) बाकी 60 प्रतिशत आयात के कारण जिसके लिए रुपयों में अदायगी की जानी है, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त होने वाली 71.62 करोड़ रुपये की रकम में से 2.87 करोड़ रुपया अमरीकी सरकार के अनुरोध पर डालरों या अन्य देशों की मुद्राओं में परिवर्तित किया जा सकेगा ताकि अमेरिका अन्य देशों में कृषि बाजार विकास तथा शिक्षा के आदान-प्रदान से सम्बन्धित कार्यक्रमों को चला सके ।

(घ) उपर्युक्त (ग) और (क) के अनुसार लम्बी अवधि के डालर ऋण के अधीन किये जाने वाले आयात के एक भाग की अदायगी की शर्तें पी० एल० 480 की शर्तों के अनुसार हैं, जिसमें स्पष्ट-रूप से यह व्यवस्था है कि स्थानीय मुद्राओं में किये जाने वाले विक्रय के स्थान पर डालरों में की जाने वाली बिक्री से सम्बन्धित परिवर्तन 1971 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि में धीरे-धीरे होगा । 2.87 करोड़ रुपये का अन्य देशों की मुद्राओं में हुआ परिवर्तन भी अमरीकी कानून की अपेक्षाओं के अनुसार है, जिसके अनुसार रुपयों में होने वाले विक्रय से सम्बन्धित करारों में 5 प्रतिशत के रूपान्तरण (कनवर्शन) की व्यवस्था की जाती है ।

Shri Mohammad Ismail : Before the conclusion of this new PL-480 Agreement, our Finance Minister has always been saying that there is no money and we are in trouble. And, then, after the devaluation of rupee, it was said that we should make purchases within the country's market and restrict our purchases abroad. Now this Agreement provides for long-term payments in dollars, instead of rupees. Even the Shipping charges, which have been increased by 50%, will also be paid in dollars. If these conditions were to be included in this Agreement, may I know whether the Government had considered their implications which has resulted in present difficulties?

Shri Morarji Desai : We have not concluded this agreement without giving a proper thought.

Shri Mohammad Ismail : That is why I want to know whether the prices of food-grains would increase or decrease if the payments, including the sea freight, is to be paid in dollars?

Shri Morarji Desai : The only question is whether we need to import foodgrains under PL-480, and if so, whether the terms and conditions laid down by them are acceptable to us or not. We have to consider both these aspects. They have a right to prescribe terms, and we have a right to reject. If there is a serious need, we have to import on the terms offered by them. Previously these terms were somewhat soft but now they are a bit hard. The reason is that they too wish that we should not import much foodgrains on account of those easy terms and that we should produce more foodgrains ourselves and that we should make efforts in that direction.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You are importing tallow.

Shri Morarji Desai : Yes, it is also imported for use in the manufacture of soap. It is better if we prepare it here but if shortage is there, we have to import it. We do not want to import foodgrains but after all the need has got to be met. Then the payment of this 40% in dollars is to be made in 40 years and not in two or three years.

श्री सी० के० चक्रपाणि : यह पता लगा है कि अमरीकी सरकार ने यह निश्चय किया है कि वर्ष 1972 के पश्चात् पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त अमरीकी सरकार चाहती है कि भारत अधिक से अधिक विदेशी गैर-सरकारी पूंजी स्वीकार करे। इसके प्रमाण में विश्व-बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की घोषणाओं को देखा जा सकता है। मेरे विचार से यह एक राजनैतिक दबाव है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस राजनैतिक दबाव का सामना करने के लिये सरकार का क्या कुछ करने का विचार है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं नहीं समझ पाता कि इस मामले में राजनैतिक दबाव से क्या अभिप्राय है। यदि हम कुछ लोगों को यहां अपनी ही बनाई शर्तों पर आने की अनुमति देते हैं, तो इस बारे में राजनैतिक दबाव नहीं होता। इन चीजों को लेने के लिये हमें कोई बाध्य नहीं करता। यदि हम ये चीजें अपनी सुविधा के लिये लेते हैं, तो हमें आपस में तय हुई शर्तों पर उन्हें लेना होगा। हम उन पर तो शर्तें नहीं लगा सकते। न हम पर कोई दबाव है और न उन पर।

श्री ई० के० नायनार : पहले प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि हम कोई करार नहीं कर पाये हैं। परन्तु भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के प्रकाशन का यह एक अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि—

“अमरीकी सरकार के पी० एल० 480 के अन्तर्गत वर्ष 1956 से अब तक भारत 9 करार कर चुका है। मार्च, 1966 तक हुए करारों के अन्तर्गत आयात की जाने वाली वस्तुओं का अधिकतम मूल्य 32836.2 लाख डालर अर्थात् 1,56,363 लाख रुपये है। इस डालर-राशि के समान मूल्य के रुपये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली में अमरीकी सरकार के खाते में जमा करा दिये जाते हैं। इन करारों के अन्तर्गत इस धनराशि का अधिकतम भाग आर्थिक विकास की स्वीकृत परियोजनाओं हेतु भारत सरकार को अनुदान देने के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। शेष धन-राशि अमरीका सरकार भारत में अपने उपयोग के लिये तथा भारत-अमरीकी संयुक्त संस्थानों को ऋण देने के लिये रख लेती है।”

मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि वह राशि हमारे खाते में है। यहां भारत सरकार का प्रकाशन कहता है कि यह धन राशि अमरीकी सरकार द्वारा अपने प्रयोग तथा भारत-अमरीकी संस्थानों व अपनी संस्थाओं को देने के लिये रख ली जाती है।

फिर, पिछले वर्ष मार्च, 1968 में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उप-प्रधान मंत्री ने कहा था कि भारत ने दो वर्षों में 75 करोड़ डालर के मूल्य का गेहूं आयात किया। पिछले दो वर्षों में

भारत ने 150 करोड़ डालर अर्थात् 1,200 करोड़ रुपये का गेहूं आयात किया। जब वह अमेरिका में थे तो सरकार ने अमरीकी सरकार से 70 लाख टन गेहूं के आयात की अपील की थी। फिर, भारत सरकार ने कहा कि हमारे यहां बहुत अच्छी फसल तथा बहुत अच्छी पैदावार हुई है और हम आयात नहीं करेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह अमरीकी दबाव है जिसके कारण वह अमरीका से गेहूं का आयात कर रहे हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे तो यह प्रश्न बिल्कुल समझ नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी भी समझ में नहीं आया।

श्री नम्बियार : वक्तव्य से ज्ञात होता है कि सरकार ने एक नया पी० एल० 480 करार कर लिया है तथा उस पर 23 दिसम्बर, 1968 को हस्ताक्षर हो गए थे। किन्तु मंत्री महोदय ने अभी कहा था कि उन्होंने कोई करार नहीं किया। आप, अतः उनके वक्तव्य की असत्यता को समझ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि उन्होंने करार किया है।

श्री नम्बियार : ठीक है। अब उन्होंने अपनी भूल सुधार ली है। करार का पूरा मूल्य 16 करोड़ 71 लाख डालर है तथा खरीदी जाने वाली वस्तुएं हैं—90,000 टन अभोज्य चर्बी, 200 टन तम्बाकू और 400 टन सूखा दूध। मैं पूछना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए क्या हमें तम्बाकू का आयात करना जरूरी है और क्या हम तम्बाकू के अपने ही उत्पादन से काम नहीं चला सकते, साथ ही क्या हम सूखे दूध के निर्यात को भी नहीं टाल सकते ? हम इन चीजों पर डालरों की इतनी बड़ी राशि व्यय नहीं कर सकते.....(व्यवधान) हम नहीं चाहते कि श्री पीलु मोडी अमरीका से सूखा दूध प्राप्त करें। हम उन्हें अपने ही देश से दे सकते हैं। मेरा आशय है कि सरकार स्पष्टीकरण दे.....(व्यवधान)

जब हमारे पास डालरों और विदेशी विनिमय की इतनी कमी है तो क्या हमें ऐसा करार करना चाहिए जिसकी शर्तों के अनुसार हमें 40 प्रतिशत राशि डालरों में अदा करनी पड़े। केवल इतना ही नहीं शेष 60 प्रतिशत राशि में से भी 2.57 करोड़ रुपये हमें डालरों में अदा करने होंगे। इसके अतिरिक्त जहाज भाड़ा भी हमें डालरों में देना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विदेशी मुद्रा की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसे करार को टाल नहीं सकती थी ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने वक्तव्य में पहले ही इस बात का उल्लेख कर दिया है कि जो 40 प्रतिशत राशि हमें डालरों में अदा करनी है वह 40 वर्ष में की जाएगी। हमें उसकी अदायगी तत्काल नहीं करनी है तथा पहले दस वर्षों में हमें भुगतान नहीं करना है। वक्तव्य में इन सब बातों का उल्लेख है।

अतः इन अपेक्षित वस्तुओं को प्राप्त करने का यह हितकर ढंग है। चूँकि हम अपने यहां पर्याप्त मात्रा में दुग्धचूर्ण नहीं बना पाते अतः हमें इसकी आवश्यकता है.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तम्बाकू के विषय में क्या है ?

श्री मोरारजी देसाई : एक ही समय में मैं सभी चीजों के बारे में उत्तर नहीं दे सकता।

अतः यह समझ लेना चाहिए कि इस दुग्धचूर्ण की हमें आवश्यकता है क्योंकि हमारे यहां इसकी कमी है। हम इस देश में दुग्धचूर्ण का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और जैसे ही इसका उत्पादन बढ़ जाएगा हम इसका आयात नहीं करेंगे। इसी का हम प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व भर से हमारा दूध का प्रति व्यक्ति उपभोग न्यूनतम है। अतः हमें जनता को दूध दुग्धचूर्ण के द्वारा ही देना है, अन्यथा उनकी पौष्टिकता में कमी आ जाएगी। इसी कारण इसकी आवश्यकता है।

जहां तक तम्बाकू का सम्बन्ध है हमें यहां के उत्पादन के लिए अपने तम्बाकू में मिश्रित करने हेतु उसकी आवश्यकता है। किन्तु हम अमरीका से जितने तम्बाकू का आयात करते हैं उससे कहीं अधिक मात्रा का हम उसे निर्यात करते हैं।

Shri Satya Narain Singh : Your reply to all the questions raised here is that you have no solution. You are unable to find solution of any one of the problems. I want to know whether the programme of importing foodstuffs under PL-480 is ever likely to come to an end or not?

Shri Morarji Desai : I am confident that there is every likelihood and that too will be very soon but if the Hon. Member is not convinced, I am helpless in the matter.

श्री नि० रं० लास्कर : हमारे कृषकों द्वारा अपनायी गई कृषि की आधुनिक प्रणाली के कारण देश में गेहूं का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत गेहूं मंगाने की क्या आवश्यकता है।

श्री मोरारजी देसाई : जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूं, कुछ समय के लिए हमें अपना रक्षित भण्डार बनाना है। रक्षित भण्डार बनाने के लिये ही यह आयात किया जा रहा है।

Shri Bhogendra Jha : In the background of food production in the country last year and the production for the current year as estimated by Government, the Government's plea in favour of the new PL-480 agreement is that it is necessary to import these foodgrains for building a buffer stock. If irrigation schemes like Rajasthan canal, Tungabhadra, Gandak and Western Kosi, are completed within a year by providing adequate funds, we will be able to increase production in our own country. It has been published in the newspapers of America that the production of foodgrains has become surplus there and they are not getting market for it. May I know whether it is a fact that the Government are importing the foodgrains in the name of building up the buffer stocks and are not trying to increase production in our own country because of that? So far as tobacco is concerned, is it a fact that we need not import tobacco

but American Government have imposed a condition on us that they would give us wheat or millet only when we purchase tobacco also from them.

Shri Morarji Desai : It is absolutely wrong.

श्री लोबो प्रभु : यह मानना होगा कि व्यापार की स्थिति में गिरावट आई है। पहले हमें 80 प्रतिशत मिलता था और अब 60 प्रतिशत मिलता है। मैं जानना चाहूंगा कि साम्यवादी देशों के प्रति हमारी नीतियां इस स्थिति के लिए कहां तक उत्तरदायी हैं। क्या अमरीका ने इस तर्क पर जोर दिया है अथवा कम से कम ध्वनित किया है कि क्योंकि हम साम्यवादी देशों को उधार दे रहे हैं अतः हमें उधार मिलने का कोई कारण ही नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ईरान से एमोनिया का आयात

*122. श्री द० रा० परमार :

श्री अदिचन :

श्री रा० की० अमीन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान की नेशनल पेट्रो-कैमिकल्स कम्पनी टाटा को उनकी मीठापुर परियोजना के लिये उन्हीं शर्तों पर जिनकी पेशकश एलाइड कैमिकल्स द्वारा की गई थी, एमोनिया सप्लाई करने के लिये सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) ईरान की नेशनल पेट्रो-कैमिकल कम्पनी ने तरल अमोनिया, फोस्फोरिक एसिड तथा सल्फर की सप्लाई के लिये एलाइड कैमिकल्स के उत्तरदायित्वों को उन्हीं शर्तों पर संभाल लेने की पेशकश की है।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

महाराष्ट्र में उर्वरक कारखाना

*127. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री मणिमाई जे० पटेल :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के सहयोग से महाराष्ट्र में एक उर्वरक कारखाना चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी तथा उसमें भारत और जापान का भाग क्या-क्या होगा, और अनुमानतः कितना उत्पादन होगा; और

(ग) कारखाने की स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है और महाराष्ट्र में किस स्थान पर यह कारखाना स्थापित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) महाराष्ट्र कोआपरेटिव फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स लि० का जापान के सहयोग से महाराष्ट्र में सोडा राख/अमोनिया क्लोराइड के संयन्त्र की स्थापना का प्रस्ताव है। विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

देश में शीत लहर के कारण मौतें

*128. श्रीमती इलापाल चौधरी :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री हरदयाल देवगुण :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक लोग, अधिकांशतः समाज के गरीब वर्गों के लोग, जिनके पास न तो झोपड़ी हैं न घर हैं और न ही रहने के लिये कोई और स्थान है और जिन्हें 'पटरियों पर रहने वाले लोग' कहा जाता है, हाल ही में समूचे देश में आई शीत लहर के कारण मरे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी मौतें हुई हैं, जिनके बारे में विभिन्न राज्यों से सरकार को अधिकृत सूचना मिली है;

(ग) सर्दी का मौसम आरम्भ होने से पहले और चालू शीत ऋतु में बेघर लोगों को सर्दी से बचाने के लिये यदि कोई व्यवस्था की गयी थी और कोई सुविधाएं दी गई थीं तो उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) इस काम पर केन्द्रीय सरकार ने सीधे और/या राज्यों के माध्यम से कुल कितनी धनराशि खर्च की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) झुग्गी-झोपड़ी सफाई योजना में उन शहरों और कस्बों में रैन-बसेरों के निर्माण की व्यवस्था है जहां पटरी पर रहने वाले लोगों की समस्या अत्यन्त जटिल है। इन रैन-बसेरों में

नाममात्र शुल्क लेकर सोने की जगह दी जाती है। दिल्ली, आगरा और अहमदाबाद में रैन-बसेरों की व्यवस्था की गई है।

(घ) रैन-बसेरों के निर्माण के लिये भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता झुग्गी-झोपड़ी सफाई योजना के अधीन विहित सहायता के स्वरूप के अनुसार दी जाती है। झुग्गी-झोपड़ी सफाई योजना के मई, 1956 में इस योजना के शुरू होने की तिथि से 31 मार्च, 1968 तक इसको कार्यान्वित करने के लिये, जिसमें रैन-बसेरों का निर्माण भी सम्मिलित है, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों को कुल 32 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

नेपाल से चीनी का चोरी छिपे भारत लाया जाना

*129. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल से भारत को चोरी छिपे लाई जाने वाली पोलैण्ड, रूस और चेकोस्लोवाकिया की कितनी चीनी पकड़ी गई तथा उसकी कीमत क्या थी और यह चीनी कुल कितनी अवधि में पकड़ी गई; और

(ख) इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जनवरी, 1968 से जनवरी, 1969 तक की अवधि में 3.14 लाख रुपये मूल्य की करीब 1,034 क्विंटल विदेशी चीनी नेपाल से तस्कर आयात की होने से पकड़ी गयी थी। इस चीनी में पोलैण्ड, रूस तथा चेकोस्लोवाकिया में बनी चीनी भी थी।

(ख) तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिये किये गये उपायों में अधिक महत्वपूर्ण उपाय हैं :—गुप्त-सूचना संग्रह की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है, निरोधक कर्मचारियों को अधिक संख्या में तैनात किया गया है और उनकी गतिशीलता में सुधार करने के लिए अधिक गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। परिणाम उत्साहवर्धक हैं, जो इस बात से प्रकट है कि 1968 की अन्तिम तिमाही में पकड़ी गयी सभी वस्तुओं का कुल मूल्य 9.7 लाख रुपया था जबकि 1968 की पहली तीन तिमाहियों में पकड़े गये माल का औसत मूल्य 5.3 लाख रुपया था।

उड़ीसा में बाढ़ और तूफान से क्षति

*130. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर और नवम्बर, 1968 में आई बाढ़ और तूफान से हुई क्षति की जांच करने के लिए एक केन्द्रीय दल उड़ीसा गया था;

(ख) क्षति के बारे में क्या अनुमान है तथा राहत-कार्यों के लिये कितने धन की आवश्यकता है;

(ग) इस उद्देश्य के लिये अब तक केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त राहत कार्यों के लिये अपनी योजना तथा गैर-योजना निधियों से भी कोई धनराशि खर्च की है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(च) अब तक राज्य सरकार ने राहत कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). उड़ीसा में अक्टूबर-नवम्बर 1968 में आये तूफान के बाद, विभिन्न राहत तथा पुनर्वास-कार्यों के संबंध में धन की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए नवम्बर 1968 में केन्द्रीय अधिकारियों का एक दल उड़ीसा गया था। क्षति के संबंध में किये गये मूल्यांकन के बारे में दल की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत सहित विभिन्न राहत और पुनर्वास कार्यों पर किये जाने वाले खर्च के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में ज्यादा से ज्यादा 5.33 करोड़ रुपये तक की रकम देना मंजूर किया है।

(ग) आवश्यक सहायता कार्य शुरू करने के लिये, अब तक राज्य सरकार को 2.50 करोड़ रुपये की रकम दी जा चुकी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(च) राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि 15 फरवरी, 1969 तक तूफान संबंधी राहत-कार्यों पर लगभग 2.4 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका था।

पांडिचेरी में आयात में जालसाजी

*131. श्री क० लक्ष्मण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 21 दिसम्बर, 1968 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित यह समाचार देखा है कि पांडिचेरी में पुलिस ने एक करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य की दुर्लभ अथवा प्रतिबन्धित उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में जालसाजी का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले से कितने व्यापारगृहों का सम्बन्ध होने का पता लगा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तथा कितने व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक की गई जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि पांडिचेरी की भूतपूर्व फ्रांसीसी सरकार ने, इस बस्ती के 1,11,54 को भारत में वस्तुतः

विलीनीकरण के पहले जो 'अधिकार-पत्र' जारी किये थे, उनके आधार पर सीमा-शुल्क निकासी परमिटों को प्राप्त करने के विषय में, संदिग्ध अनियमितताओं/अवैधताओं से सम्बन्धित मामलों में 32 कम्पनियां (फर्मों) ग्रस्त हैं।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 471 तथा 467 के साथ पठित धारा 120-ख, 420, 34 तथा 109 के अधीन, एक फर्म तथा उसके प्रबंधक भागीदार के खिलाफ मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी दिल्ली की अदालत में तथा शेष 31 फर्मों से सम्बन्धित 48 व्यक्तियों के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट, पांडिचेरी की अदालत में आरोप-पत्र दायर कर दिये गये हैं।

इन मामलों के सिलसिले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है।

दो अन्य फर्मों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आगे जांच-पड़ताल की जा रही है। इन मामलों की प्रवर्तन निदेशालय ने भी विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोण से जांच-पड़ताल की थी। जांच के बाद 34 मामलों में से 3 मामलों में कार्यवाही बंद कर दी गई क्योंकि उनमें कोई उल्लंघन सिद्ध नहीं होता था। विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम, के प्रथम-दृष्ट्या उल्लंघन के लिये 23 मामलों में 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये। इनमें से 2 मामलों में प्रवर्तन निदेशक द्वारा न्याय-निर्णय की कार्यवाही की जा चुकी है तथा कुल 3,20,000 रुपये का दण्ड लगाया गया है। 21 मामलों में न्याय-निर्णय की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है। शेष 8 मामलों में पूछ-ताछ जारी है।

आयकर के दृष्टिकोण से कर-अपवर्जन का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल की जा रही है।

निर्यातकों द्वारा सीमा-शुल्क अधिकारियों से मिल-जुल कर सीमा-शुल्क वापसी के लिये झूठे दावों का किया जाना

*132. श्री ए० श्रीधरन :

श्री पी० पी० एस्थोस :

श्री प० गोपालन :

श्री के० रमानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने एक जालसाजी का पता लगाया है जिसमें माल का निर्यात करने वाले व्यक्ति कुछ सीमा-शुल्क अधिकारियों से मिल जुल कर अपने द्वारा किये गये झूठे दावों के आधार पर सीमा-शुल्क वापसी के लिए आवेदन-पत्र दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार सीमा-शुल्क वापसी में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ;

(ग) इस मामले से कितने सीमा-शुल्क अधिकारी तथा कितनी फर्में सम्बन्धित हैं और उनके नाम क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार जाली निर्यात को रोकने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस जाल चक्र का पता तो बम्बई के सीमा-शुल्क गृह ने ही लगाया है। क्योंकि उन्हें सन्देह था कि सीमा-शुल्क विभाग के कुछ कर्मचारियों का इसमें हाथ है, तथा कुछ पूछताछ विदेशों में भी की जानी थी। इसलिये बम्बई सीमा-शुल्क गृह ने इस मामले में आगे की कार्यवाही करने का केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया।

(ख) इन मामलों में ग्रस्त प्रतिअदायगी की कुल रकम 79,220 रुपये है।

(ग) तथा (घ). जिन फर्मों पर इस जाल चक्र में ग्रस्त होने का आरोप है, उनकी संख्या छः है और जिन कर्मचारियों के ग्रस्त होने का आरोप है उनकी संख्या बारह है। मामले की जांच-पड़ताल अभी भी जारी है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

(ङ) इस प्रकार के प्रवंचनों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सीमा-शुल्क के सहायक-समाहर्ताओं को निदेश दिये गये हैं कि गोदियों में जांच-कार्य को बढ़ावें। उपर्युक्त मामले में जांच-पड़ताल के परिणाम मालूम होने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली

***133. श्री म० ला० सौंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाट प्लेस, नई दिल्ली के 'इनर सर्किल' से जिसका पुनर्निर्माण यातायात पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया गया है, विशेषज्ञों के विचार से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली नगर पालिका का विचार लाखों रुपये व्यय करने के पश्चात् इसमें पुनः परिवर्तन करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

लक्कदीव के अधिकारियों को मकान किराया भत्ता

***134. श्री प० मु० सईद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्कदीव प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों को किराया भत्ता नहीं दिया जाता जबकि अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति या सीधे नियुक्त किये गये अन्य अधिकारियों को भत्ते अथवा निःशुल्क आवास की सुविधाएं प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). निःशुल्क आवास अथवा मकान किराया भत्ते की रियायत भारत की मुख्य भूमि के केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो लक्षदीव प्रशासन के अधीन द्वीपों में सेवा के लिए भर्ती किये जाते हैं और उन व्यक्तियों को भी जो ऐसी सेवा के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार से प्रति-नियुक्ति पर जाते हैं। द्वीप सेवा विशेष वेतन तथा निःशुल्क समुद्र-यात्रा जैसी अन्य रियायतों की भांति यह सुविधा भी मुख्य भूमि के योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्तियों को द्वीपों में सेवा करने के लिए आकर्षण का साधन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मंजूर की गयी थी, क्योंकि इन द्वीपों में रहन-सहन की स्थिति मुख्य भूमि की स्थिति से तुलना योग्य नहीं है। स्थानीय तौर पर भर्ती किये गये कुछ व्यक्तियों के अभ्यावेदन इस बारे में प्राप्त हुए थे और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया गया।

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का वेतन के साथ विलय

*135. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ते के विलय के फलस्वरूप उनके वेतनमानों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषय पर विचार करने के लिए एक वेतन आयोग नियुक्त करने अथवा इस पर स्वतः निर्णय करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के एक अंश को महंगाई वेतन के रूप में मान लेने का निर्णय करने से यह आवश्यक नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन-मानों में संशोधन किया जाय।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

Subsidy Electricity Rates for Agricultural Purposes in Maharashtra

*136. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government have requested the Central Government to grant subsidy for reducing the electricity rates for agricultural purposes in the State ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) No, Sir.

(c) Does not arise.

Shifting of Safdarjang Airport, New Delhi

***137. Shri Narain Swarup Sharma :** Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 756 on the 16th December, 1968 and state :

(a) whether Government have since considered the question of shifting the Safdarjang Airport to a new place ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons for the delay ; and

(d) the time by which a decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (d). The matter is still under consideration of the Government. No decision has been taken in this respect so far. Since more than one Ministry is concerned with the matter, it has to be examined from different angles including the cost of shifting, which is being worked out by the Ministry of Tourism and Civil Aviation. It is difficult to say how long it will take.

जोरहाट में उर्वरक सार्थ समूह

***138. श्री भगवान दास :**

श्री वि० कु० मोडक :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, जोरहाट ने जोरहाट में कोयले पर आधारित उर्वरक सार्थ समूह स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) क्योंकि भारतीय उर्वरक निगम के नाम रूप सन्यन्त्र से नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन आसाम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत काफी होगा, अतः जोरहाट में कोयले पर आधारित उर्वरक सार्थ समूह की स्थापना के लिए अभी कोई ठोस मामला नहीं है

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि में प्रयोग में आने वाले ईंधन के लिये राजसहायता

*139. श्री कामेश्वर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि में प्रयोग में आने वाले ईंधन के लिये राजसहायता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता कब से दी जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) ऐसी राजसहायता का प्रबन्ध करने में बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं । कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहले ही विभिन्न प्रकार के काफी प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ।

प्रत्यक्ष करों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

*140. डा० रानेन सेन :

श्री ओंकार सिंह :

श्री जागेश्वर यादव :

श्री शारदा नन्द :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री जनार्दनन :

श्री रा० कृ० सिंह :

श्री रा० बरुआ :

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

श्री जि० ब० सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रत्यक्ष करों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या मुख्य सिफारिशों की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अध्याय VIII में दी गई सिफारिशों के सारांश की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 90/69]

(ग) रिपोर्ट की अभी सरकार द्वारा जांच की जा रही है । जांच पूरी होने पर जो सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की जाने योग्य हैं और जिन्हें वर्तमान में अमल में लाना

व्यवहार्य है उन्हें लागू करने के लिए कानून में संशोधन करने के लिए सरकार आवश्यक विधेयक पेश करने का और प्रशासनिक कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

टाटा उर्वरक परियोजना

*141. श्री स० मो० बनर्जी :	श्री को० सूर्यनारायण :
श्री नंजा गौडर :	श्री रवि राय :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :	श्री सोमचन्द सोलंकी :
श्री नन्दकुमार सोमानी :	श्री भोलानाथ मास्टर :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :	श्री दामानी :
श्री चं० चु० देसाई :	श्री शिवचन्द्र झा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक परियोजना सम्बन्धी टाटा के प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इस परियोजना के सरकारी क्षेत्र में न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्ताव के समस्त पहलुओं पर विस्तृत रूप से जांच करनी है क्योंकि यह एक बड़ी और विशेष आकृति की परियोजना है। अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

(घ) मैसर्स टाटा कैमिकल्स ने इस प्रस्ताव को गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजना के रूप में पेश किया है और उसके अनुरूप ही जांच करनी है।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*142. श्री प्र० न० सोलंकी :	श्री देवेन सेन :
श्री किकर सिंह :	श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई-अगस्त, 1968 में विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने 'दि विलिंगडन हास्पीटल वर्कर्स यूनियन,' द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रस्तुत

की गई मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन मांगों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 30 जुलाई, 1968 से 15 अगस्त, 1968 तक अपने काम पर नहीं आये ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 91/69]

टैनेको के साथ तट-दूर ड्रिलिंग सम्बन्धी करार

*143. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल के लिये तट-दूर ड्रिलिंग करने हेतु टैनेको (अमरीका) के साथ करार को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या तट-दूर ड्रिलिंग के लिये रूसी अधिकारियों के साथ भी ऐसी बातचीत की गई थी ;

(ग) क्या किसी फर्म के साथ कोई करार किये गये हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) कार्य के कब आरम्भ होने की सम्भावना है ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) कुछ तट-दूर क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य में सहायता के लिये आयोग ने रूस के अधिकारियों से सीधे बातचीत की है ।

(ग) रूसी अधिकारियों ने कम गहरे क्षेत्रों के लिये ड्रिलिंग उपकरणों के डिजाइन तैयार करने और भारतीय व्यक्तियों के प्रशिक्षण में सहायता देने का आश्वासन दिया है ।

(घ) इसी सहायता से कार्यों के ब्योरे अभी तैयार किये जाने हैं, इसलिये सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्य शुरू किये जाने की ठीक तारीख का बताना इस समय सम्भव नहीं है । गहरे पानी वाले क्षेत्रों में, सरकार उपलब्ध विभिन्न उपायों में से यथार्थ उपाय अपनाने पर अभी विचार कर रही है ।

Off-Shore Drilling

*144. **Shri Bansh Narain Singh :**

Shri Shri Gopal Saboo :

Shri Nitiraj Singh Chaudhary :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

- (a) whether Government have taken a final decision in regard to Off-shore drilling ;
- (b) whether Government have sought the opinion of any technical experts so as to assess the suitability of any offer in this regard ; and
- (c) if so, the opinion given by them and when a decision is likely to be taken thereon ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b). No, Sir.

(c) The first part of the question does not arise. Government hope to take an early decision on the precise approach to be adopted for the exploration of these areas from amongst the different courses open to us.

सीमा-शुल्क सहायक समाहर्ता (असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स) कोचीन

*145. **श्री विश्वनाथ मेनन :**

श्री अ० कु० गोपालन :

क्या वित्त मंत्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 4672 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमा-शुल्क सहायक समाहर्ता, कोचीन जिसने सामान के रूप में 20,000 रुपये के मूल्य की हाथ से बनी विलक्षण वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दे दी थी के बारे में विशेष पुलिस संस्था के प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परामर्श प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परामर्श दिया गया है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आयोग का परामर्श 16 जनवरी, 1969 को प्राप्त हुआ था ।

(ख) आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि सीमा शुल्क के सम्बन्धित सहायक समाहर्ता के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही चालू करने का कोई मामला नहीं बनता लेकिन उसने यह सिफारिश की है कि उसे भविष्य में अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी जाय ;

(ग) तथा (घ). विशेष पुलिस संस्थापन की रिपोर्ट तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श पर विचार किया जा रहा है ।

Sales Tax Charged by U. P. Government on Examination Papers***146. Shri Om Prakash Tyagi :****Shri Ram Charan :****Shri Molahu Prasad :**Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sales tax is charged by the Uttar Pradesh Government on the Sale of Examination papers for the students of Schools and colleges, which are printed by private presses in Delhi and Uttar Pradesh ;

(b) if so, the percentage thereof and the amount of sales upto which sales tax is not charged ;

(c) whether it is also a fact that the sales tax is not charged on books ;

(d) whether it is further a fact that the Sales Tax Officers are of the opinion that if the examination question papers are published in the book form, then exemption from the sales tax can be given ;

(e) if so, whether Government propose to exempt the sale of question papers from the sales tax with a view to saving the students from this additional burden because if they are presented in the book form, their very character is destroyed ; and

(f) if so, from which date ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (f). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.**आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना*****147. श्री हेम बरुआ :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सरकारी क्षेत्र में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में आसाम सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त ज्ञापन के संदर्भ में इस मामले में यदि कोई निर्णय किया गया है, तो क्या ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है । अन्य कारणों में से एक यह है कि पर्याप्त कच्चा तेल, पहले से की गई वचनबद्धता से, फालतू उपलब्ध नहीं है ।

Maternity and Family Planning Centres and Government Hospitals in Pauri Garhwal (U. P.)***148. Shri Kashi Nath Pandey :****Shri Jamna Lal :****Shri Arjun Singh Bhadoria :**Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Maternity Centres, Government Hospitals and Family Planning

Centres functioning in the Pauri Garhwal district ;

(b) whether the existing number of hospitals and Family Planning Centres is inadequate to meet the requirement of people ;

(c) if so, whether Government propose to open more hospitals and Family Planning Centres and if so, their localities ;

(d) whether Government propose to open a family planning Centre in Dalchauri ;

(e) if so, when ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (f). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

श्री मून्दड़ा का ब्रिटेन में अपने एजेंट को पत्र

*149. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1968 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित पत्र की फोटोस्टैट प्रति की ओर दिलाया गया है जिसमें श्री हरिदास मून्दड़ा ने लन्दन में अपनी सभी फर्मों के वित्तीय नियन्त्रक को लिखा था कि श्री वर्मा को पांच पौंड चाय दे दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पांच पौंड चाय, जोकि कूट-शब्द हैं, का महत्व जानने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जी, हां । सरकार ने 28 दिसम्बर 1968 के "ब्लिट्ज" में श्री हरिदास मून्दड़ा द्वारा श्री टेलर के नाम लिखे बताये गये उस पत्र की फोटो-कापी देखी है, जिसमें श्री वर्मा को "पांच पौंड चाय" देने के लिये श्री टेलर से कहा गया है । इस सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछ-ताछ की जा रही है ।

भाखड़ा परियोजना के कर्मचारियों की छंटनी

*150. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा परियोजना से छंटनी हुए कर्मचारियों को व्यास परियोजना में नियुक्त कर लिया गया है ;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की क्या संख्या है जो अभी तक नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ; और

(ग) उनको नियुक्त करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। जहां तक भी यह सम्भव हो सका है।

(ख) 227 (कार्यभारी कर्मक)

(ग) जो कर्मक व्यास परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं/विभागों को जाने के लिए इच्छुक हों, उनके लिए वैकल्पिक नौकरियां ढूंढने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है। फालतू कर्मकों की सूचियां रोजगार कार्यालयों और विविध विभागों/राज्यों को उनसे नौकरियां दिलाने के लिए नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

सर्वप्रिय सहकारी गृह-निर्माण समिति

760. श्री रामचन्द्र बीरप्पा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वप्रिय सहकारी गृह-निर्माण समिति के लेखापरीक्षकों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस समिति के बनने के समय से विभिन्न लेखापरीक्षकों ने किन-किन तिथियों को इसके लेखों की परीक्षा की थी ;

(ग) क्या समिति के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखे इसके सदस्यों को भेजे जाते हैं और क्या ऐसा करने के लिये कानून में कोई उपबन्ध है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : समय-समय पर निम्नलिखित व्यक्तियों को लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया :

(क) श्री मांगेराम वर्मा,
श्री रामभज,
श्री हरौराम कौशिक।

(ख) 31 जनवरी, 1961; 27 मार्च, 1962; 27 मार्च, 1963; 21 सितम्बर, 1963; 29 जनवरी, 1965; 18 दिसम्बर, 1965; 8 मार्च, 1967; 15 फरवरी, 1968 और 11 जनवरी, 1969।

(ग) उप-नियमों के अनुसार समिति के सदस्यों को सोसाइटी का लेखा-जोखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, परिपत्रित करने का प्रावधान नहीं है।

(घ) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सदस्य को समिति के वार्षिक हिसाब-किताब की जांच-पड़ताल करने का अधिकार है। सर्वप्रिय गृह निर्माण समिति के उप-नियमों के अनुसार समिति की सामान्य बैठक में वार्षिक हिसाब-किताब और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है।

सर्वप्रिय सहकारी गृह निर्माण समिति

761. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वप्रिय गृह निर्माण समिति की कालोनी के नक्शे बनाने वाले वास्तुकारों (आर्किटेक्टों) के नाम क्या हैं ;

(ख) समिति के सदस्यों को दिये जाने वाले विभिन्न प्लोटों का क्या-क्या क्षेत्रफल होगा ; और

(ग) क्या दिये जाने वाले विभिन्न आकार के प्लोटों के वितरण का आधार कार्यकारी समिति के सदस्यों की इच्छा से होगा अथवा वे सदस्यों के पसन्द के आधार पर दिये जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस कालोनी का नक्शा दिल्ली कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड की एजेन्सी के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है। जिन्होंने इस उद्देश्य के लिये श्री वी० के० सलूजा को लगाया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अभी तक इस सोसाइटी के नक्शे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) भूमि का विकास कार्य पूरा किया जाने और रिहायशी प्लोटों के स्थायी पट्टे इस सोसाइटी के नाम कर दिये जाने के पश्चात् ही विभिन्न आकार के प्लोटों का निश्चित रूप से नियतन पर्ची डाल कर किया जायेगा।

Reports of I & P Ministry

762. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the names, dates of publication, languages in which published, prices and the position regarding the availability of the reports submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committees relating to his Ministry and subordinate institutions and organisations during the last 20 years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : A number of reports on technical subjects have been submitted by various Study Teams, Study Groups and Committees appointed by this Ministry. These reports are mainly for departmental use and are, therefore, not priced. As for the reports which were issued as priced publications, the position is indicated in the statement. [Placed in Library. See No. LT-92/69]

Publications of the Ministry

763. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state the names, dates of publication, languages in

which published, prices and the position regarding the availability of the reports submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committees relating to his Ministry and subordinate offices and organisations during the last 20 years ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : The information sought for is not readily available and will have to be collected from the different organisations in and under this Ministry. All the reports may also not be available. Copies of the more important reports are already generally laid on the Table of the Lok Sabha. It is, therefore, felt that the labour and time involved in collecting the information relating to the last 20 years is not likely to be commensurate with the objective.

श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई और उनकी फर्मों को दी गई विदेशी मुद्रा

764. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 वर्षों में प्रतिवर्ष श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई अथवा उसके मनोनीत व्यक्तियों अथवा फर्मों को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ; और

(ख) यह धन किन-किन कामों के लिये मांगा गया तथा उनका प्रयोग किन-किन कामों के लिये किया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). पिछले पांच वर्षों में श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई को दी गयी विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सूचना पहले ही 12 अगस्त, 1968 को लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3618 के उत्तर में दी जा चुकी है। इससे पहले की अवधि के सम्बन्ध में सूचना देना व्यवहार्य नहीं है।

चूँकि प्रश्न अस्पष्ट है और उसमें विशेष नाम नहीं दिये गये हैं, इसलिये किसी “मनोनीत व्यक्ति” को दी गयी विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सूचना देना कठिन है। लेकिन फिर भी, यदि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सूचना मांगी जायगी और उसका नाम बताया जायगा तो जहां तक सूचना उपलब्ध होगी उसे इकट्ठा करके प्रस्तुत कर दिया जायगा।

जहां तक फर्मों को विदेशी मुद्रा दिये जाने का सम्बन्ध है, सभी आयात लाइसेंसों का ब्योरा “इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज-इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज” नामक साप्ताहिक बुलेटिन में दिया जाता है, जो समय-समय पर प्रकाशित किया जाता है। इस बुलेटिन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय से प्राप्त हो सकती हैं।

अनुसंधान तथा विकास डिवीजन, सिन्दरी

765. श्री बाबूराव पटेल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 जुलाई, 1967 को अनुसंधान तथा विकास डिवीजन,

सिन्दरी के बहुसंख्यक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से एक विरोध ज्ञापन भेजा था जिसमें यह शिकायत की गई थी कि अनुभवी तथा विशेष ज्ञान रखने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को अपने देश के लिए उपयुक्त डिजाइन बनाने तथा निर्णय करने का अवसर नहीं दिया जाता है और उर्वरक उद्योग में मंहगे विदेशी विशेषज्ञों को अनावश्यक रूप से नियुक्त किया जाता है ;

(ख) इस विरोध-पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ग) 25 जुलाई, 1967 के पश्चात् इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां । आयोजन और विकास प्रभाग के वैज्ञानिकों, टेक्नोलोजीविज्ञों तथा इंजीनियरों के दिनांक 12 जुलाई, 1967 के अभ्यावेदन को, भारतीय उर्वरक निगम लि० ने सरकार को 24 जुलाई, 1967 को भेजा जो 25-7-67 को प्राप्त हुआ ।

(ख) अभ्यावेदन में बताया गया था कि सरकार वहां भी विदेशी सहयोग, जानकारी और परामर्श को तरजीह देती रही है जहां देशीय सक्षम और विशेषज्ञ उपलब्ध थे । निम्न उदाहरण पेश किये गये थे ।

- (1) विदेशी सहयोग और विदेशी जानकारी से देश में केटेलिस्टों के समान्तर निर्माण के लिए लाइसेन्स की स्वीकृति ।
- (2) ट्राम्बे विस्तार योजना के लिए विदेशी ठेकेदारों को टर्न-की ठेके के देने का प्रस्ताव ।
- (3) उर्वरक उद्योग में भारतीय वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की दक्षता का अनुमान लगाने और सरकारी क्षेत्र उर्वरक उद्योग पुनर्गठन में परामर्श लेने के लिए विदेशियों को लाने के प्रस्ताव की सरकार द्वारा स्वीकृति ।

ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम एवं पद का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 93/69]

(ग) आरोप गलत धारणा पर आधारित थे । निगम के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक और आयोजन एवं विकास प्रभाग के महाप्रबन्धक को सही तथ्यों तथा नीति के स्थूल पहलुओं पर व्याख्या की गई ।

गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र का समन्वित विकास

766. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के हावर्ड विश्वविद्यालय के जनसंख्या अध्ययन केन्द्र ने बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम तथा पूर्वी पाकिस्तान पर सम्मिलित गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के समेकित विकास के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या उपर्युक्त केन्द्र को यह कार्य केन्द्रीय सरकार ने सौंपा था और क्या सरकार के पास वह सारी योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत सरकार ने 23 अक्टूबर, 1968 के स्टेट्समैन में एक ऐसी रिपोर्ट देखी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम द्वारा लगाये गये धन पर ब्याज

768. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन की प्रत्येक श्रेणी से, जिसमें उद्योगों में तथा भवन-निर्माण पर लगाया गया धन भी शामिल है, लिये जाने वाले ब्याज की विभिन्न दरें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जीवन बीमा निगम द्वारा भारत में विभिन्न प्रकार के ऋणों तथा डिबेन्चरों के लिये ली जाने वाली ब्याज की दरें नीचे दी गयी हैं :

विवरण	ब्याज की दर
(I) सीधे राज्य सरकारों को दिये गये ऋण - आवास ऋण	6½ प्रतिशत
(II) राज्य सरकारों की गारंटी पर दिये गये ऋण	
1. जल पूर्ति तथा जल निकासी योजनाओं के लिये नगर पालिकाओं को	6¾ प्रतिशत
2. आवास वित्त-सोसायटियां	6¾ प्रतिशत
3. औद्योगिक बस्तियां बसाने के लिये कम्पनियां अथवा सहकारी संस्थाएं	6¾ प्रतिशत
4. राज्य बिजली बोर्डों को ऋण	† 7¾ प्रतिशत
5. चीनी (शर्करा) सहकारी संस्थाओं को ऋण	† 8½ प्रतिशत
(III) औद्योगिक प्रयोजनों के लिये पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को ऋण	
1. ऋणों के रूप में	†† 9 प्रतिशत
2. डिबेन्चरों की खरीद का दायित्व लेने की योजनाओं के रूप में	7¾ प्रतिशत

(IV) गिरवी रखकर ऋण देने की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये ऋण

1. अचल सम्पत्तियों के गिरवी रखने पर ऋण देना †† 9 प्रतिशत
2. अपना घर बनाओ योजना †† 8 प्रतिशत
3. निगम के कर्मचारियों द्वारा बनायी गयी सहकारी आवास सोसायटियों के वित्त-पोषण के लिए योजना †† 5½ प्रतिशत
4. घर बनाने के लिये निगम के अलग-अलग कर्मचारियों को ऋण देने की योजना †† 6 प्रतिशत
5. पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को अपने कर्मचारियों के लिए आवास योजनाओं के लिये ऋण देने की योजना †† 9 प्रतिशत
6. पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के कर्मचारियों की सहकारी आवास समितियों को मकान बनाने के लिये ऋण देने की योजना †† 8 प्रतिशत

(V) बीमा पालिसियों पर ऋण 6 प्रतिशत

बड़े नगरों में मकानों तथा भवनों के निर्माण पर व्यय

770. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता महानगर जिला, बृहत्तर बम्बई, दिल्ली तथा नई दिल्ली में मकानों तथा अन्य प्रकार के भवनों के निर्माण के बारे में केन्द्रीय सरकार ने 1947-48 के पश्चात् आज तक कितना खर्च किया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : वांछित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्रित करने में जितना समय, प्रयत्न तथा व्यय होगा, उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं होगा।

आय-कर दाता

771. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1965-66 तथा 1968-69 में भारत में (एक) एक लाख से पांच लाख रुपये तथा (दो) पांच लाख रुपये से अधिक आय वाले कितने-कितने आय-कर दाता थे ;

(ख) वर्ष 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1965-66 तथा 1968-69 में उक्त प्रत्येक आय-वर्ग की कुल कितनी-कितनी आय निर्धारित की गई थी ;

-
- † नोट—1. नियमित अदायगी के लिये ½ प्रतिशत की छूट दी जाती है।
 †† नोट—2. नियमित अदायगी के लिये 1 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(ग) वर्ष 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1965-66 तथा 1968-69 में इस प्रत्येक वर्ग से कुल कितना आयकर लिया जाना था ;

(घ) वर्ष 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1965-66 तथा 1968-69 में इस प्रत्येक वर्ग से वास्तव में कितना आयकर वसूल किया गया था ; और

(ङ) उक्त दोनों वर्गों में से प्रत्येक वर्ग पर आज तक कितना आय-कर है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जितनी सूचना उपलब्ध है अनुबन्ध में दे दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 94/69]

(घ) तथा (ङ). मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे इकट्ठा करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

दिल्ली कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी फंडरेशन लिमिटेड

772. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी फंडरेशन लिमिटेड के क्या कृत्य हैं तथा उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस संघ की कौन-कौन सी गृह-निर्माण सहकारी संस्था सदस्य हैं ;

(ग) इस संघ के पदधारियों के नाम तथा पते क्या हैं ; और

(घ) संघ के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली सहकारी गृह-निर्माण संघ लिमिटेड, दिल्ली के उप-नियमों की प्रति सहकारी समिति विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

(ख) सदस्य समितियों की एक सूची परिशिष्ट I में दी गयी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 95/69]

(ग) श्री जगदीश कुदेशिया 61, इर्विन रोड, नई दिल्ली . . . अध्यक्ष

2. श्री सी० एल० चड्ढा, स्वावलम्बी सहकारी गृह
निर्माण समिति लि० दिल्ली क्लाय मिल, वाड़ा
हिन्दूराव, दिल्ली . . .

उपाध्यक्ष

3. श्री गुरुमुख सिंह जीठ, 21, एडवर्ड स्क्वेयर,
नई दिल्ली . . .

उपाध्यक्ष

4. श्री के० एम० शर्मा, 738, लक्ष्मीबाई नगर,
नई दिल्ली .. जनरल सेक्रेटरी
5. श्री एन० एन० चड्ढा, एच० 35 सरोजिनीनगर,
नई दिल्ली .. संयुक्त सचिव
6. श्री एस० डी० सूद, डी० 12/174 लोधी
कालोनी, नई दिल्ली .. अवैतनिक कोषाध्यक्ष
- (घ) थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।

केरल के उद्योगों को औद्योगिक वित्त निगम के ऋण

773. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) केरल के औद्योगिक विकास के लिये वर्ष 1967-68 में औद्योगिक वित्त निगम तथा केरल सरकार द्वारा केरल के उद्योगों के कितने ऋण मंजूर किये गये तथा दिये गये ; और
- (ख) क्या ऐसे ऋणों के लिये शर्तों को उदार बनाने का सरकार का विचार है ताकि इससे केरल में और अधिक अविकसित उद्योग लाभ उठा सकें ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को जो औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था, अपनी नियमावली के अनुसार केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनियों और सहकारी समितियों को सहायता देने का अधिकार है। इसे, राज्य सरकार को सीधे सहायता देने का अधिकार नहीं दिया गया है।

1967-68 (जुलाई-जून) में, निगम ने, केरल राज्य के औद्योगिक उपक्रमों के लिये कोई ऋण-सहायता नहीं मंजूर की क्योंकि वहां से उसे केवल दो आवेदन-पत्र मिले थे और वे दोनों पत्र आवेदकों ने वापस ले लिये थे। लेकिन, निगम ने, इस अवधि में, केरल में 11.48 लाख रुपये के उन ऋणों का भुगतान किया था, जिनकी स्वीकृति पहले दी जा चुकी थी।

(ख) निगम को यह हिदायत दी गयी है कि जहां तक हो सके, वह पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए सहायता दे ताकि वे क्षेत्र अपना आर्थिक विकास अधिक सन्तुलित ढंग से कर सकें। निगम वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में कम विकसित राज्यों में स्थित प्रायोजनाओं के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अधिक सहानुभूति से विचार करता है बशर्ते कि ऐसी प्रायोजनाओं की स्थिति तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से ऐसी हों कि बाद में उनसे लाभ होने लगे। पिछले दस वर्षों में, निगम ने, केरल से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों में से केवल एक आवेदन-पत्र नामंजूर किया था जिसमें 6 लाख रुपये की मांग की गयी थी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सैंक्शन आफिसरों के वेतन-क्रम

774. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सैंक्शन आफिसरों के वेतनक्रम

केन्द्रीय सरकार अर्थात् रेलवे, एम० ई० एस०, केन्द्रीय जल तथा प्रतिरूप विद्युत आयोग, औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य इत्यादि में इनके समकक्ष तथा समकालीन आफिसरों में सबसे कम है ;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतनक्रमों का ब्योरा क्या है तथा पदोन्नति के क्या अवसर हैं ; और

(ग) इस विषमता को कब दूर किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं, यदि सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाये ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल आफिसरों और प्रश्न में बताये गये अन्य विभागों के समकक्ष पदों के पदनाम, अर्हताएं आदि तथा उनके लिये निर्धारित वेतनमानों को दिखाया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 96/69]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देना

775. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने के उद्देश्य से उनके मंत्रालय ने कोई योजनाएं बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां, यह विचाराधीन है ।

(ख) अनुबंधात्मक उपबन्ध, कि अनुमोदित ठेकेदारों को अर्हता प्राप्त इंजीनियरों को कुछ संख्या में लगाना होगा, लागू करने का प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन है । केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अनुमोदित अनुबंध-प्रपत्र (कान्ट्रैक्ट फार्म) में पहिले ही एक खण्ड (सं० 36) है कि कार्य निष्पादन के दौरान ठेकेदार को एक अर्हताप्राप्त इंजीनियर/ओवरसियर/सुपरवाइजर रखना होगा । यदि ठेकेदार अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं करता तो उसे समुचित दण्ड दिया जा सके यह आश्वासित करने के लिये करारनामें (एग्रीमेंट फार्म) में एक दण्ड खण्ड (पेनेल्टी क्लॉज) जोड़ने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरी सेवाओं के लिए भर्ती के नियम

776. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इंजीनियर संघ ने अपने ज्ञापन में

बताया है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध), डाक तथा तार विभाग तथा रेलवे जैसे केन्द्रीय विभागों तथा मंत्रालयों की तुलना में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की इंजीनियरी सेवाओं में भर्ती के नियम बहुत भिन्न हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भर्ती के नियमों को केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के नियमों जैसा बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की इंजीनियरिंग सेवा के लिए भर्ती के नियमों तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों के भर्ती के नियमों में कुछ अन्तर है।

(ख) इंजीनियरों द्वारा किया गया कार्य प्रत्येक विभाग में भिन्न है। अतएव सभी इंजीनियरिंग विभागों में भर्ती के नियमों के मामलों में समानता लाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा भूमि विकास कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बित सतर्कता के मामले

777. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा भूमि विकास कार्यालय, नई दिल्ली के कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता के मामले आठ वर्ष से अधिक समय से निलम्बित हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन मामलों को निपटाने में शीघ्रता लाने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Extension of Electricity to Masi from Ranikhet in Almora District

778. Shri J. B. S. Bist : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government have received requests for extending electricity to Masi from Ranikhet in Almora district ;

(b) whether he had assured the public at Masi on the 6th June, 1968 to this effect ;

(c) if so, the progress made in this regard so far and the time likely to be taken to complete this job ; and

(d) if not, the reasons therefor ;

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). Yes.

(c) and (d). The U. P. State Electricity Board have intimated that the survey of the area has been completed and an estimate costing Rs. 29.25 lakhs has been prepared. The Board will take up work on availability of funds.

औद्योगिक वित्त निगम

779. श्री क० लक्ष्मण :

श्री ए० श्रीधरन :

डा० सुशीला नैयर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम को, इसकी स्थापना से अब तक अनियमितताओं, चोरी तथा भंडार में कमी के कारण वर्ष-वार कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी ; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले थे ; और

(ग) सरकार ने इसकी कार्यप्रणाली में त्रुटियां तथा उनमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था है जो देश में औद्योगिक कम्पनियों को वित्तीय सहायता देती है। यह न तो वाणिज्यिक और न ही औद्योगिक उद्यम है। इस प्रकार इसके द्वारा केवल कुछ लेखन सामग्री, फर्निचर, टाइपराइटर्स, कार्यालय के साइकिलों, मोटर गाड़ियों आदि का स्टॉक रखा जाता है। जुलाई, 1948 से, अर्थात् जब से निगम की स्थापना की गयी थी, कार्यालय का केवल एक साइकिल फरवरी, 1960 में चोरी हुआ था। आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद, निगम ने साइकिल के घटा कर दिखाये गये मूल्य अर्थात् 150 रुपये में से 100 रुपये को बट्टे खाते डाल दिया और बाकी रकम सम्बद्ध कर्मचारी से वसूल कर ली गयी।

नर्स जांच आयोग का प्रतिवेदन

780. श्री न० कु० सांधी :

श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री रा० रा० सिंह देव :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री रा० बरुआ :

श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्रीमती इला पालचौधरी :

श्री म० ला० सांधी :

श्री हरदयाल देवगुण :

श्री भोलानाथ मास्टर :

श्री रवि राय :

श्री कृ० मा० कौशिक :

श्री य० अ० प्रसाद :

श्री क० मि० मधुकर :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

श्री जार्ज फरनेन्डोज :

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री समर गुह :

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

श्री क० लकप्पा :

श्री नम्बियार :

श्री पी० पी० एस्थोस

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

श्री बलराज मधोक :

श्री रणजीत सिंह :

श्री भारत सिंह चौहान :

श्री बाबूराव पटेल :

श्री मृत्युंजय प्रसाद :

श्री भगवान दास :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री ए० श्रीधरन :

श्री रा० कृ० सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1967 में दिल्ली के दो अस्पतालों में 5 नर्सों की मृत्यु के बारे में एक नर्स जांच आयोग का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) नर्सों की दशा सुधारने तथा मानवोचित परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षण तथा काम सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) रिपोर्ट 23 दिसम्बर, 1968 को प्राप्त हुई थी ।

(ख) आयोग ने 5 छात्र नर्सों की मृत्यु की परिस्थितियों पर रिपोर्ट दी है और निम्न-लिखित बातों पर अपने अवलोकन प्रस्तुत किये हैं :

(i) स्वर्गीय छात्र नर्सों के प्रति अस्पताल के कुछ डाक्टरों और कुछ अन्य अस्पताल कर्मचारियों का आचरण और उनका कर्तव्यपालन ।

(ii) इविन अस्पताल के स्कूल आफ नर्सिंग में कामकाज की हालत तथा उसमें सुधार के लिए सुझाव ; और

(iii) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज कम्प्लेक्स की कार्यप्रणाली में सुधार ।

(ग) और (घ). विलिंगडन अस्पताल के एक डाक्टर को मुअतिल कर दिया गया है और दूसरे के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है । जिन दो डाक्टरों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद् को कह दिया गया है ।

इर्विन अस्पताल में सम्बन्धित स्टाफ को कड़ी चेतावनी दे दी गई है। एक डाक्टर के कार्य-काल को नहीं बढ़ाया गया और दूसरे डाक्टर का मामला भारतीय चिकित्सा परिषद के ध्यान में लाया गया है। प्रशासकीय प्रबन्धों में भी सुधार कर दिया गया है।

(ड) (i) इर्विन अस्पताल में नर्स प्रशिक्षण स्कूल का चार्ज अलग से एक उपचर्या अधीक्षक को सौंप दिया गया है।

(ii) नर्सिंग स्कूल में काम कर रहे पुरुष सिस्टर ट्यूटर की बदली कर दी गई है और उसके स्थान पर एक महिला सिस्टर ट्यूटर नियुक्त कर दी गई। पुरुषों को सिस्टर ट्यूटर के प्रशिक्षण के लिये भेजने की पद्धति खत्म कर दी गई है। उन वार्डों में जहां नर्सिंग स्कूल की छात्र नर्सों व्यावहारिक कार्य के लिये जाती हैं वहां वार्ड मास्टर जो कि पुरुष होते हैं, नियुक्त करने की प्रणाली समाप्त करने का निश्चय किया गया है। छात्र नर्सों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रत्येक विभाग में महिला नर्सिंग सिस्टरों की व्यवस्था की जायगी।

(iv) सिस्टर ट्यूटरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है।

(v) छात्र नर्सों से सम्बन्धित कार्य एक अधिकारी के चार्ज में दे दिया गया है और नर्सिंग स्टाफ से सम्बन्धित कार्य दूसरे अफसर को सौंपा गया है। ये दोनों अधिकारी सीधे चिकित्सा अधीक्षक के मातहत रहेंगे।

(vi) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के निदेशक-प्राचार्य को एक ऐसी पद्धति निकालने के अनुदेश दिये गये हैं जिससे छात्र नर्सों चिकित्सा उपाधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक और निदेशक प्राचार्य से आवश्यकता पड़ने पर स्वतन्त्रता से मिल सकें। छात्र नर्सों को अपनी शिकायतों और कठिनाइयों को लेकर आगे आने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये निदेशक प्राचार्य को अस्पताल कल्याण समिति के कुछ सदस्यों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये भी कहा गया है।

उद्यान विभाग के कर्मचारियों को निजी काम में लगाना

781. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के उद्यान निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा संसाधनों के दुरुपयोग तथा दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 में किसी उद्योगपति के बच्चों के विवाहों पर इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सजावट के लिये सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उद्यान निदेशालय ने पहले कभी ऐसा कार्य किया था और यदि हां, तो कब और किस मामले में ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रों (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). मामले की जांच की जा चुकी है। उद्यान निदेशालय लगभग दो दशक से अधिक समय से आवश्यक प्रभार के अदा करने पर ऐसे निजी काम करता रहा है। सप्लाई किये जाने वाले अधिकतर आइटमों के रेट अनुमोदित हैं तथा विशिष्ट दरें बताई जाती (कोटेड) हैं। ऐसे कार्य दूतावासों, सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए प्रभार की अदायगी करने पर किये जाते रहे हैं। वर्तमान मामले में भी किये गये कार्य का प्रभार वसूल किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां, उन मामलों में जिनमें गैर-सरकारी पक्षों (प्राइवेट पार्टिज) के लिए 1963 से काम किया था, के ब्योरे का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 97/69]

कृषि ऋण निगम

782. श्री न० कु० सांघी :	श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :	श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री विभूति मिश्र :	श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री नि० रं० लास्कर :	श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० बरुआ :	श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री अदिचन :	श्री सीताराम केसरी :
श्री म० ला० सोंधी :	श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
डा० सुशीला नायर :	श्री य० अ० प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि ऋण निगम स्थापित किये गये हैं तथा करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इन निगमों में मुख्य कार्य क्या हैं, केन्द्र की इन निगमों में कितनी अंश पूंजी है तथा कृषकों को उनसे कहां तक लाभ पहुंचेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राज्य कृषि ऋण निगम अधिनियम, 1968 में असम, बिहार, उड़ीसा पश्चिम बंगाल और राजस्थान में सम्बद्ध राज्यों द्वारा और मणिपुर त्रिपुरा के संघीय राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि ऋण निगमों की स्थापना किये जाने की व्यवस्था की गयी है। अभी तक किसी निगम की स्थापना नहीं की गयी है और निगमों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में सम्बद्ध राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों से बातचीत शुरू की गयी है। निगमों की स्थापना किये जाने से पहले सम्बद्ध राज्यों और संघीय

राज्य-क्षेत्रों को निगमों और सहकारी ऋण समितियों के क्षेत्राधिकार का सीमांकन, कार्यालयों के स्थान का निर्धारण, कर्मचारियों की व्यवस्था, आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य करने होंगे।

(ख) निगम का प्रमुख कार्य, किसानों, कृषि विपणन और परिष्करण समितियों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों और प्रमुख कृषि ऋण समितियों को खेती और तत्सम्बन्धी कार्यों के लिये अधिक से अधिक पांच वर्ष के लिए ऋण और अग्रिम देना है। राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के ऐसे भागों में संस्थागत कृषि-ऋण की पूर्ति करने का विचार है, जहां थोड़ी और दरम्यानी अवधि की कृषि-ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सहकारी ऋण अभिकरणों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। राज्यों द्वारा स्थापित किये जाने वाले निगमों की पूंजी में केन्द्रीय सरकार का अंशदान 30 प्रतिशत और संघीय राज्य क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले निगमों की पूंजी में 50 प्रतिशत होगा।

चण्डीगढ़ में मिट्टी के तेल की कमी

783. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ में मिट्टी के तेल की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Medical College of Banaras Hindu University

784. Shri Om Prakash Tyagi :

Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether the present Principal of Medical College of Banaras Hindu University had obtained the degree of Madhyama and MMS and later he was awarded the degree of MBBS after having appeared in two papers only ;

(b) if so, whether Government propose to consider the matter of awarding the degree of MBBS to other Ayurvedic Snataks after holding similar examination ; and

(c) if not, the reasons therefor and other ways and means proposed to be devised by Government for awarding higher degrees to such Ayurvedic Snataks ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthi) : (a) Yes. He was awarded the MBBS degree by the Banaras Hindu University after examination in three subjects, namely, Surgery, Medicine and Obstetrics and Gynaecology. This was treated as an exceptional case.

(b) and (c). The Medical Council of India have framed regulations for condensed licentiate course for the holders of degrees/diplomas in integrated medicine. The candidates holding the condensed licentiate medical qualification may be admitted to the condensed MBBS course provided they satisfy the requirements laid down by the Medical Council. The College of Medical Sciences, Varanasi, is already conducting the licentiate medical course for the holders of diploma/degree in integrated medicine.

चिकित्सा कालेज को पीलामेदु से कोयम्बतूर ले जाना

785. श्री ई० के० नायनार :

श्री के० रमानी :

श्री नम्बियार :

श्री उमानाथ :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयम्बतूर के नागरिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि नव स्थापित चिकित्सा कालेज की पीलामेदु से कोयम्बतूर तथा आर्ट्स कालेज को पीलामेदु ले जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निम्न आय वर्ग के लिये सस्ते मकानों का निर्माण

786. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निम्न आय वर्गों के लिये सस्ते मकान बनाने में कोयम्बटूर के श्री जी० डी० नायडू के माडल तथा प्रयोग देखे हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों की राजधानियों तथा दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये ऐसे मकान बनाने के व्यावहारिक पहलू पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). श्री जी० डी० नायडू ने “प्रदर्शनी” मैदान में दो मकानों का चार दिनों में निर्माण किया, जो 28 मार्च, 1968 से आरंभ हुए, और नींव तथा फर्श सहित निर्माण की लागत 8 रुपये प्रति वर्ग फुट आई, परन्तु इसमें भूमि तथा नालियों की लागत शामिल नहीं

है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इन मकानों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात् 20 अप्रैल, 1968 को राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा "अक्विजिशन ग्राउंड" में आयोजित एक गोष्ठी में इंजीनियरों, वास्तुकों और समाज शास्त्रियों ने इस तकनीक आदि को अपनाने की संभावना पर फिर विचार-विमर्श किया। उनके विचार में इसमें कोई नई तकनीक नहीं है और श्री नायडू द्वारा बनाए गए मकान आयोजना, वास, सुरक्षापूर्ण बनावट तथा पायदारी की दृष्टि से सन्तोषजनक नहीं हैं। लागत में कमी, घटिया विशिष्टियों (स्पेसिफिकेशन्स) के अपनाने और निर्माण की गति में तीव्रता लाने तथा अत्यधिक मजदूरी के प्रयोग से हुई जिसमें चिनाई (मेसनरी) और प्लस्टर में सीमेन्ट के मसाले (मार्टर) के सम्यक जमाव (सैट्टिंग) तथा तराई की अवहेलना की गई। उनके विचार से इसी लागत में इससे अच्छी आयोजना का और अधिक अच्छे डिजाइन के मकान का निर्माण किया जा सकता है, परन्तु ऐसा मकान उन क्षेत्रों के लिये उपयुक्त होगा, जहां भूमि का मूल्य तुलना में कम होगा तथा जहां केवल एक मंजिला निर्माण को अपनाया जाए।

पूँजी निर्गम

789. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई पूँजी निर्गम पर नियंत्रण ढीला कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस ढील के बाद उद्योगपतियों को बाजार से अब तक कितनी नई पूँजी प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या सरकार नये क्षेत्र बाजार ऋण प्राप्त करने में सफल रही है और यदि हां, तो इस ढील के बाद अब तक कितना ऋण प्राप्त किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। पहली फरवरी, 1969 को जारी किये गये विस्तृत पूँजी निर्गम छूट आदेश के द्वारा सरकार ने कम्पनियों के पूँजी निर्गमों पर से नियंत्रण ढीला कर दिया है।

(ख) और (ग). गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यम किस हद तक पूँजी जुटा सकते हैं या सरकारी क्षेत्र के निगम किस हद तक बाजार ऋण ले सकते हैं यह कई बातों जैसे अर्थ-व्यवस्था की स्थिति और विशेषकर पूँजी बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। यहां यह बता देना जरूरी है कि पूँजी निर्गम संबंधी नियंत्रण को धीरे-धीरे, पिछले दो वर्षों से उदार बनाया जा रहा था, और अन्ततः पहली फरवरी, 1969 का आदेश जारी किया गया। इसलिये नयी पूँजी के जुटाये जाने पर इस उदारता के प्रभाव को अलग से नहीं बताया जा सकता। कुछ भी हो, इस आदेश के प्रभाव को इतनी जल्दी आंकना कठिन है।

Dropping of Long Term Irrigation Schemes in Maharashtra

790. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether in view of the financial difficulties, the Central Government have advised the Maharashtra Government to drop their long term schemes for the time being and to irrigate the maximum land with the help of short term measures ;

(b) whether any financial assistance is being given by Government to the Maharashtra state to tide over their financial difficulties ; and

(c) if so, the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No such communication has been sent.

(b) and (c). Do not arise.

Fertilizer Factory in Maharashtra

791. **Shri Deorao Patil :**

Shri Hardayal Devgun :

Shri Sitaram Kesri :

Shri K. P. Singh Deo :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kuwait Government have agreed to set up a fertilizer factory viz., Kuwait Morarji Fertilizer Project in Maharashtra.

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time by which the proposed factory is likely to start functioning and what will be its capacity ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b). A proposal has been submitted to Government by M/s. Dharamsi Morarji Chemical Co. Ltd., Bombay for the establishment of a fertilizer factory at Sheva Nhova, in the Kolaba Distt. of Maharashtra based on ammonia and sulphur to be imported from Kuwait for the production of 500,000 tonnes of di-ammonium phosphate in collaboration with M/s. Petro-Chemical Industries Company, Kuwait. The proposal envisages the annual import of 115,000 tonnes of liquid ammonia and 200,000 tonnes of sulphur linked with it. A letter of intent has been issued to the Company subject to the condition among others that it will change over on the request of the Government, to naphtha from the eighth year from the date of commercial production if naphtha becomes available from indigenous sources. A similar condition ensures the substitution of sulphur by indigenous under suitable circumstances.

(c) Grant of an industrial licence for the project is still under consideration. The project is expected to be completed in a period of two years after all clearances are given by Government.

Revision of Medical Course

792. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to revise the Medical course and to develop according to the needs of the country ; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The Government of India have appointed a Committee to examine various aspects of medical education particularly the revision of medical curriculum in relation to national requirements, the need for uniformity of syllabus, apportionment of time between didactic and practical teaching, selection of entrants to Medical Colleges, reciprocity between various medical institutions and universities and domiciliary restrictions in the matter of medical admission. The recommendations of the committee have not yet been received by the Government.

Facilities for Irrigation in States

793. Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Kumari Kamla Kumari : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the progress made by Government during the last 5 years in the matter of constructing canals and sinking of wells and tube-wells and the acreage of additional land brought under cultivation annually in different States ;

(b) the number of canals likely to be opened and the number of wells and tubewells likely to be sunk and the acreage of additional land to be brought under cultivation under the irrigation schemes in 1969 ; and

(c) the special facilities which Government propose to give to the backward States in the matter of irrigation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) An area of about 9.5 million hectares has been brought under irrigation during the last 5 years by canals, wells and tube-wells in different States.

(b) About 2 million hectares of additional area is proposed to be brought under irrigation during 1969-70 by these sources.

(c) 10% of the Central assistance to States during the Fourth Plan period is proposed to be earmarked on account of Major Irrigation and Power Projects.

Multi-Purpose and Major Irrigation Projects in U. P.

794. Shri Narain Swarup Sharma : **Kumari Kamla Kumari :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of such selected multipurpose and major irrigation projects in Uttar Pradesh at present as are getting Central assistance ;

(b) the location thereof, project-wise, and the amount of Central assistance given to each project during the last two years ;

(c) the number of additional irrigation projects proposed to be started in Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan ; and

(d) the amount of estimated expenditure on each project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Two Projects—Gandak (U. P. portion) and Ramganga—are being given earmarked Central loan assistance :

(b)	Location
Gandak (U. P. portion) Ramganga	Gorakhpur and Deoria Districts. Near Kalagarh in Garhwal Dist.
Earmarked Central assistance in Rs. lakhs	
1966-67	1967-1968
Gandak (U. P. portion)	370
Ramganga	475.33
(c) and (d). The Fourth Five Year Plan of Uttar Pradesh is yet to be finalised.	

फरक्का बांध का निर्माण

795. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :	श्री शारदानन्द :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :	श्री ओंकार सिंह :
श्री बलराज मधोक :	श्री श्रीगोपाल साबू :
कुमारी कमला कुमारी :	श्री अदिचन :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :	श्री श्रीधरन :
श्री क० लक्ष्मण :	डा० सुशीला नैयर :
डा० रानेन सेन :	श्री गु० च० नायक :
श्री कं० हाल्दर :	श्री दे० अमात :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :	श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री भोगेन्द्र झा :	श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कंवरलाल गुप्त :	

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) फरक्का बैरेज के पूरा किये जाने के लिये कौन सी तिथि निर्धारित की गयी है;
- (ख) इस समय इस परियोजना में कितने इंजीनियर, कर्मचारी तथा मजदूर कार्य कर रहे हैं;
- (ग) क्या निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1970-71

(ख) (1) इंजीनियरों की संख्या—140

(2) कर्मचारियों की संख्या—1421

(3) कर्मकों की संख्या—2027 ये विभागीय कर्मचारी हैं। इन आकड़ों में ठेकेदारों द्वारा रखा गया स्टाफ सम्मिलित नहीं है।

* Ramganga Project is being given earmarked Central loan assistance with effect from 1967-68 only.

- (ग) जी, हां। परियोजना के 1970-71 तक काफी हद तक पूर्ण होना अनुसूचित है।
 (घ) प्रश्न नहीं उठता।

New Electricity Rates in U. P.

796. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Kumari Kamla Kumari :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 90 on the 11th November, 1968 and state :

- (a) whether all the authorities concerned have since been informed of the new electricity rates modified by Uttar Pradesh and the State Electricity Board on the 1st July, 1968 ;
 (b) if so, whether Government propose to lay a copy of the instructions issued in this regard on the Table ; and
 (c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). Revised rates were notified under Notification No. 10707-C/SEB-87-B/65 dated 27-11-1968 and published in the Uttar Pradesh Gazette on 30th November, 1968. Copy of the notification is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-98/69]. All the authorities concerned were also informed of the revised rates brought into force.

लक़दीव द्वीपसमूह में सरकारी भवनों का निर्माण

797. श्री प० मु० सईद :

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक़दीव द्वीपसमूह में गत पांच वर्षों में सरकारी भवनों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गयी;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये ली गयी भूमि के मालिकों को कोई मुआवजा दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क)	वर्ष	व्यय रुपए
	1963-64	13,33,837.00
	1964-65	15,17,859.00
	1965-66	14,39,192.00
	1966-67	11,02,582.00
	1967-68	11,66,292.00

(ख) लक्कदीव संघ-क्षेत्र के प्रशासन द्वारा गैर-सरकारी भूमि के मालिकों को जिस पर उक्त प्रशासन के द्वारा सरकारी भवनों का निर्माण कर लिया गया है, कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार की भूमि द्वीप समूहों के विकास-कार्यक्रमों में सहयोग के प्रतीक रूप में स्वामियों द्वारा स्वेच्छा से दी गयी थी। तथापि एक मामले में जिसमें कि उक्त प्रशासन से स्वामियों ने वैकल्पिक भूमि मांगी है जिसे वह (प्रशासन) नहीं दे सका क्योंकि कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। भू-स्वामियों को मुआवजा देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

मेडिकल कालेजों में लक्कदीव के विद्यार्थियों के लिए स्थानों का आरक्षण

798. श्री प० मु० सईद : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल कालेजों में लक्कदीव के विद्यार्थियों के लिये स्थानों का कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में लक्कदीव के लिये ऐसे कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है; और

(घ) प्रतिवर्ष किन-किन विद्यार्थियों को स्थान दिये गये तथा वे कहां के रहने वाले थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों में लक्षद्वी, मिनीकाय और अमनद्वी द्वीप समूहों के छात्रों के लिये निम्नलिखित सीटें नियत की गई थीं :

वर्ष	नियत की गई सीटों की संख्या	
	प्रो-मेडिकल	एम० बी० बी० एस०
1966-67	—	—
1967-68	1	1
1968-69	2	2

(घ) 1967-68 और 1968-69 में विभिन्न मेडिकल कालेजों में मनोनीत छात्रों का ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	छात्रों का नाम और स्थान
1967-68	1. श्री पी० पुकुन्हिकोया—अमिन का

वर्ष

छात्रों का नाम और स्थान

1968-69

2. श्री ए० वी० हुस्सैन, मनीफन आव
मिनिकाय ।
श्री ए० वी० हुस्सैन, मनीफन ने जिसका
मनोनीत जबलपुर मेडिकल कालेज में
किया गया था, बाद में कालेज छोड़
दिया क्योंकि उसे दाखिला के लिए पात्र
नहीं समझा गया ।
1. श्री के० पी० शैक्कोया—अण्ड्रांध्र
2. श्री फाकुल क्वाम सैयद मुहम्मद—अण्ड्रांध्र
3. श्री पी० एस० कृष्ण—मद्रास
4. श्री पी० एम० सलीम—लक्कादिवी
द्वीप समूह

राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय

799. श्री क० लकप्पा :

श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री अदिचन :

श्री रा० कृ० सिंह :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

श्री रणजीत सिंह :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

श्री बृज भूषण लाल :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री सूरज भान :

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

श्री यशपाल सिंह :

श्री ए० श्रीधरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी; और

(ख) यह आय उपरोक्त अवधि में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है, जिसमें राज्यों की प्रति व्यक्ति आय तथा अखिल भारतीय आंकड़ों के औसत का सबसे हाल का ब्योरा दिया गया है। संघीय राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण	(रुपयों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	438
2. असम	441
3. बिहार	299
4. गुजरात	523
5. हरियाणा	504
6. जम्मू और कश्मीर	341
7. केरल	393
8. मध्य प्रदेश	373
9. महाराष्ट्र	526
10. मैसूर	420
11. नागालैण्ड	उपलब्ध नहीं
12. उड़ीसा	347
13. पंजाब	575
14. राजस्थान	356
15. तमिलनाडु	434
16. उत्तर प्रदेश	374
17. पश्चिम बंगाल	498
18. अखिल भारतीय औसत	422

व्यास बांध पुनर्वास समिति

800. श्री क० लक्ष्मण :

श्री हेम राज :

श्री ए० श्रीधरन :

श्री यशपाल सिंह :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यास बांध पुनर्वास समिति का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के कितने सदस्य हैं और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग): व्यास पुनर्वास समिति में निम्नलिखित 8 सरकारी और 9 गैर-सरकारी

सदस्य शामिल हैं :

सरकारी सदस्य :

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. महाप्रबन्धक, व्यास परियोजना | } | अध्यक्ष |
| 2. उप-आयुक्त, कपूरथला, पंजाब सरकार | | } |
| 3. उप-सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई व बिजली विभाग | | |
| 4. उपनिवेशन आयुक्त अथवा उपनिवेशन उप-आयुक्त, राजस्थान सरकार । | | |
| 5. राजस्व आयुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार | | |
| 6. उप-आयुक्त, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश सरकार | | |
| 7. उप-आयुक्त, मंडी, हिमाचल प्रदेश सरकार | | |
| 8. उप-आयुक्त, पुनःस्थापन और पुनर्वास, व्यास परियोजना | — | सदस्य-सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य :

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. **श्री सालिग राम, संसद् सदस्य, हिमाचल प्रदेश | } | सदस्य |
| 2. *श्री परस राम, विधान सभा सदस्य, हिमाचल प्रदेश | | |
| 3. *श्री चूड़ामणि, विधान सभा सदस्य, हिमाचल प्रदेश | | |
| 4. *श्री ब्रह्मानन्द, विधान सभा सदस्य, हिमाचल प्रदेश | | |
| 5. *श्री पीरू राम, विधान सभा सदस्य, हिमाचल प्रदेश | | |
| 6. *श्री हरिकृष्ण लाल, विधान सभा सदस्य, हरियाणा | | |
| 7. श्री बीरबल, प्रधान पंचायत समिति, सूरतगढ़, राजस्थान | | |
| 8. *श्री हंसराज आर्य, विधान सभा सदस्य, राजस्थान | | |
| 9. पंजाब सरकार द्वारा नामजद एक सदस्य | | |

पुनर्वास समिति के कार्य निम्नलिखित हैं :

(क) पुनर्वास के सिद्धान्त और पद्धति जिनमें इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए :

- (1) भूमि के बदले भूमि की तुलना में पुनर्वास का आधार नकद, मुआवजा, इत्यादि ।
- (2) पुनःस्थापन का स्थान । समिति को भारत सरकार की निम्नलिखित हिदायतें ध्यान में रखनी हैं :
“विस्थापित होने वाले लोगों के बीच और उस क्षेत्र के व्यक्तियों के बीच जहां विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाया जाना है, दोनों का जनमत लेने के लिये समिति को कदम उठाने चाहिये ।”
- (3) पुनर्वास के लिये सम्बन्धित सरकारों/प्राधिकरणों के उत्तरदायित्वों को निश्चित करना ;

**लोक सभा अध्यक्ष की स्वीकृति मिलने पर ।

*विधान सभा के अध्यक्षों की स्वीकृति मिलने पर ।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को दिये जाने वाले मुआवजे को निर्धारित करने के लिये प्रक्रिया;

(ग) मुआवजे की अदायगी के लिये अथवा/और व्यक्तिगत मामलों में पुनः स्थापन की प्रक्रिया;

(घ) इसकी आयतन संबंधी लागतों और सिफारिशों का मोटे तौर पर अनुमान ।

लुबरिजोल इण्डिया लिमिटेड का कार्यकरण

801. श्री क० लकप्पा :

श्री ए० श्रीधरन :

डा० सुशीला नैयर :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में लुबरिजोल इण्डिया लिमिटेड के कार्यकरण का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगा; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कम्पनी 20-7-1966 को निगमित की गई थी । इसलिये, अभी तक कम्पनी के कार्यकरण की दोवार्षिक सामान्य रिपोर्टें तैयार हुईं । फार्मेशन एग्रीमेन्ट और कम्पनी के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के अन्तर्गत, कम्पनी के लेखा परीक्षक, जिनकी नियुक्ति सरकार की सलाह से की जाती है, इन लेखों का आडिट करते हैं और इसके पश्चात् नियंत्रक और महालेखापरीक्षक इनकी जांच करता है ।

(ख) शून्य ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में चलते फिरते बैंक

803. श्री कामेश्वर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चलते फिरते बैंक आरम्भ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वे कब अपना कार्य आरम्भ कर देंगे;

(ग) बिहार में इस प्रकार के कुल कितने बैंक खोले जायेंगे; और

(घ) मुगेर जिले में कुल कितने बैंक खोले जायेंगे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते बैंक खोलने का कोई विचार नहीं है। इस समय दो वाणिज्यिक बैंक चलते-फिरते एकक चला रहे हैं जिनके आधार-कार्यालय बैंकों की वर्तमान छः शाखाओं में हैं। ये चलते-फिरते बैंक 61 ग्रामीण केन्द्रों में काम करते हैं। इनके अलावा चलते-फिरते बैंक चलाने के लिये रिजर्व बैंक ने चार वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस दिये हैं, जिनके आधार-कार्यालय बैंकों की छः शाखाओं में होंगे। ये चलते-फिरते बैंक 53 ग्रामीण केन्द्रों में काम करेंगे।

(ग) और (घ). इस समय बिहार में कोई चलता-फिरता बैंक काम नहीं कर रहा है और न ही बिहार में चलते-फिरते बैंक चलाने के लिये किसी वाणिज्यिक बैंक का प्रस्ताव रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।

कानपुर मेडिकल कालेज

804. श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर मेडिकल कालेज के आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय के भुगतान के लिये जो धनराशि देने का वचन दिया गया था वह धनराशि नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूरी धनराशि का भुगतान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस प्रश्न का आशय स्पष्ट नहीं है। मेडिकल कालेज, कानपुर एक सरकारी संस्थान है और इसके आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में से की जाती है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

विंलिग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के कार्यों के बारे में संसद् सदस्यों की शिकायतें

806. श्री रा० की अमीन :

श्री प्र० न० सोलंकी :

श्री किकर सिंह :

श्री देवेन सेन :

श्री द० रा० परमार :

श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री रामचन्द्र जे० अमीन :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री सरजू पाण्डेय :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने राज्यमंत्री तथा उपमंत्री को नयी दिल्ली

के विलिंग्डन अस्पताल के अपने-अपने वैयक्तिक दौरों के बारे में अप्रैल तथा मई, 1968 में विस्तृत पत्र लिखे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन सदस्यों ने क्या-क्या लिखा है, और उन पत्रों में क्या लिखा गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पत्रों में विलिंग्डन अस्पताल के अधिकारियों पर गम्भीर अनियमितताओं, नियम एवं विनियमों के उल्लंघन करने, अपने से बड़े अधिकारियों तथा मंत्रियों को गलत जानकारी देने के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में न्यायिक जांच कराने अथवा एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). अप्रैल और मई, 1968 में स्वास्थ्य मंत्री और राज्यमंत्री को श्रीमती विद्यावती, संसद् सदस्या (राज्य सभा) से तीन पत्र प्राप्त हुये थे। ये पत्र आमतौर से विलिंग्डन अस्पताल के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच उस समय चल रहे तनाव के बारे में थे और उनमें स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान, कर्मचारियों की विभिन्न मांगों जिनमें अस्पताल के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप भी सम्मिलित हैं, आकर्षित किया गया था।

(घ) तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले पर संसद् सदस्यों से 27-7-1968 और पुनः 2-8-1968 को विचार-विमर्श किया और उन्हें स्थिति से अवगत कराया।

(ङ) जी नहीं।

राज्यों द्वारा साधनों का बढ़ाया जाना

807. श्री रा० की० अमीन :

श्री द० रा० परमार :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री रणजीत सिंह :

श्री ब्रज भूषण लाल :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री सूरज भान :

श्री राम गोपाल शालवाले :

श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कलकत्ता में एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज की बैठक में मुख्य अतिथि के नाते अपने भाषण में राज्यों को अपने साधन बढ़ाने के लिये भू-राजस्व तथा कृषि आय पर अधिभार (सरचार्ज) लगाने का परामर्श दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष अपनाई गई नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) इस सिद्धान्त में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है कि अर्थ-व्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्र को, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में आय में वृद्धि होगी, स्वयं नये निवेशों के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे। किसान कृषि और उद्योग, दोनों में पूंजी लगाकर, सरकार के राजस्व में अपना अंशदान देकर तथा पानी और बिजली के लिए आर्थिक दृष्टि से उचित मूल्य अदा करके विकास के लिए साधन उपलब्ध कर सकते हैं।

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक को पंजाब में उर्वरक कारखाने की स्थापना हेतु ऋण

808. श्री रा० की० अमीन :

श्री भारत सिंह चौहान :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक को पंजाब में उर्वरक कारखाना स्थापित करने हेतु 8 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, नहीं। लेकिन श्री बीजू पटनायक द्वारा बनायी गयी कलिंग फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड नामक कम्पनी ने 58 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से जर्मनी की कम्पनियों के एक संघ मैसर्स उधे आटो एण्ड डाइडियर के सहयोग से पंजाब में रासायनिक खाद का एक कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के प्रश्न पर सरकार अभी विचार कर रही है। कम्पनी के नाम औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाने के बाद ही वित्तीय संस्थाएं उसे ऋण या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में किसी आवेदन पर विचार कर सकेंगी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

809. श्री रा० की० अमीन :

श्री रा० रा० सिंह देव :

श्री मोठालाल मोना :

श्री कृ० मा० कौशिक :

श्री एन० शिवप्पा :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री रा० बरुआ :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विद्यमान महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हो गया है कि मूल्य वृद्धि से वास्तविक मजूरी कम हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद से बातचीत हुई है और इस मामले में यदि कोई कार्यवाही करने प्रस्ताव है तो क्या ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). कर्मचारी पक्ष ने मंहगाई भत्ता देने के मौजूदा फार्मूले में संशोधन का मामला संयुक्त परामर्शदातातंत्र की राष्ट्रीय परिषद की जुलाई, 1968 में हुई बैठक में रखा था । परन्तु यह मामला विचार के लिए पेश नहीं हो सका, क्योंकि न्यूनतम वेतन सम्बन्धी मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिए देने के औचित्य के प्रश्न पर कुछ मतभेद हो जाने के कारण राष्ट्रीय परिषद की बैठक स्थगित हो गई थी । परिषद की 27-28 दिसम्बर, 1968 को हुई बैठक में चर्चा करने के लिए इस मामले को फिर से कार्य-सूची में शामिल किया गया था, परन्तु इस पर विचार करना स्थगित कर दिया गया ।

उड़ीसा में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

810. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजना में हाथ में ली जाने वाली बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और इन पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल समवायों के साथ करार

811. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समवायों के साथ हुए वर्तमान करारों को समाप्त करने के बारे में अब तक कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). कई अवसरों पर तेल कम्पनियों के साथ इस समस्या पर बातचीत की गई थी परन्तु अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

राज्यों द्वारा पूंजी की अदायगी

812. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :	श्री विभूति मिश्र :
श्री योगेन्द्र शर्मा :	श्री मीठालाल मीना :
श्री ईश्वर रेड्डी :	श्री रा० की० अमीन :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :	श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रामावतार शास्त्री :	श्री बदरुद्दुजा :
श्री अदिचन :	श्री क० मि० मधुकर :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :	श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री श्रीचन्द गोयल :	श्री रा० कृ० सिंह :
श्री गार्डिलिंगन गौड :	श्री भोलानाथ मास्टर :
श्रीमती इला पालचौधरी :	श्री हरदयाल देवगुण :
श्री हुकम चन्द कछवाय :	

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) इस समय प्रत्येक राज्य ने कितना कितना ऋण देना है ;
- (ख) क्या राज्य सरकारों की पूंजी अदायगी की समस्या पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है ;
- (ग) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने का क्या रास्ता ढूंढा गया है ; और
- (घ) किन-किन राज्यों ने ऋणों की अदायगी की शर्तों आदि में फेर बदल करने का अनुरोध केन्द्र से किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राज्य सरकारों के जिम्मे 31 मार्च, 1968 को केन्द्रीय सरकार के ऋणों की लगभग 5191 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी। राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आशा है कि इस बकाया रकम में इस वर्ष के अन्त तक लगभग 340 करोड़ रुपये की और वृद्धि हो जायगी।

(ख) से (घ). सरकार सभी राज्यों को दिये जाने वाले केन्द्रीय ऋणों को समेकित करने और परिशोधन की शर्तों को फिर से निश्चित करने की योजना पर विचार कर रही है। अभी कोई अन्तिम फैसला नहीं किया गया है।

31 मार्च, 1968 को राज्य सरकारों पर केन्द्रीय ऋणों की बकाया

रकमों का विवरण

(लगभग लाख रुपये में)

क्रम-संख्या	राज्य	रकम
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,91,44
2.	असम	2,03,04
3.	बिहार	5,19,50
4.	गुजरात	2,08,55
5.	हरियाणा	1,48,90
6.	जम्मू और कश्मीर	1,30,12
7.	केरल	1,91,80
8.	मध्य प्रदेश	3,76,30
9.	महाराष्ट्र	3,74,72
10.	मैसूर	2,58,00
11.	नागा लैण्ड	9,04
12.	उड़ीसा	3,22,68
13.	पंजाब	2,13,08
14.	राजस्थान	3,64,17
15.	उत्तर प्रदेश	5,93,98
16.	तमिलनाडु	3,17,11
17.	पश्चिम बंगाल	4,68,91
जोड़		<u>51,91,34</u>

टिप्पणी : ऊपर दिये गये आंकड़े अनन्तिम हैं ।

आसाम में पेट्रो-कैमिकल सार्थ समूह

813. श्री वेदव्रत बरुआ :

श्री बि० ना० शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम में पेट्रो-कैमिकल सार्थ समूह बनाने के

बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका आकार क्या होगा और उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। आसाम की राज्य सरकार आसाम में एक पेट्रो-रसायन योजना की अर्थ-व्यवस्था क्षमता स्थापित करने के लिए तकनीकी, इंजीनियरी डिजाइन आदि के फर्म कोटेशनों प्राप्त करने जा रही है क्योंकि पिछले दिनों में राज्य सरकार को, अपने कुछ अध्ययनों से उस राज्य में पेट्रो-रसायन उद्योगों को स्थापित करने की, सम्भावनाएं प्रतीत हुई थीं।

Government Hospital in District Pauri-Garhwal

814. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri J. Sundar Lal :**
Shri Shiv Charan Lal : **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Sharda Nand : **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3820 on the 9th December, 1968 and state :

(a) whether information regarding Government Hospital in District Pauri-Garhwal has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The requisite information was laid on the table of the Sabha on the 21st February, 1969.

Gunthichhora Dam in Pauri-Garhwal (U. P.)

815. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri J. Sundar Lal :**
Shri Ram Charan : **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Shiv Charan Lal : **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3836 on the 9th December, 1968 and state the details of progress since made in the construction work of Gunthichhora Dam in Pauri-Garhwal District of Uttar Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : Of the two generating units of 100 KW each under installation at Genth Cheera, one unit was commissioned on 31-1-69 and power supply to Deoprayag was commenced. The second unit is expected to be commissioned early in March 1969.

Arrest of Smugglers**816. Shri Om Prakash Tyagi :****Shri Gadilingana Gowd :**Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of smugglers arrested by Government during the year 1968, with the names of countries to which they belonged ; and

(b) the number of customs employees rewarded by Government for detecting smuggling and smugglers during 1968 ?

The Depury Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) 1490 Smugglers were arrested during 1968. They belonged to :—

(i) Afghanistan	—	3
(ii) Arabia	—	57
(iii) Burma	—	2
(iv) Ceylon	—	10
(v) China	—	1
(vi) Greece	—	5
(vii) India	—	1334
(viii) Indonesia	—	1
(ix) Iran	—	1
(x) Italy	—	1
(xi) Lebanon	—	1
(xii) Nepal	—	5
(xiii) Pakistan	—	66
(xiv) United Kingdom	—	3

(b) 1400 employees of the Customs and Central Excise Departments were rewarded in the year 1968.

अनर्ह चिकित्सा व्यवसायिकों को सीमित व्यवसाय के लिए अनुमति**817. श्री हेम बरुआ :****श्री सीताराम केसरी :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनर्ह चिकित्सा व्यवसायिकों को सीमित व्यवसाय करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). यह मामला अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन है ।

‘पी’ फार्म का जारी किया जाना

818. श्री हेम बरुआ :	श्री देवेन सेन :
श्री हरदयाल देवगुण :	श्री नि० रं० लास्कर :
श्री शारदानन्द :	श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री कंवर लाल गुप्त :	श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री जि० ब० सिंह :	श्री रा० वें० नायक :
श्री श्रीगोपाल साबू :	श्री गार्डिलिंगन गौड़ :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :	श्री सीताराम केसरी :
श्री रा० बरुआ :	श्री सेक्षियान :
श्री ओंकार लाल बेरवा :	श्री रामचन्द्र बीरप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों की यात्रा पर जाने वाले भारतीयों को ‘पी’ फार्म दिये जाने के बारे में सरकार ने उदारता की नीति अपना ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस उदारतापूर्ण नीति की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या विदेशों में व्यापारिक अथवा शैक्षिक यात्राओं पर जाने वाले लोगों को ‘पी’ फार्म दिए जाते हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अभी तक विदेश यात्रा की स्वीकृति उस हालत में दी जा सकती थी जबकि विदेश में अतिथि के रूप में बुलाने वाले व्यक्ति स्वीकृत श्रेणी के निकट सम्बन्धी हों, अर्थात् पिता/माता/भाई/बहन/चाचा/चाची/भतीजा/भतीजी/को अपने अन्य सम्बन्धियों या मित्रों से प्राप्त आतिथ्य के निमन्त्रणों के आधार पर विदेश यात्रा की अनुमति पाने का हक नहीं मिलता था। हाल में, परीक्षण के तौर पर यह फैसला किया गया है कि जिन मामलों में, अन्य सम्बन्धियों या मित्रों से विदेश यात्रा के लिए निमन्त्रण प्राप्त होता है, उन मामलों पर भी, उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाये बशर्ते कि विदेश में होने वाले स्थानीय आतिथ्य खर्च की अदायगी के अतिरिक्त दोनों ओर के यात्रा-खर्च की भी अदायगी विदेश से की जाय। ऐसे सभी मामलों में, यात्रा की अनुमति पाने का हक आपसे आप नहीं मिलता बल्कि पहले उनकी जांच-पड़ताल की जाती है और उनकी सचाई के सम्बन्ध में पूरी तसल्ली की जाती है।

उपर्युक्त परिवर्तन, परीक्षण के तौर पर लागू किया गया है और कुछ समय बाद उस पर फिर से विचार किया जायगा।

(ग) जिन मामलों में, कारबार के सम्बन्ध में, विदेश यात्रा की अनुमति दी गयी हो, उन मामलों में तथा विदेशों में अध्ययन करने के लिए विदेशी मुद्रा देने की व्यवस्था नियमों में है बशर्ते कि कुछ निर्धारित शर्तें पूरी की जायं। यदि विदेश में, अतिथि के रूप में बुलाने वाला व्यक्ति

स्वीकृत श्रेणी के अन्तर्गत आता हो, तो विदेश में शिक्षा-यात्रा के लिए 'पी' फार्म की स्वीकृति दी जा सकती है। कारबार के सम्बन्ध में, विदेश-यात्रा के लिए 'पी' फार्म की मंजूरी सामान्यतः तभी दी जाती है जब विदेश में अतिथि के रूप में बुलाने वाला व्यक्ति स्वीकृति श्रेणी के अन्तर्गत आता हो और इसके अतिरिक्त विदेश यात्रा के लिये युक्ति-संगत आधार हो।

नगर निगमों के लिए "रिवॉल्विंग" निधि

819. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

श्रीमती इला पालचौधरी :

श्री सीताराम केसरी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय महापौर परिषद् की बड़ौदा में हुई हाल की बैठक में पास किये गये इस आशय के संकल्प की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार को नगर निगमों की सहायतार्थ एक "रिवॉल्विंग" निधि बनानी चाहिए जिससे वे विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। इस संकल्प की एक प्रति हाल ही में मिली है।

(ख) इस प्रकार के एक अन्य प्रस्ताव पर सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है।

भारत-नेपाल सीमा पर वस्तुओं की तस्करी

820. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

श्री प० मु० सईद :

श्री रा० की० अमीन :

श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री सीताराम केसरी :

श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-नेपाल सीमा पर वर्ष 1968 में वस्तुवार, चोरी छिपे ले जाने वाली कुल कितने मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई ;

(ख) क्या ऐसी वस्तुओं की तस्करी में वृद्धि हुई है ; और

(ग) इस सीमा पर तस्कर व्यापार रोकने के लिये क्या अग्रेतर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत-नेपाल सीमा पर वर्ष 1968 में पकड़ी गई तस्कर आयात-निर्यात की वस्तुओं के मूल्य का वस्तुवार व्योरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ख) 1968 में पकड़े गए मामलों की संख्या में तथा पकड़ी गई वस्तुओं के मूल्य में उसके पूर्ववर्ती वर्षों में पकड़े गए मामलों की संख्या तथा पकड़ी गई वस्तुओं के मूल्य की तुलना में वृद्धि हुई है। परन्तु यह कहना कठिन है कि ऐसी वस्तुओं के तस्कर आयात-निर्यात में वृद्धि हुई है।

(ग) भारत-नेपाल सीमा पर तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किये गये हैं तथा निवारक उपायों को सुदृढ़ कर दिया गया है।

विवरण

I. नेपाल से आयात हुई

वस्तुएं	रुपयों में मूल्य
1. ट्रांजिस्टर/रेडियों	— 1,20,422
2. टेप रिकार्डर	— 12,492
3. घड़ियां/दीवार घड़ियां	— 54,414
4. फाउन्टेन पेन/बाल-पाइन्ट-पेन/ रिफिल	— 64,542
5. कैमरे	— 1,84,388
6. चमकदार धागा/धातु का धागा	— 8,97,760
7. नाइलोन धागा	— 22,345
8. नाइलोन के मोजे	— 661
9. चीनी (शर्करा)	— 2,98,638
10. यांत्रिक लाइटर/चकमक पत्थर	— 16,571
11. वस्त्र	— 2,59,281
12. ताश	— 945
13. लौंग/दालचीनी	— 58,928
14. स्टेनलेस स्टील के बर्तन	— 781
15. अन्य वस्तुएं	— 5,80,961

योग.. 25,73,129

II. नेपाल को निर्यात

1. जूट	— 2,14,388
2. डेरे/डेरों का कपड़ा	— —
योग..	2,14,388

फरक्का बांध में दरार

821. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

श्री श्रीधरन :

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

श्री वि० कु० मोडक :

श्री पी० राममूर्ति :

श्री गणेश घोष :

श्री भगवान दास :

श्री क० लकप्पा :

डा० सुशीला नैयर :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्रीमती इला पालचौधरी :

श्री पी० विश्वम्भरन :

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

श्री शशि भूषण :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इण्डियन एक्सप्रेस', दिनांक 24 दिसम्बर, 1968 में प्रकाशित यह समाचार सही है कि फरक्का बांध के पायों में दरारें पड़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके कारणों का पता लगाया है ;

(ग) क्या इन दरारों से बांध को खतरा है ; और

(घ) उसकी मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा दरारों की मरम्मत में कुल कितनी लागत तथा समय लगेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिकुड़न तथा ताप विभिन्नता के कारण फरक्का बराज के कुछ एक स्तम्भों में कुछ बारीक दरारें देखी गईं ।

(ख) जी, हां । एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने कारणों की जांच की ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इपाक्सी की पतली भराई द्वारा इन दरारों को बंद करने के लिये कदम उठाए गए हैं । लगभग 20,000 रुपये की लागत आएगी और तीन सप्ताह का समय लगेगा ।

भारत से बाहर चोरी छिपे चांदी ले जाना

822. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

श्री वि० ना० शास्त्री :

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

श्री रा० की० अमीन :

श्री जार्ज फरनेन्डीज :

श्री अविचन :

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री विभूति मिश्र :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में कुल कितने मूल्य की चांदी देश से बाहर चोरी छिपे ले जाई गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि देश से बाहर चांदी चोरी छिपे ले जाना रोकने के लिए सरकार ने हाल ही में कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यह उपाय कहां तक कारगर सिद्ध हुए हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1968 के दौरान देश के बाहर अवैध रूप से निर्यात की गयी चांदी के मूल्य के बारे में सरकार के पास कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। लेकिन 1968 के दौरान लगभग 4.43 करोड़ रुपये के मूल्य की चांदी पकड़ी गयी।

(ख) जी, हां।

(ग) गुप्त सूचना इकट्ठा करने, तटीय क्षेत्रों में जांच करने, जलयान प्राप्त करने की सुव्यवस्था के अलावा, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्धित समाहर्ता-कार्यालयों में निरोधक कर्मचारियों की संख्या समुचिततौर से बढ़ा दी गई गयी है। 3 जनवरी, 1969 को सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश 1969 भी जारी किया गया है जिसके द्वारा कुछ जिन्सों के अवैध आयात तथा निर्यात को रोकने और उनका पता लगाने के काम को सुविधाजनक बनाने के विशेष उपाय के तौर पर सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 में अतिरिक्त उपबन्ध किये गये हैं। जहां तक चांदी पर नियंत्रण का सवाल है, अध्यादेश और उसके अन्तर्गत जारी किये गये नियमों तथा अधिसूचनाओं में यह उपबन्ध है कि भारत के पश्चिमी तट से 50 किलो मीटर अन्दर की ओर फैले भू-भाग के, तथा पूर्वी तट का जो हिस्सा तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र में आता है उस निर्दिष्ट क्षेत्र के अन्दर चांदी रखने के स्थानों की सूचना सीमा-शुल्क अधिकारियों को देनी होगी, चांदी का लाना-लेजाना वाउचर-कवर के अधीन होगा, निर्धारित हिसाब-किताब रखना होगा तथा फर्जी व्यक्तियों के नाम में विक्री से बचने के लिए उचित उपाय करने होंगे।

(घ) प्रेस-रिपोर्टों से लगता है कि अध्यादेश जारी किये जाने के कारण अवैध निर्यात के लिए चांदी की मांग में गिरावट हुई है। दिसम्बर, 1968 के पहले सप्ताह में, जब सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक 1968 पेश किया गया था और जिसमें वे उपबन्ध समाविष्ट थे जो बाद में अध्यादेश के रूप में जारी किये गये, तब देशी बाजारों में चांदी के भाव लगभग 580 रुपये प्रति कि० ग्रा० थे, और वहां से फरवरी 1969 के मध्य में भाव गिरकर 510 रु० से 520 रु० प्रति कि० ग्रा० हो गये। इससे भी लगता है कि अध्यादेश में किये गये उपाय अवैध निर्यात को किसी हद तक कम करने में कामयाब रहे हैं तथा उनसे चांदी की मांग में कमी आयी है।

Persons Assessed to Income Tax in Pauri-Garhwal (U. P.)823. **Shri Kashi Nath Pandey :****Shri Arjun Singh Bhadoria :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of persons being assessed to Income-tax in Pauri-Garhwal (U. P.)?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :
Number of persons on the General Index Register of the Department in Pauri-Garhwal is 836.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य का अनुमान824. **डा० सुशीला नैयर :****श्री दे० अमात :****श्री गु० च० नायक :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के गत पांच वर्षों के कार्य का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में किन-किन अनियमितताओं का पता लगाया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों के अनुमान लगाने का काम एक लगातार चलने वाला कार्य है और सरकार इसके कार्यकलापों का सतत पुनरीक्षण करती है। पिछले पांच सालों की अवधि में सरकार को निम्न मुख्य त्रुटियों का पता चला :—

- (1) स्टोर्स एवं फालतू पुर्जों की खरीद एवं खपत पर अपर्याप्त जांच-पड़ताल रही; जिसके परिणामस्वरूप वस्तु सूची एक लम्बी सूची बन गई।
- (2) व्ययन दक्षता में कमी आई।
- (3) खोज द्वारा मालूम किये गये तेल क्षेत्रों का विकास धीमा रहा। आयोग का इन कमियों की ओर ध्यान लगातार दिलाया गया। अक्टूबर, 1965 में भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के एक प्रवर अधिकारी को स्टोर्स और फालतू पुर्जों के लेखा पद्धति में सुधार के बारे में आयोग को परामर्श देने का कार्य सौंपा गया। इसके परिणामस्वरूप आयोग के स्टोर्स लेखा को अब संतोषजनक तरीके में रखा जा रहा है। इसी प्रकार लगातार पुनरीक्षण से रिगों के उपयोग में सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप व्ययन कार्य में अधिक दक्षता प्राप्त हुई। उत्पादन में वृद्धि के विचार से, नये मालूम हुए तेल-क्षेत्रों के विकास में तेजी

लाकर खोज के परिणामों को इकट्ठा करने के बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को लगातार परामर्श दिया गया। आयोग इन सुझावों को अब कार्यान्वित कर रहा है।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड

825. डा० सुशीला नैयर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड की अनियमितताओं, चोरी, माल में कमी आदि के कारण उसके कार्य शुरू करने से, अब तक कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या मामले की जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) त्रुटियों का पता लगाने तथा उसकी क्रियान्विति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड को अनियमितताओं, चोरी और माल में कमी के कारण कोई हानि नहीं हुई।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में केन्द्रीय डिपो

826. डा० सुशीला नैयर :

श्री ए० श्रीधरन :

श्री दे० अमात :

श्री क० लक्ष्मण :

श्री गु० च० नायक :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968, में किसी समय रूसी विशेषज्ञ आसाम स्थित केन्द्रीय डिपो देखने गये थे और उन्होंने वहां पर आधुनिकतम और कीमती उपकरणों तथा नये छिद्रण पाइपों को रखने के तरीकों की कटु आलोचना की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण कितनी राशि की क्षति हुई है ; और

(ग) अनावश्यक हानि को रोकने के लिये उपकरणों को सुरक्षित रखने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). जी हां, परन्तु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को खुले स्थान पर पड़े हुए किसी उपकरण के बारे में कोई हानि नहीं हुई है। असम के शिवसागर परियोजना में खुले स्थान पर कुछ उपकरण

रखे हुए थे क्योंकि वहां पर पर्याप्त संग्रह-स्थान के उपलब्ध होने से पहले ही उपकरण बड़ी मात्रा में अचानक प्राप्त हुए। उन उपकरणों के संग्रह के लिए आयोग ने बहुत पहले ही अतिरिक्त शैड बनवा लिए हैं।

करनाल (हरियाणा) राज्य में बलात वेसकटामी आपरेशन

827. श्री बाबूराव पटेल :

श्रीमती इला पालचौधरी :

श्री वि० ना० शास्त्री :

श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री वंश नारायण सिंह :

श्री जि० ब० सिंह :

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री भरत सिंह चौहान :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री क० लकप्पा :

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

श्री पी० विश्वम्भरन :

श्री भोला नाथ मास्टर :

श्री रवि राय :

श्री ई० के० नायनार :

श्री शारदानन्द :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा के भूतपूर्व उप-मुख्यमंत्री, श्री चांद राम, ने कहा है कि करनाल की पुलिस निर्धन हिन्दू हरिजनों को, हरियाणा के अनेक गांवों से अनिवार्य वेसकटामी आपरेशन के लिये बलपूर्वक आपरेशन की मेज पर लाती है, और न केवल युवक हरिजनों की अपितु 55 और 60 वर्ष की आयु के हरिजनों का भी बलात वेसकटामी आपरेशन किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन पुलिस कर्मचारियों का परिवार नियोजन के प्रति उत्साह दिखाने का कारण यह है कि हरियाणा सरकार ने वेसकटामी आपरेशन के लिये 20 व्यक्तियों को लाने वाले किसी भी पुलिस कर्मचारी को एक ट्रांजिस्टर सेट देने की घोषणा की है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान एक संवाददाता सम्मेलन में श्री चांद राम द्वारा लगाये गये अनेक आरोपों, जो 8 जनवरी, 1969 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुए थे, की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) से (घ). करनाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों द्वारा नसबन्दी के मामलों में, विशेषकर हरिजनों के साथ तथाकथिक जबर्दस्ती करने के मामलों की ओर, जिसका समाचार 10 जनवरी के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ था, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा जांच किये

जाने पर यह पता चला है कि राज्य में किसी भी नसबन्दी आपरेशन के लिये जोर-जबरदस्ती नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी हैं ताकि कोई भी नसबन्दी के मामलों में जोर-जबरदस्ती न कर सके।

जनपथ, नई दिल्ली स्थित कई मंजिल की इमारत में दुकानों का आवंटन

828. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1026 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ स्थित कई मंजिल की इमारत में दुकानों का आवंटन करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाय इसके बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये दुकानें जनपथ पर इस समय विद्यमान स्टाल होल्डरों को मिल सकेंगी ;

(ग) क्या जनपथ स्थित स्टाल के मालिकों को पक्की दुकानें देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और कहाँ ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). मामला सरकार के विचाराधीन है।

पंजाब में उर्वरक कारखाना

829. श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री ए० श्रीधरन :

श्री कामेश्वर सिंह :

श्री रवि राय :

श्री रा० कृ० सिंह :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह कारखाना स्थापित करने के लिये जिस पार्टी को आशय पत्र दिया गया है उसने करोड़ों रुपये की आयकर की बकाया राशि देनी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) उस पार्टी ने जिसे आशय-पत्र जारी किया गया है, अभी विस्तृत वित्तीय व्यवस्था और विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव भेजने हैं।

(ख) पार्टी ने 31 दिसम्बर, 1968 को 50,18,140.35 रुपये के आयकर की बकाया राशि देनी थी। आयकर अपील अधिकरण ने कर निर्धारण के मुख्य भाग को रद्द कर दिया है और इसे ध्यान में रखते हुए अब बकाया आयकर दिया नहीं जाना है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

Investments by States

830. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Brij Bhushan Lal :

Shri Jagannath Rao Joshi :

Shri Suraj Bhan :

Shri Ram Gopal Shalwale :

Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Fifth Finance Commission has stated that even the interest on the capital of six thousand crores of rupees invested by the States is not being received from the public sector and that the more the loans the States go on taking the more rapidly they would be heading towards bankruptcy ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Newspaper reports indicate that the Chairman of the Fifth Finance Commission had in a Press Conference stated that the investments in public undertakings were not giving good returns in all States and that both loans and interest had to be paid by the States from their own revenues. He pointed out that if the undertakings did not yield enough even to cover the interest on the investments, the revenues of the States would be adversely affected. The Chairman also said that it was for the States to tap all possible sources of revenue and that if they failed to do so it was not possible for the Commission to help them.

(b) The Government of India agree that public undertakings should generate surplus by improving their efficiency.

Financial Assistance to Foreign Missionaries

831. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Brij Bhushan Lal :

Shri Jagannath Rao Joshi :

Shri Ram Gopal Shalwale :

Shri Ranjit Singh :

Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Central assistance given to schools, hospitals and other institutions run by foreign missionaries, State-wise, during the last five years ; and

(b) whether Government are satisfied that the aid given to these institutions has been and is being used only for serving people and in the general public interest ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as received.

Labels on Soap

832. Shri Atal Bihari Vajpayee :	Shri Bansh Narain Singh :
Shri Brij Bhushan Lal :	Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Jagannath Rao Joshi :	Shri K. Lakkappa :
Shri Ram Gopal Shalwale :	Shri A. Sreedharan :
Shri Ranjit Singh :	Shri Ram Charan :
Shri Sharda Nand :	Shri Molahu Prasad :
Shri Kanwar Lal Gupta :	Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

- the ground on which it was considered necessary to seek the advice of Indian Soap and Toilet Makers' Association in regard to the matter of making it obligatory to mention the use of tallow on the wrappers of those soaps in the manufacture of which tallow is used ;
- when their advice was sought and whether it has been received ;
- if so, the reaction of Government thereto and the action taken thereon ; and
- if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) to (d). It is not correct to say that this Ministry has sought the advice of the Indian Soap and Toiletries Maker's Association in regard to the matter of making it obligatory to mention the use of tallow on the wrappers of those soaps in the manufacture of which tallow is used. During the course of supplementaries to Starred Question No. 153 in the Lok Sabha on 29th July, 1968, the then Minister (P & C) gave an assurance that the suggestion regarding labelling of soaps which contain tallow would be examined. Accordingly, the Indian Soap and Toiletries Makers' Association was addressed in the matter on the 27th August, 1968, enquiring if the members of the Association would be agreeable to indicate on the wrappers whether or not the soaps marketed by them contained animal fat and/or tallow. The Association have considered the suggestion and feel that it would suffice if some brands of toilet soap made of vegetable oils only with appropriate markings on the wrappers were marketed to cater to the demand of the section of the population which has objection to the use of soaps containing animal fat. Actually, one of the main manufacturers has marketed a brand of toilet soap made of vegetable oils only with appropriate marking on the wrappers. It is further reported that one or two other soap manufacturers also have planned to bring out in the near future similar soaps with similar indication on the wrappers. Synthetic detergents which do not contain any fat whether vegetable or animal are already available in powder form for laundry purposes. One of the manufacturers has marketed detergents in tablets and some other manufacturers also intend to do so shortly. The Association feels that in view of the foregoing, it will not serve any useful purpose to market other soaps as "containing animal fat". Government are inclined to accept the view point of the Association.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में सब इंस्पेक्टर

833. श्री नंजा गौडर :	श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री रा० वें० नायक :	श्री रा० की० अमीन :
श्री नन्दकुमार सोमानी :	श्री चं० चु० देसाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- क्या भारत सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के 500 सब-इंस्पेक्टरों की

सेवाओं को समाप्त करने निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन्हें किसी अन्य विभाग में नियुक्त किया जा रहा है अथवा नहीं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ?

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

(ग) फिर भी यह कहा जा सकता है कि 1 जून, 1968 से बहुत बड़ी संख्या में उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं पर से स्थानीय नियन्त्रण हटाये जाने के कारण सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में उपनिरीक्षकों के 417 पद फालतू पाये हैं । इन फालतू उप-निरीक्षकों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क विभाग में खपाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथी के औषधालय

834. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने रूरल होम्योपैथिक मेडिकल ऐड कमेटी, की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को यह सुझाव दिये हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम सौ राज्य सहायता प्राप्त औषधालय खोलें ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये सुझावों पर राज्य सरकारों की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है ;

(ग) क्या राज्य सहायता प्राप्त होम्योपैथिक औषधालयों को चलाने में सरकार कोई सहायता देगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1965 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया था ।

(ख) केवल बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारें ही योजना को कार्यान्वित कर रही हैं । बिहार में 14 और उत्तर प्रदेश में 64 होम्योपैथिक औषधालय चल रहे हैं ।

(ग) और (घ). प्रस्ताव यह है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को स्वास्थ्य सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिये इकट्ठी सहायता दे ।

गुजरात और आसाम में तेल के लिये स्वामिस्व के बारे में प्रधान मंत्री का निर्णय

835. श्री क० प्र० सिंह देव :	श्री अदिचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :	श्री हेम बरुआ :
श्री रा० रा० सिंह देव :	श्री विभूति मिश्र :
श्री मुत्तुस्वामी :	श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वि० ना० शास्त्री :	श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० की० अमीन :	श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने आसाम और गुजरात में तेल के स्वामिस्व के बारे में अपने निर्णय की घोषणा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) (1) रायल्टी देशीय कच्चे तेल के प्रति मीटरी टन 100.00 रुपये के औसत मूल्य पर आधारित होनी चाहिए ।

(2) उपर्युक्त औसत मूल्य को 10 प्रतिशत (अर्थात् प्रति मीटरी टन 10 रुपये) रायल्टी निर्धारित किया जाना चाहिए ।

(3) अतः यह निर्धारित दर चार वर्षों के लिये लागू रहेगी ; इस अवधि की समाप्ति पर पुनः विचार किया जाना चाहिए ।

(4) पंचाट पहली जनवरी, 1968 से लागू होना चाहिए ।

(ग) कुछ दिन पहले गुजरात के मुख्य मंत्री से कुछ संशोधनों का सुझाव या पंचाट के आलोप के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ था ; जो विचाराधीन है । असम सरकार से पंचाट के बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

रवीन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली

836. श्री क० प्र० सिंह देव :	श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रा० रा० सिंह देव :	श्री ज० मुहम्मद इमाम :
श्री रा० की० अमीन :	श्री चं० चु० देसाई :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्माण की गई रवीन्द्र रंगशाला

का उद्घाटन किया गया है और यदि हां, तो कब ;

(ख) उक्त रंगशाला में अब तक कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है ;

(ग) आडिटोरियम के रखरखाव पर कुल कितना खर्च होगा ;

(घ) क्या इस बारे में सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1969 को नेशनल हेरल्ड में, "बेस्ट आडिटोरियम गोज अबेगिंग" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां, इसका उद्घाटन 24 अक्टूबर, 1968 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हुआ ।

(ख) रंगशाला में अभी तक किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में, 1 अप्रैल, 1968 से 31 जनवरी, 1969 तक रखवाली तथा पहरा व निगरानी सहित 1,15,695 रुपये ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) रंगशाला का किराया 2,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है । अन्य सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय तेल निगम

837. श्री प्रेम चन्द वर्मा :

डा० सुशीला नैयर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम को (1) अनियमितताओं (2) चोरी, (3) स्टॉक में कमी (4) आग अथवा ऐसे अन्य कारणों से कितनी हानि हुई;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : 1967-68 के दौरान 31.65 लाख रुपये; जिसमें स्टॉक की हानि के कारण 28.66 लाख रुपये, चोरी के कारण 1.16 लाख रुपये और आग एवं अन्य कारणों से 1.83 लाख रुपये । स्टॉक-हानि उतारने-चढ़ाने और वाष्पीकरण आदि के कारण होती है तथा यह तेल उद्योग में सामान्य सीमाओं से काफी कम थी ।

(ख) और (ग). जी हां । पुलिस द्वारा की गई जांचों को शामिल करते हुए उचित अन्वेषणों के बाद जहां कहीं आवश्यक समझा गया, चोरी, आग/संग्रह में ह्रास आदि के कारण हुई हानियों को बट्टे खाते में डाला गया है । कुछ दावे बीमा कंपनियों ने स्वीकार किये हैं ।

नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में दुकानों का आवंटन

838. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में दुकानों के आवंटन के लिये टेंडर मांगे गये थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रकार की दुकान के लिये कितने-कितने टेंडर प्राप्त हुए और इन टेंडरों पर अन्तिम निर्णय करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) इन दुकानों को कब तक आवंटित किये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को इस मामले में विशेष रियायत दी जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विभिन्न क्षेत्रों की जिन 121 दुकानों के लिये (जिनमें एक काउण्टर वाली दुकान भी सम्मिलित है) टेंडर मांगे गये थे उनके सम्बन्ध में कुल 266 टेंडर (जिनमें देर से मिले 12 टेंडर सम्मिलित हैं) प्राप्त हुए । अब तक 115 दुकानों (जिनमें काउण्टर वाली एक दुकान भी सम्मिलित है) का आवंटन किया जा चुका है । शेष दुकानों के शीघ्र ही आवंटन कर दिये जाने की सम्भावना है ।

(घ) यह विषय विचाराधीन है ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बाढ़ के सम्बन्ध में चेतावनी देने का केन्द्र

839. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बाढ़ के सम्बन्ध में चेतावनी देने की व्यवस्था के कुछ केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) स्थानों का चयन करने का आधार क्या है; और

(घ) प्रत्येक केन्द्र पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राज्य सरकार के अधिकारियों को निकट आ रही बातों के संबंध में वैज्ञानिक पूर्व सूचनाएं जारी

करने के लिए, ताकि वे ठीक समय पर लोगों को सतर्क करने के लिए कार्रवाई कर सकें तथा बचाव और राहतकारी उपायों का प्रबंध कर सकें, गोहाटी, जलपाईगुड़ी, पटना, लखनऊ, सूरत और भुवनेश्वर में बाढ़ पूर्वसूचना केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

(ग) केन्द्रों को उन क्षेत्रों में चुना गया है जो बाढ़ों द्वारा होने वाली क्षति से बहुत आसुरक्षित हैं ताकि पूर्वसूचनाओं से इंसानी जानों, मवेशियों और चल-सम्पत्ति की हानि कम हो जाए।

(घ) अभी विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं। चौथी योजना में छः केन्द्रों पर लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। हर केन्द्र की धन संबंधी आवश्यकताएं पृथक्-पृथक् हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते अस्पताल

841. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 'चलते फिरते अस्पतालों' के सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार व्योरा क्या है;

(ग) इस योजना की क्रियान्विति पर राज्यवार कितना खर्च आने की सम्भावना है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'ना' में है, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ग्राम क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का काम है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा आवंटन की नीति निर्धारित न किये जाने के कारण किराये पर न चढ़ाये गये प्लैट

842. श्री वि० नरसिम्हा राव :

श्री देवेन सेन :

श्री म० ला० सोंधी :

श्री के० एम० अब्राहम :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री अनिरुद्धन :

श्री पी० राममूर्ति :

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री अदिचन :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस

समाचार की ओर दिलाया गया है कि तिलकनगर तथा राजौरी गार्डन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये बने लगभग 900 फ्लैटों के लिये आवंटन की नीति निर्धारित करने में दिल्ली नगर निगम को दो वर्ष लग गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश फ्लैट 1967 के पहले तीन मास में तैयार हो गये थे;

(ग) यदि हां, तो कितनी हानि हुई, उन्हें खाली रखने के क्या कारण थे; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

टाटा उर्वरक कारखाना

843. श्री देवेन सेन :

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री शारदानन्द :

श्री ओंकार सिंह :

श्री अदिचन :

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री शिव चन्द्र झा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ईरान वार्ता के दौरान प्रतिपादित संयुक्त उपक्रम के प्रस्ताव की परिधि के अन्तर्गत वर्तमान टाटा उर्वरक परियोजना भी आती है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कितने तरल अमोनिया का आयात किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सौदा विदेशी मुद्रा के आधार पर होगा अथवा वस्तु-विनियम के आधार पर; और

(घ) यदि हां, तो वस्तु-विनियम करार के अन्तर्गत कौन-कौन सी भारतीय वस्तुएं भेजी जायेंगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) हाल ही में भारत-ईरान वार्ता के दौरान हुए करार के अनुसार स्थापित किये गये संयुक्त आयोग की उप-समिति, संयुक्त उपक्रम के प्रस्ताव का अभी अध्ययन कर रही है । टाटा उर्वरक परियोजना भी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

Violation of Customs Rules

844. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons coming from abroad from whom illegal goods have been recovered by the Customs Departments of Bombay, Calcutta and Delhi during 1968 and in 1969 so far ;

(b) the percentage of Indian nationals and foreign nationals out of them ; and

(c) the number and names of Members of Parliament, if any, and gazetted officers out of Indian nationals who have been punished for violation of law ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai :

(a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Profit Earned by Foreign Oil Companies

845. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the profit earned by Indo-Burma, Caltex and Esso Oil Companies during the last three years ;

(b) the percentage of their profit remitted by the said Companies abroad ;

(c) whether these Companies are suffering losses on account of the existence of the Indian Oil Company ; and

(d) if so, whether Government propose to take over these private companies ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b). Information in respect of the years 1965 to 1967 is as follows :

Name of the Company	Gross profit during 1965-67 Rs./lakhs approx.	Net profit during 1965-67 Rs./lakhs approx.	Remittance of profit during same period	
			Approx. percentage of Gross profit	Approx. percentage to net profit
1. Indo-Burma Petroleum Company Ltd. ..	124.76	46.11	14.92%	40.38%
2. Caltex (India) Ltd. ..	366.45	127.28	Nil	Nil
3. Esso Standard Eastern Inc. ..	293.00	60.50	17.34%	83.97%

(c) No.

(d) Does not arise.

Loans given to M/s. Kilachand Devichand and Co.

846. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans given to Kilachand Devichand and Company, Bombay by his

Ministry so far and the names of establishments for whose setting up these loans were advanced ;

(b) whether it is a fact that the above company has not complied with the schedule of repayment of the loan ; and

(c) if so, the reasons for adopting a liberal attitude in realising the loans ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) to (c). The Finance Ministry as such has not given any loans to this concern. Information in regard to any loans that may have been granted by the financial institutions is being collected and will be laid on the Table of the House.

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

847. श्री रा० कृ० सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कितने मामलों का पता लगा ; और

(ख) ऐसे मामले फिर न हों इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रवर्तन निदेशालय ने, वर्ष 1968 के दौरान, विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के संदिग्ध उल्लंघनों के 1854 मामले जांच-पड़ताल के लिये दर्ज किये ।

(ख) जांच-पड़ताल से, जिन मामलों में, विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के उल्लंघनों का पता चलता है, उनमें, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाती है। प्रवर्तन अभिकरण निरंतर सतर्क है तथा ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करते हैं। विनियमन के उपबन्धों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम का पिछला संशोधन 1965 में किया गया था। अपराधियों को अन्य बातों के साथ-साथ अधिक कठोर तथा निवारक दण्ड देने की व्यवस्था करने के लिये, उपर्युक्त अधिनियम में कुछ अन्य संशोधन करने की बात विचाराधीन है।

महात्मा गांधी के हत्या स्थल पर स्मारक का निर्माण

848. श्री रा० कृ० सिंह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस स्थान पर जहां महात्मा गांधी की हत्या की गई थी उनका स्मारक बनाने की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है ; और

(ग) क्या वह स्मारक 2 अक्टूबर, 1969 को बनकर तैयार हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं। अभी तक नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रीन तथा ब्लैक चाय का स्तर

849. श्री हेमराज : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 9 दिसम्बर, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3696 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था ने कांगड़ा और देहरादून की हरी और काली चाय का परीक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर केन्द्रीय खाद्य मानक समिति ने विचार कर लिया है; और

(ग) सरकार के विचारार्थ रिपोर्ट कब तक तैयार हो जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति को भारतीय मानक संस्थान की सिफारिशों उपलब्ध हो जाने तथा उनके द्वारा इन पर विचार कर लिये जाने के बाद सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

भाखड़ा और बिहार नियंत्रण मण्डलों के निदेशकों की समिति

850. श्री हेमराज : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित राज्यों के भाखड़ा तथा बिहार नियंत्रण मंडल की निदेश-समिति की कोई बैठक मास दिसम्बर, 1968 में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई तथा इस सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकाले गये ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भाखड़ा और व्यास नियंत्रण बोर्ड के निदेशकों की कोई समिति नहीं है। किन्तु पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1960 के अधीन, अक्टूबर, 1967 से भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड और व्यास निर्माण बोर्ड स्थापित किए गये हैं। दिसम्बर, 1968 में व्यास निर्माण बोर्ड की कोई बैठक नहीं की गई थी। किन्तु भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड की एक बैठक 13 दिसम्बर, 1968 को हुई थी।

(ख) रोजमर्रा के प्रशासनिक और प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों के बारे में लिए गये निर्णयों के

अतिरिक्त इस बैठक में लिए गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ये थे :—

- (1) पंजाब सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर आवृद्धित मंहगाई भत्ता दिया जाए ।
- (2) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को पन-बिजली की सप्लाई के सम्बन्ध में जन्त की गई छूट (कटौती) के कारण संचित राशि को छोड़ दिया जाए । कम बिजली अनुपात के कारण दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान से वसूल की हुई राशि यथाशीघ्र ली जाए; और दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को बिजली की सप्लाई के लिए संशोधित दरों के सम्बन्ध में करार किया जाए; और
- (3) पदों के कम हो जाने के परिणामस्वरूप, भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड से अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के अधिकारियों को प्रतिवर्तित अथवा स्थानान्तरित करने से पहले उनकी राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों से सलाह ली जाए ।

मीठापुर में टाटा उर्वरक परियोजना

851. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री अदिचन :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

श्री एस० आर० दामानी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 18 दिसम्बर, 1968 को मीठापुर उर्वरक संयंत्र के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान की नेशनल पेट्रोलियम एण्ड कम्पनी अथवा अन्य स्रोतों से तरल अमोनिया की सप्लाई सहित अन्य वैकल्पिक विदेशी सहायता पर सहयोग इस बीच प्राप्त हो गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है;

(ख) क्या अमरीका की फर्म मैसर्स एलाइड कैमिकल्स द्वारा पेशकश वापस लिये जाने के कारण होने वाले विलम्ब से इस संयंत्र को हानि पहुंचेगी, और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) अमरीका द्वारा अपनी पेशकश वापस लिये जाने के कारण कितनी मुद्रा की हानि होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) मैसर्स टाटा कैमिकल्स ने तरल अमोनिया, फास्फोरिक एसिड तथा सल्फर की सप्लाई के सिवाय ईरान की नेशनल पेट्रोलियम कम्पनी से किसी विदेशी सहायता या सहयोग का जिक्र नहीं किया है ।

(ख) प्रस्ताव का अभी तक अनुमोदन नहीं हुआ है और विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अमरीका के मैसर्स एलाइड कैमिकल्स द्वारा परियोजना की साम्य पूंजी में 5 करोड़ रुपये तक की साझेदारी की आशा थी । उनके पेशकश के वापस लिये जाने से उस सीमा तक अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी ।

दिल्ली प्रशासन की उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नीति

852. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री अदिचन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों तथा नेफा की शासन प्रणालियों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई मुरारका समिति ने यह मत व्यक्त किया था कि दिल्ली प्रशासन की उत्पादन-शुल्क संबंधी नीति से चोरी-छिपे शराब बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने यह टिप्पणी प्रशासन द्वारा हाल में किये गये इस निर्णय के संदर्भ में की थी कि विदेशी किस्म की भारतीय शराब के विक्रेताओं के लिये लाइसेंस फीस में वृद्धि की जाये, और इसी कारण उक्त अध्ययन दल के अनुसार, मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी एक समस्या बन गई है ; और

(ग) इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की उत्पादन-शुल्क संबंधी नीति में क्या सुधार किये जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) समिति का यह अभिमत था कि "दिल्ली में देशी शराब की कीमतें ऊंची होने से, अवैध तरीके से शराब बनाने को और जिन पड़ोसी राज्यों में कीमतें काफी कम हैं, वहां से चोरी छिपे दिल्ली में शराब लाने को प्रोत्साहन मिला है ।"

(ख) जी, हां ।

(ग) लाइसेंस शुल्क/कर-निर्धारण शुल्क लगाने की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के कुछ प्रस्तावों पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है ।

बम्बई और गुजरात के तटों के निकट माल का तस्कर व्यापार

853. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री अदिचन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र (बम्बई) और गुजरात के तटों पर आसानी से तस्कर व्यापार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने तस्कर व्यापारियों पर कितनी बार छापा मारा था और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक बार कितना तथा क्या-क्या तस्करी का माल पकड़ा गया था ; और

(ग) इन तटों पर अन्य देशों से चोरी-छिपे माल लाये जाने को कारगर ढंग से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) नवम्बर, 1968 से जनवरी, 1969 तक पिछले तीन महीनों में गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य और गोआ संघ राज्य क्षेत्र में 524 मौकों पर तस्कर-आयात निर्यात करने वालों की रोक-टोक की गयी, जिससे लगभग 2.84 करोड़ रुपये का चोरी-छिपे लाया गया माल पकड़ा गया । पकड़े गये माल में सोना, चांदी, घड़ियां, मुद्रा, ब्लेड, लाइटर तथा चकमक पत्थर, नकली तथा धातु-सूत, नकली सूत से बने कपड़े, सौंदर्य-प्रसाधन, ट्रांजिस्टर सेट, ताश, विह्स्की, सिगरेट, लॉग, दालचीनी और अन्य विविध विलास सामग्री थी ।

(ग) गुप्त सूचना इकट्ठा करने, तटीय क्षेत्रों में जांच करने, जलयान प्राप्त करने की सुव्यवस्था के अलावा, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्धित समाहर्ता-कार्यालयों में निरोधक कर्मचारियों की संख्या समुचित तौर से बढ़ा दी गयी है । 3 जनवरी, 1969 को सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश 1969 भी जारी किया गया है जिसके द्वारा कुछ जिसों के अवैध आयात तथा निर्यात को रोकने और उनका पता लगाने के काम को सुविधाजनक बनाने के विशेष उपाय के तौर पर सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 में अतिरिक्त उपबंध किये गये हैं । जहां तक चांदी पर नियंत्रण का सवाल है, अध्यादेश और उसके अन्तर्गत जारी किये गये नियमों तथा अधिसूचनाओं में यह उपबन्ध है कि भारत के पश्चिमी तट से 50 किलो मीटर अन्दर की ओर फैले भू-भाग के, तथा पूर्वी तट का जो हिस्सा तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी के संघराज्य क्षेत्र में आता है, उस निर्दिष्ट क्षेत्र के अन्दर चांदी रखने के स्थानों की सूचना सीमा-शुल्क अधिकारियों को देनी होगी, चांदी का लाना-ले जाना वाउचर-कवर के आधीन होगा, निर्धारित हिसाब-किताब रखना होगा तथा फर्जी व्यक्तियों के नाम में बिक्री से बचने के लिए उचित उपाय करने होंगे ।

जहां तक आयात किये गये माल का सम्बन्ध है, अध्यादेश तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गये नियमों और अधिसूचनाओं में यह उपबन्ध है कि अधिसूचित माल के बारे में उसके रखने के स्थान की सूचना दी जायगी, अधिसूचित माल के ब्योरे उपलब्ध किये जायेंगे, हिसाब-किताब, परिवहन और बिक्री के वाउचर रखे जायेंगे, और माल प्राप्त करने से पहले सावधानी बरती जायगी ।

भारत का यूनिट ट्रस्ट

854. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टाक बाजार में शेयरों के मूल्यों में वृद्धि तथा मुनाफे में वृद्धि के बावजूद भारत के यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ;

(ग) इस संस्था की उपलब्धियां तथा कमियां क्या हैं ; और

(घ) सरकार का विचार इसे किस प्रकार सुव्यवस्थित करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). यह कहना सही नहीं है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। जुलाई, 1968 से, जब ट्रस्ट का लेखा वर्ष 1968-69 शुरू हुआ है, यूनिटों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और यह मूल्य पहली जुलाई के 10 रुपये 10 पैसे से बढ़कर पहली फरवरी, 1969 को 10 रुपये 60 पैसे हो गया है। जब कि इसकी तुलना में फरवरी, 1968 को यह मूल्य 10 रुपये 45 पैसे था। इस वर्ष मूल्य में वृद्धि होना इस बात का द्योतक है कि ट्रस्ट की प्रतिभूतियों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यूनिट ट्रस्ट के पास जो प्रतिभूतियां हैं वे लगभग सभी प्रकार की हैं। इनमें कुछ सामान्य शेयर, कुछ तरजीही शेयर और कुछ ऋण-पत्र हैं। सामान्य शेयरों के मूल्य में पिछले कुछ समय से वृद्धि हुई है। 1968 के उत्तरार्द्ध में, सामान्य शेयरों में, बहुत सीमित वृद्धि हुई परन्तु जनवरी, 1969 में इनमें बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। इस प्रवृत्ति के अनुरूप दिसम्बर तक यूनिटों के मूल्य बहुत धीरे-धीरे बढ़े, लेकिन बाद में यानी लगभग तीन सप्ताह में यह मूल्य तिगुनी गति से बढ़ गये अर्थात् इनका मूल्य 10 रुपये 45 पैसे से बढ़कर 10 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट हो गया। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ज्यादातर यूनिट होल्डर कम और मध्यम आयवर्ग के होते हैं इसलिये यूनिट से होने वाली आमदनी पर ही उनकी प्रतिक्रिया निर्भर रहती है। यदि यूनिटों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो, तो इससे वे लोग यूनिटों में धन नहीं लगा सकेंगे जिसका यूनिटों की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यूनिट ट्रस्ट को समय-समय पर यूनिटों के मूल्य निर्धारित करते हुए इस पहलू को भी ध्यान में रखना होता है।

(ग) और (घ). ट्रस्ट 4½ साल से कार्य कर रहा है और इसके काम को असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। 31 दिसम्बर, 1968 को 54 करोड़ रुपये के मूल्य के यूनिट बिक चुके थे और यूनिट होल्डरों की संख्या 2½ लाख से अधिक थी।

हरियाणा को सहायता अनुदान

855. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने पांचवें वित्त आयोग से 12 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान की मांग की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पांचवें वित्त आयोग ने 1969-70 के लिये अपनी अन्तरिम सिफारिशों में राज्य सरकार की इस मांग को वास्तव में रद्द कर दिया था ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हरियाणा को इसके समकक्ष उड़ीसा, आसाम तथा केरल के राज्यों जितना अनुदान न देने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). राज्य सरकारें, अपने राजस्व और व्यय के अनुमान वित्त आयोग के पास भेजती हैं और सहायता के दावे उसके सामने पेश करती हैं। आयोग राज्यों के अपने साधनों को ध्यान में रख कर उनकी आवश्यकताओं का अंदाजा लगाता है।

इस समय हरियाणा को, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के मूल उपबन्धों के अन्तर्गत, कोई सहायक अनुदान नहीं मिल रहा है। पांचवें वित्त आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में, 1969-70 के लिये भी हरियाणा को (पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ) कोई सहायक अनुदान देने की सिफारिश नहीं की है। आयोग ने, इस समय केरल, उड़ीसा और कुछ अन्य राज्यों को दिये जाने वाले सहायक अनुदानों में भी कोई वृद्धि करने की सिफारिश नहीं की है। इस सम्बन्ध में, आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि राज्यों को, केन्द्रीय करों और शुल्कों में से हिस्सा मिलता है और उन्हें सहायक अनुदान दिये जाने की सिफारिश केवल तभी की जाती है, जब उनके हिस्से की रकम से आयोजना से भिन्न राजस्व सम्बन्धी उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में, पांचवें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट के पैरा संख्या 75 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान द्वारा जनांकिकीय अनुसंधान

856. श्री नि० रं० लास्कर :

श्री रा० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान ने देश में जनांकिकीय अनुसंधान कार्य पर पुनर्विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रायोजना में पहले ही काफी प्रगति हो चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में आंकड़े कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ; और

(घ) क्या इस संस्थान ने भारत में परिवार नियोजन के बारे में एक मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). जी हां। केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान का एक काम यह भी है कि समय-समय पर देश में जन-विद्या अनुसन्धान सम्बन्धी समीक्षा करे।

(ग) संस्थान ने हाल ही में परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में अब तक किये गये अनुसन्धान और मूल्यांकन पर एक मसौदे का प्रारूप तैयार किया है। इस मसौदे को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायगा ऐसी सम्भावना है।

विटामिन की गोलियों की देश से बाहर तस्करी

857. श्री नि० रं० लास्कर :

श्री क० लक्ष्मी :

श्री रा० बरुआ :

श्री ए० श्रीधरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बनी हुई विटामिन की हजारों गोलियों के कारण सैकड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी और यूरोपीय यात्री इन गोलियों को चोरी छिपे बाहर ले गये हैं ; और

(ग) इन गोलियों और औषधियों की तस्करी के माध्यम से चल रही मुद्रा की जालसाजी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कुछ समाचार पत्रों में छपे समाचार के अलावा सरकार को अन्य कुछ पता नहीं है ।

(ख) भारत में बनी विटामिन गोलियों के विदेशी यात्रियों द्वारा चोरी छिपे निर्यात करने का कोई मामला भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) आम तस्कर-आयात-निर्यात रोकने के लिये किये गये सामान्य उपायों के अलावा क्षेत्रीय कार्यक्रमों को इस समाचार से अवगत करा दिया गया है, जिससे वे निगरानी रखें ।

स्टेट और रिजर्व बैंक के कर्मचारी

858. श्री नि० रं० लास्कर :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया लिपिकों के पदों पर नियुक्त अपने स्नातक कर्मचारियों को दो अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां अथवा विशेष वेतन देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भी अपने स्नातक लिपिकों को उनके द्वारा किये जा रहे कार्य के उत्तम स्तर को देखते हुए, उन्हें ये लाभ प्रदान करेगी ;

(ग) यदि हां, तो सरकार कब तक इस प्रकार की घोषणा कर देगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(घ) पद भिन्न-भिन्न संगठनों में हैं इसलिए उनके वेतन-मान भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में निर्धारित होते हैं ।

युनाइटेड प्रोविन्सिज कर्मशियल कारपोरेशन को सड़क कूटने के इंजिन सप्लाई करने के लिये अग्रिम धन की अदायगी

859. श्री पी० विश्वम्भरम् : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री दिनांक 25 नवम्बर, 1968 के प्रश्न संख्या 1949 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्भरण और निपटान महानिदेशक द्वारा मैसर्स युनाइटेड प्रोविन्सिज कर्मशियल कारपोरेशन को, सड़क कूटने के इंजनों के निरीक्षण कार्य के लिये 90 प्रतिशत अग्रिम धन देने के आदेश के बारे में सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की क्या उपपत्तियां हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो से हाल ही में रिपोर्ट प्राप्त हुई है । उन्होंने कुछ एक अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की है । इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

मंत्रियों के निवास-स्थानों के बिजली तथा पानी के बिल

860. श्री विश्वम्भरम् :

श्री मारत सिंह चौहान :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संस्था 1950 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 के सम्बन्ध में मंत्रियों के निवास-स्थानों के बिजली तथा पानी के खर्च के बिल सम्बन्धित मंत्रियों को भेजे गये हैं ;

(ख) कितने मंत्रियों ने 2,400 रुपये से अधिक वाली राशि का भुगतान किया है ; और

(ग) किन-किन मंत्रियों ने अभी तक उनके द्वारा देय अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री
(श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) 23 ।

(ग) निम्नांकित मंत्रियों/उप-मंत्रियों ने अभी तक देय अधि-राशि का भुगतान नहीं किया है :—

1. श्री फरूद्दीन अली अहमद ।
2. श्री पी० गोविन्द मेनन ।
3. श्री सत्यनारायण सिंह ।
4. श्री बलीराम भगत ।
5. श्री वी० सी० शुक्ल ।
6. श्री जे० बी० मुथ्याल राव ।
7. श्री इकबाल सिंह ।
8. श्री मुहम्मद यूनुस सलीम ।

कुछ मंत्रियों/उप-मंत्रियों के निवास स्थान में “निवास” तथा “कार्यालय” भाग में अलग से पानी तथा बिजली के मीटर नहीं हैं । अलग मीटरों की व्यवस्था न होने तक यह निर्णय किया गया है कि बिजली तथा पानी पर कुल व्यय का 40 प्रतिशत/30 प्रतिशत निवास स्थान के “कार्यालय” भाग का समझा जाय । इस निर्णय के अनुसार, सर्वश्री सी० एम० पूनाचा तथा ए० पी० शिन्दे के निवास-स्थान में निवास भाग का बिजली तथा पानी का प्रभार 2,400 रुपये प्रति वर्ष की स्वैच्छिक सीमा के भीतर पाया गया है । अतएव इन दो मंत्रियों के पास, जिन्हें 12 अगस्त, 1968 को प्रश्न संख्या 3585 के उत्तर में 33 मामलों में शामिल किया था, कोई बिल नहीं भेजा गया है ।

इन देयों के भुगतान के सम्बन्ध में श्री सत्य नारायण सिंह ने कुछ प्रश्न (पाइन्ट्स) उठाए हैं । अभी हाल ही में यह (मामला) उन्हें स्पष्ट कर दिया है ।

निवास-स्थान में कार्यालय के प्रयोजन के लिए एक कमरे के उपयोग (दखल) के संबंध में स्पष्टीकरण के बाद शायद श्री बी० आर० भगत का बिल संशोधित करना पड़े ।

चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त करना

862. श्री रा० वें० नायक :	श्री यशपाल सिंह
श्री एन० शिवप्पा :	श्री स० चं० सामन्त :
श्री नन्दकुमार सोमानी :	श्री चं० चु० देसाई :
श्री कृ० मा० कौशिक :	श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री रा० की० अमीन :	

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त करने

के लिये हाल ही में प्रधान मंत्री से प्रार्थना की थी ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा करने से ही भारत में समाप्त हो रहे निर्यात व्यापार को फिर से सुदृढ़ किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या भारत सरकार ने रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप चाय पर निर्यात शुल्क लगाने के कुप्रभाव का मूल्यांकन किया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री, (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्व के बाजारों में प्रतियोगिता के क्षेत्र में भारतीय चाय की स्थिति सुधारने के लिये सुझाये गये उपायों में एक यह है ।

(ग) इस सुझाव पर सरकार विचार कर रही है ।

(घ) निर्यात-शुल्क इसलिये लगाया गया था कि निर्यात के रुपया-मूल्यों में अवमूल्यन के कारण हुई वृद्धि का जो भाग निर्यात कर्त्ताओं को अप्रत्याशित लाभ के रूप में मिला हो, उसे निर्यात शुल्क के तौर पर वसूल कर लिया जाय, जिससे राजस्व के एक साधन होने के अतिरिक्त, निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई गिरावट नहीं आए । जब कभी किसी निर्यात शुल्क को घटाने अथवा हटाने की जरूरत समझी गई, तब वैसा किया गया । इसी तरह चाय पर निर्यात शुल्क को भी, जब और जैसे ही परिस्थितियों का तकाजा हुआ, घटा दिया गया था ।

**Report on Life Insurance and General Insurance Submitted by
Former Cabinet Secretary**

863. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4221 on the 18th March, 1968 and state :

(a) whether it will not be in public interest to give details of the report containing a review of the problems of Life Insurance and General Insurance submitted by the former Cabinet Secretary, Shri S. S. Khera, to the private members ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) if not, the other reasons for not giving details of the report ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) to (c). No, Sir. Shri Khera's reports were documents meant only for use in the Ministry and not intended for publication.

Licensed Dealers in Kerosene Oil

864. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1957 on the 25th November, 1968 and state :

(a) the names of the firms situated at Sikanderabad, Varanasi, Azamgarh, Jaunpur,

Sultanpur, Ghazipur, Goshainganj, Tanda, Robertsganj, Ahrora Road, Kesia, Ghaziabad, Gorakhpur, Ghughuli, Paprauna, Khalilabad, Basti, Delhi, Faizabad, Aligarh, Akharpur, Shahjahanpur, Calcutta, Howrah and Shivpur in the country which are licensed dealers in Kerosene Oil in the name of M/s. Radha Krishna Vimal Kumar ; and

(b) the dates on which licences have been issued by the local civil officers ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Fertilizer Factory, Gorakhpur

865. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1958 on the 25th November, 1968 and state :

(a) whether the required information relating to the opening of Gorakhpur Fertilizers factory has since been collected from all the Department of the Central Government, agencies of the State Government and the Fertilizer Corporation of India ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, sir.

(b) and (c). The details are laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-99/69]

मंत्रियों के विदेशों के दौरे

866. श्री के० एम० अब्राहम :

श्री सी० के० चक्रपाणि :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री उमानाथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कुल कितने मंत्री गत 20 वर्षों में विदेशों में गये ;

(ख) प्रत्येक मंत्री ने जिन-जिन देशों का दौरा किया है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक मंत्री ने कितना खर्च किया तथा मंत्रियों द्वारा विदेश-यात्रा पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

चुंगी वापसी जांच समिति का प्रतिवेदन

867. श्री ए० श्रीधरन :

श्री रा० रा० सिंह देव :

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री क० लक्ष्मी :

श्री यशपाल सिंह :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री सीताराम केसरी :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वित्त मंत्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुंगी वापसी जांच समिति के प्रतिवेदन कि सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). (चुंगी) प्रति अदायगी जांच समिति की सभी सिफारिशों की जांच कर ली गई है तथा उन पर अनन्तिम निर्णय किये जा चुके हैं। इनमें से कुछ को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। उम्मीद है कि यह कार्य जल्दी ही पूरा कर दिया जायेगा।

Customs Duty on Goods Brought by Crew of Naval and Civilian Ships

868. **Shri Mritunjay Prasad** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the crew of the Naval and Civilian Ships are allowed to bring with them on ships foreign goods within certain limitations and after a prescribed period of service, they are exempted from the payment of Customs duty also ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b). Yes, Sir. In the case of the crew of foreign going merchant ships, other than those plying between a port in India and a port in Pakistan, Ceylon, Burma, Malaysia or Singapore, the benefit is given on termination of engagement. The value up to which the crew of such merchant ships can import baggage without payment of duty is Rs. 800, if his engagement has been up to 3 months. This is increased at the rate of Rs. 160 per month subject to a maximum of Rs. 1600. These limits are the same as for ordinary passengers.

The crew of naval ships can import baggage duty-free when they come from abroad. The value of duty-free baggage is limited to the foreign exchange allowed to them or to the values mentioned above as permissible to ordinary passengers, whichever is less.

The allowance on second and subsequent visits in the same calendar year is restricted to half of the normal allowance.

भारतीय चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान करने के लिये स्वायत्त-शासी परिषद्

869. श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री बलराज मधोक :

श्री रणजीत सिंह :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

श्री हरदयाल देवगुण :

श्री प० मु० सईद :

श्री रा० बरुआ :

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान करने के लिये स्वायत्तशासी परिषद् स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित परिषद् को स्थापित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विस्तृत विवरण जितनी जल्दी सम्भव हो पा रहा है, तैयार किये जा रहे हैं ।

Utilization of Salt for Manufacturing Potassium Fertilizers

870. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the details of the research made in connection with utilising salt from sea water and the Rann of Kutch as raw material for manufacture of Potassium Fertilizer and also the details of the plants alongwith their proposed capacity to be set up for manufacturing the said fertilizer during the Fourth Plan apart from suggestions made to the salt manufacturers in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : The Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar has developed process for the recovery of potassium fertilizers, namely potassium chloride and potassium schoenite from mixed salt bittern. One plant for producing potassium chloride with a capacity of 1000 tonnes of potassium chloride per year has been set up at Kandla since 1967 and one to produce potassium schoenite will be established at Tuticorin in 1969 with a capacity of 10 tonnes of potassium schoenite per day. Both the plants are in the private sector. Efforts are being made to persuade other salt manufacturers to take up similar ventures.

Besides, the Institute has also surveyed the concentrated brines available in the southern fringe of the Great Rann of Kutch near Kanwar Bet. It is observed that these brines contain 2—3 per cent potassium chloride and are suitable for the production of mixed salt. The Gujarat

Government has made arrangements to carry out studies on the recouperation of these brines and is examining the possibility of providing the necessary utilities. Hindustan Salts Ltd., is also engaged in experimental production of potassium fertilizer in its salt works at Kharaghoda.

Consumption and Production of Fertilizers

871. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the statistics of consumption and production targets for the nitrogen, phosphoric and potassium fertilizers by the end of Fourth Five Year Plan and the manner in which these are likely to be achieved ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : The tentative targets are given below :

	(million tonnes)	
	Consumption	Production
Nitrogen	3.73	3.73
Phosphate ($P_2 O_5$)	1.73	1.73
Potash ($K_2 O$)	1.10	—

The target of production is expected to be met by setting up additional fertilizer factories and expansion of the existing plants.

Expansion of Research and Development Wing at Sindri

872. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the details of the programme prepared by the Fertilizer Corporation of India for the expansion of Research and Development Wing at Sindri ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : Information is being collected and will be placed on the Table of the House when received.

Import of Naphtha

873. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have concluded any long term agreement with any country for the import of naphtha ; and

(b) if not, whether the requirements are likely to be met from indigenous resources ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) The current production of naphtha is surplus to the indigenous requirements. Arrangements for import of naphtha, will be made, if necessary, at the appropriate time.

Project for Transformer Oil Production

874. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) when the project for producing transformer oil in the country is likely to be completed ; and

(b) when the full requirements of transformer oil are likely to be met from indigenous sources keeping in view the heavy electrification expansion programme ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b). The plant at Bombay built by M/s. Power Cables is already in operation. The plant of M/s. Sikri and Grover located at Madras is expected to come into operation during 1970. The total output of these two plants is expected to meet the full requirements of transformer Oil in the country.

गंगा नदी के पानी के दूषित होने सम्बन्धी आयोग

875. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी में गंगा नदी के पानी को पेट्रोलियम से दूषित होने के कारणों की जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त जांच समिति के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

जीवन बीमा निगम के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

876. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

[श्री सीताराम केसरी :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

श्री रा० बरुआ :

श्री हरदयाल देवगुण :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री एस० आर० दामानी :

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने जीवन बीमा निगम की कार्य प्रणाली को सुधारने तथा कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिये हाल ही में विभिन्न उपायों तथा कार्यवाही की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक सुधार आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). जी, हां। जीवन बीमा प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में रख दी गई हैं। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी सहायता की आवश्यकता

877. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री एस० आर० दामानी :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये कितनी विदेशी सहायता की आवश्यकता है और किन-किन मुख्य विकास परियोजनाओं के लिये;

(ख) क्या वर्तमान संकेतों के अनुसार हमारी पूरी आवश्यकता के अनुसार विदेशी सहायता मिल सकेगी अथवा इसमें कोई कमी रहने की संभावना है और यदि हां, तो कितनी कमी रहने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में लौटाई जाने वाली राशि को ध्यान में रखते हुए भारत को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में दो बिलियन डालर मिलने की संभावना है और यदि हां, तो सरकार का योजना सम्बन्धी परियोजनाओं को कैसे लागू करने का विचार है अथवा क्या योजना में तदनुसार कटौती की जायेगी; और

(घ) इस प्रत्याशित सहायता में से कितनी राशि सशर्त ऋण होगी, जिसे विशिष्ट परियोजनाओं में लगाया जायेगा और उसमें से कितना ऋण बिन-शर्त खर्च करने वाला होगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). चौथी आयोजना के मसविदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और जितनी जल्दी हो सकेगा, उसे संसद् में पेश किया जायेगा। जैसा “चौथी आयोजना की पृष्ठभूमि” में बताया गया है आयोजना का उद्देश्य, यह रहेगा कि अन्य सम्बन्धी सहायता बिल्कुल न ली जाये और विदेशी सहायता की कुल वास्तविक रकम को, कम करके 1973-74 तक उसे वर्तमान स्तर से आधी कर दिया जाय। आयोजना के लिये आवश्यक विदेशी साधनों के परिणाम का बाकायदा ब्योरा आयोजना के मसविदे में दिया जायेगा। मिलने वाली सहायता के अलावा जो सहायता आवश्यक होगी, उसके संबंध में सहायता देने वाले पक्षों से बातचीत, आयोजना को अन्तिम रूप दिये जाने और प्रायोजना तथा गैर-प्रायोजना सहायता की आवश्यकताओं को पूरा ब्योरा तैयार किये जाने के बाद, की जायेगी। पांच वर्षों की अवधि में कितनी सहायता मिलेगी और किस रूप में मिलेगी, यह बताना सम्भव नहीं है।

भारत तथा नेपाल के बीच तस्कर व्यापार

878. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री यशपाल सिंह :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा नेपाल के बीच हो रहे तस्कर व्यापार के मामलों को पकड़ने में सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969 के लागू होने के बाद से कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं और तस्कर व्यापार किन क्षेत्रों में जारी है;

(ग) उसके कारण क्या हैं; और

(घ) अध्यादेश के बाद कितने मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायगी।

तृतीय वेतन आयोग

879. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

श्री बृज भूषण लाल :

श्री रणजीत सिंह :

श्री जगन्नाथराव जोशी :

श्री रामगोपाल शालवाले :

श्री सूरज भान :

श्री अदिचन :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के पुनरीक्षण के प्रश्न की जांच करने के लिये तृतीय वेतन आयोग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

Seizure of Gold in I. A. C. Office, New Delhi

880. Shri Yashwant Singh Kushwah :

Shri Onkar Singh :

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the office of the Indian Airlines Corporation situated at

Asaf Ali Road, New Delhi seized a large quantity of gold bearing foreign markings on the 6th January, 1969, which was sent to a non-existent firm of Chandni Chowk, Delhi ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the number and names of persons arrested and nature of action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). 11 bars of gold weighing 10 tolas each were seized by Customs officers, Delhi on the 6th January, 1969, from an air consignment received from Bombay and awaiting delivery in the office of the Indian Airlines Corporation, Asaf Ali Road, Delhi. The parcel was found addressed to a non-existent firm of Delhi.

(c) Two persons namely Shri Om Parkash and Shri Sanwaldas were arrested and subsequently released on bail of Rs. 10,000/- with two sureties for a like amount. Further enquiries are in progress.

Irrigation of land in Madhya Pradesh from Chambal Hydro-Electric Project

881. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the acreage of land in District Bhind and Morena of Madhya Pradesh respectively which was to be irrigated in the current season from Chambal Hydro-Electric Project, the acreage of land actually irrigated and the reasons for the shortfall ;

(b) whether the work of construction of all the canals and their branch canals in the said area under the above mentioned scheme has been completed ; and

(c) the time by which water is likely to reach for supply up to the ends of canals and branch canals of the above area according to the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The area normally to be irrigated in the Bhind and Morena Districts of Madhya Pradesh from the Chambal Project is 96,000 acres and 1,45,000 acres respectively. The irrigation so far carried out during the current year is 30,000 acres in Bhind and 90,200 acres in Morena districts. The second watering is still in progress. The shortfall in irrigation is due to breaches in canals.

(b) The work on all main canals and branch canals in the above areas excepting tail portions of Amba Branch, Mau Branch and the Bhind Canal remodelling has been completed.

(c) It is programmed to complete the balance works and make water available by June, 1970.

गुजरात में पेट्रोलियम-रसायन निगम

882. श्री सीताराम केसरी :

श्री रा० की० अमीन :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 के प्रथम सप्ताह में हुए गुजरात उद्योग

सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था कि प्रस्तावित गुजरात पेट्रोलियम-रसायन निगम को संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) यह ज्ञात है कि गुजरात उद्योग सम्मेलन ने गुजरात राज्य को इस बारे में कुछ सिफारिशों की हैं और वे इस समय उस सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कपाडिया परिवार द्वारा किलिक उद्योग समूह को अपने अधिकार में लिया जाना

883. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास मंत्री ने कपाडिया परिवार द्वारा किलिक उद्योग समूह को अपने अधिकार में लिये जाने के बारे में उनको एक पत्र की प्रति भेजी है, जो उनको एक संसद् सदस्य से प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में ऐसी मुख्य बातें क्या लिखी हुई हैं, जिनकी वित्त मंत्रालय द्वारा जांच अथवा उन पर कार्यवाही की जानी अपेक्षित है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने इन बातों की जांच आरंभ कर दी है तथा/अथवा उन पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो जांच आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) इस ज्ञापन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों की वित्त मंत्रालय द्वारा जांच-पड़ताल आवश्यक है :

(i) क्या कपाडिया परिवार ने नेशनल रेयन कम्पनी, बी० बी० पेट्रोलियम कम्पनी तथा किलिक कम्पनी समूह का नियन्त्रण अपने अधिकार में लेने की चेष्टा की है ।

(ii) क्या उपर्युक्त कम्पनियों में लगाने के लिये काम में लिये गये धन का स्रोत सन्तोषजनक ढंग से स्पष्ट किया गया है ।

(iii) क्या स्टैंडर्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी को अलाट हुए इस्पात के कोटे से उस कम्पनी को प्राप्त आय पर वास्तविक कर अदा किया गया है ।

(iv) क्या कपाडिया परिवार ने बृहत्तर बम्बई तथा वापी में लम्बी चौड़ी जमीनों की खरीद में लगाये गये धन का स्रोत सन्तोषजनक ढंग से स्पष्ट किया है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विभिन्न मुद्दों के बारे में जांच-पड़ताल शुरू की जा चुकी है।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, 1956

884. श्री मधु लिमये : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, 1956 को लागू कर दिया गया है और यदि हां, तो कब से;

(ख) क्या इसे अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है;

(ग) क्या इस अधिनियम के अध्याय पांच के अन्तर्गत भूमि अर्जन उपबन्धों को दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है;

(घ) क्या अधिनियम के अध्याय पांच के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई मुकदमें दायर किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किस क्षेत्र में तथा सम्बद्ध मामलों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, 8 फरवरी, 1957 से।

(ख) यह 1 अप्रैल, 1958 से केवल संघ क्षेत्र त्रिपुरा में लागू किया गया है।

(ग) जी हां, दिल्ली और त्रिपुरा क्षेत्रों में।

(घ) और (ङ). इस अधिनियम के अधीन दिल्ली में किसी भी निजी भूमि या भवन का अर्जन नहीं किया गया है।

उत्तरी बंगाल में बाढ़ समस्या सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

885. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री क० हाल्दर :

श्री जि० मो० बिस्वास :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री रामावतार शास्त्री :

डा० रानेन सेन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल की बाढ़ समस्याओं का पता लगाने के लिये नियुक्त की गई उच्च शक्तिप्राप्त तकनीकी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : तकनीकी समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :

1969 के बाढ़-काल से पूर्व जिन कार्यों को पूरा करने की सिफारिश की गई है :

(क) जलपाईगुड़ी में रेल पुल के वर्तमान गाइड बन्धों की पहले वाले स्तरों तक मरम्मत की जाए परन्तु उनको उमड़मार्ग भागों से भी ऊंचा ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

(ख) बाढ़ तट बन्धों के बीच रेलवे तटबन्ध का एक डोवल बंध होना चाहिए ।

(ग) सभी बाढ़ तटबन्धों में दरारों को ठीक ढंग से बन्द करना चाहिये ।

(घ) जलपाईगुड़ी रेलवे पुल से प्रतिप्रवाह दिशा में दोनों ओर के बाढ़ तटबन्धों को आर० एल० 298 के ऊपरी स्तर तक और 25 फुट की ऊपरी चौड़ाई तक ऊंचा तथा पक्का कर देना चाहिये ।

(ङ) रास्ता और अन्य स्थानों पर शेष बाढ़ तटबन्धों को सामान्य सैक्शनों तक बहाल कर देना चाहिये जिनका शीर्षान्तर (फ्री बोर्ड) उच्चतम बाढ़-स्तर से पांच फुट ऊंचा हो ।

दीर्घ कालीन उपाय

(क) जलपाईगुड़ी के रेल और सड़क पुल में जलमार्ग को बढ़ाना चाहिये । नमूने के प्रयोग करके, द्वारों की सही स्थिति और उनका आकार तथा गाइड बंध की लम्बाई और उसकी आकृति को निश्चित करना चाहिये ।

(ख) रेल पुल से प्रतिप्रवाह-दिशा में दो पार्श्वीय तटबन्धों के अन्तर्गत जो रेल तटबन्ध हैं उसको बांध के एक सैक्शन के रूप में अभिकल्पित किया जाना चाहिये और उसका ठीक-ठीक अनुरक्षण होना चाहिये ।

(ग) जलपाईगुड़ी के प्रतिप्रवाह के बाढ़-तटबन्धों को यथासमय 50 फुट की ऊपरी चौड़ाई तक चौड़ा कर देना चाहिये ।

(घ) शीघ्र ही जलपाईगुड़ी में एक बाढ़ पूर्व सूचना यूनिट स्थापित कर दिया जाए ।

(ङ) घाटों में जल निपटान के उपाय करने चाहिए ताकि वे फेल न हो जाएं ।

इस समिति ने अन्य दीर्घकालीन उपायों पर विचार करने के लिये विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित अतिरिक्त अध्ययन आदि भी बताए हैं ।

(ग) रेल विभाग ने गाइड बंधों की मरम्मत और डोवल बंध की व्यवस्था का काम आरम्भ कर दिया है । राज्य सरकार ने जलपाईगुड़ी तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तटबन्धों की

दरारों को बंद करने तथा उन्हें ऊंचा करने तथा पक्का करने का काम आरम्भ कर दिया है और यह काम पूरे जोरों पर है।

पुल के लिये नमूनों के प्रयोग आरम्भ कर दिये गये हैं। जलपाईगुड़ी में बाढ़ पूर्वसूचना केन्द्र स्थापित करने के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय, दिल्ली से फाइलों की चोरी

886. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सन्दूक, जिसमें कुछ फाइलें पड़ी थीं और जो 20 फरवरी, 1968 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कलेक्टर के कार्यालय से चोरी हो गयी थी, बरामद हो गया है ; और

(ख) चोरी की गयी फाइलें कैसी थीं और उनका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) चोरी गए बक्से में दिल्ली में पकड़े गए माल के मामलों से सम्बन्धित सात फाइलें थीं।

तारा गृह निर्माण सहकारी समिति, नई दिल्ली

887. श्री स० च० सामन्त :

श्री यशपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारा गृह निर्माण सहकारी समिति को मकान बनाने हेतु उपयुक्त भूमि नियत कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, किस स्थान पर भूमि नियत की गई है ; और

(ग) नई दिल्ली की इस तथा अन्य सहकारी समितियों को भूमि का नियतन किये जाने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). तारा हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी को शाहदरा क्षेत्र में 9 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया गया था।

(ग) 9 एकड़ भूमि का वास्तविक आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि तारा हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी ने भूमि की लागत अदा नहीं की है। संसद् भवन से तीन-चार मील की परिधि में भूमि आवंटित करने के लिए सोसाइटी ने सरकार से संपर्क स्थापित किया है। यह अनुरोध विचाराधीन है।

अन्य कोआपरेटिव सोसाइटियों के मामले विभिन्न स्तर पर विचाराधीन हैं।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति

888. श्री स० चं० सामन्त :

श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश में उत्पादन बढ़ने के कारण खाद्यान्नों का कम आयात करने तथा भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां कहाँ तक कम हैं ?

(ख) क्या भारतीयों को उनकी विदेश यात्रा के लिये दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि को बढ़ाने की कोई सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पिछले वर्ष के मुकाबले, 1968-69 में अन्न के आयात के मुक्त विदेशी मुद्रा सम्बन्धी परिव्यय में लगभग 62 करोड़ रुपये की कमी होने की सम्भावना है। अप्रैल-दिसम्बर, 1968 में पिछले वर्ष की उसी अवधि में किये गये निर्यात के स्तर के मुकाबले लगभग 117 करोड़ रुपये का अधिक निर्यात किया गया। इस वर्ष में ऋण की अदायगियों में वृद्धि हुई और उसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को दी जाने वाली हमारी वापसियों में भी वृद्धि हुई है। जूट, पेट्रोल, तेल और चिकनाने के तेलों जैसी वस्तुओं के आयात पर भी मुक्त विदेशी मुद्रा का अधिक खर्च होने की सम्भावना है। इसलिए, यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यापारिक अन्तर में कमी हुई है फिर भी व्यापारिक अन्तर तथा अदायगी का अन्तर अब भी काफी अधिक है और उसे केवल विदेशी सहायता के इस्तेमाल और उसके बाद भी जितनी आवश्यकता हो उसे उतनी विदेशी मुद्रा की हमारी जमा रकमों में से, रकमों निकाल कर पूरा किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Arrears of Electricity Dues from Ex-Ministers

889. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of the Ex-Ministers who have not so far cleared the arrears in respect of electricity, water, rent and furniture ;

(b) the names of the Ex-Ministers against whom such arrears are out-standing alongwith the amount due from each ; and

(c) the action taken by Government to realise the arrears ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (c). As per statement laid on the Table. [Placed in Library. See No. LT-100/69]

Central Government Hospital Enquiry Committee's Report

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 890. Shri Kanwar Lal Gupta : | Shri Ram Swarup Vidyarthi : |
| Shri B. K. Daschowdhury : | Kumari Kamala Kumari : |
| Shri Bal Raj Madhok : | Shri Narain Swarup Sharma : |
| Shri Om Prakash Tyagi : | Shri D. N. Patodia : |

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

- (a) the details of recommendations made by the Committee appointed by Government to suggest means for the proper working of hospitals in Delhi ;
- (b) whether Government have taken any decision on these recommendations ; and
- (c) if so, the nature thereof and the steps taken by Government for their implementation ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) A summary of the main recommendations of the Hospital Review Committee was placed on the table of the Sabha on the 29th April, 1968.

(b) and (c). The recommendations of the Committee which are comprehensive have been examined and the Government's decision on them will be finalised shortly.

पी० एल० 480 की निधियों का प्रभाव

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 892. श्री चेंगलराया नायडू : | श्री विश्वनाथ मेनन : |
| श्री ओंकार लाल वेरवा : | श्री प० गोपालन : |
| श्रीमती सावित्री श्याम : | श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : |
| श्री रा० की० अमीन : | श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : |
| श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : | श्री शिवचन्द्र झा : |
| श्री यज्ञदत्त शर्मा : | श्री सीताराम केसरी : |
| श्री अदिचन : | श्री भोलानाथ मास्टर : |
| श्री हिम्मर्तसिंहका : | श्री भोगेन्द्र झा : |
| श्री सु० कु० तापड़िया : | श्री वेंकटप्पा नायक : |
| श्री नि० रं० लास्कर : | श्री मीठालाल मीना : |
| श्री से० ब० पाटिल : | श्री क० प्र० सिंह देव : |
| श्री बे० कृ० दासचौधरी : | श्री रामावतार शर्मा : |
| श्री गणेश घोष : | श्री हरदयाल देवगुण : |
| श्री नम्बियार : | श्री ज्योतिर्मय बसु : |

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने विशेषज्ञों के एक छोटे दल को विदेशी

सहायता विशेषतः पी० एल० 480 के सौदों से देश की मुद्रा प्रणाली तथा औद्योगिक विकास पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये नियुक्त विशेषज्ञों के नाम क्या हैं और उसके निदेश पद क्या हैं ;

(ग) क्या अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसकी रिपोर्ट कब तक मिलेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्राक्कलन समिति (चौथी लोक-सभा) की ग्यारहवीं रिपोर्ट में की गयी चौतीसवीं सिफारिश के अनुसार पी० एल० 480 सम्बन्धी लेन देनों के मुद्रा-प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था ।

(ख) दल के सदस्य निम्नलिखित थे :

1. प्रोफेसर ए० एम० खुसरो—आर्थिक विकास अध्यक्ष
संस्थान (इंस्टिट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ), दिल्ली
2. श्री डी० एच० पे पाणंदीकर—वरिष्ठ सहायक सचिव सदस्य
भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ नयी दिल्ली ।
3. श्री के० सी० मल्होत्रा—चार्टर्ड लेखाकार, दिल्ली । सदस्य
4. श्री एम० आर० श्रोफ—निदेशक, वित्त मंत्रालय, अर्थ विभाग, सदस्य-सचिव
नई दिल्ली ।

दल के विचारणीय विषय ये थे :

(i) अमेरिका की पी० एल० 480 निधि से वित्तपोषित आयात से सम्बद्ध लेन-देनों को भारत सरकार के बजट में दिखाये जाने की वर्तमान प्रणाली की जांच करना और इसमें सुधार करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव देना ताकि इन लेन-देनों के कारण पड़ने वाले प्रभावों का ठीक-ठीक पता चल सके ।

(ii) मुद्रा उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव, प्राधिकरणों द्वारा ऋणों पर नियंत्रण रखने की क्षमता आदि के रूप में मुद्रा प्रणाली पर इन लेन-देनों के प्रभाव की जांच करना ; और

(iii) इन लेन-देनों के कारण अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले किसी मुद्रा बाहुल्यकारी प्रभाव की जांच करना ।

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है और प्राक्कलन समिति की 34वीं सिफारिश के सम्बन्ध में अपना अन्तिम उत्तर लोक-सभा की मेज पर रखने के लिए उसे जल्दी से जल्दी भेज देगी ।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

रसायन उद्योगों की कार्य प्रणाली

894. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रसायन उद्योग अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या आयात से उत्पन्न मुकाबला ही क्षमता के इस कम उपयोग के लिये उत्तरदायी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). सारांश तौर पर रसायन उद्योगों ने अपरिवर्ती प्रगति की है और उनमें पिछले सालों में उत्पादन में वृद्धि हुई है । कुछ उद्योगों में लाइसेंस कृत स्थापित क्षमता की तुलना में क्षमता का कम उपयोग हुआ है । इसके मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :

(1) मांग में कमी जैसे एकाकी सुपरफासफेट के बारे में ; और

(2) कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई जैसे मद्यशालाओं और अल्कोहल पर आधारित कुछ उद्योगों के बारे में ।

(ग) आम तौर से यह कहा जा सकता है कि रसायन उद्योगों की क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में आयात से उत्पन्न मुकाबला कोई ठोस तथ्य नहीं है । फिर भी ऐसे उदाहरण हैं जिनमें आयात के कारण देशीय क्षमता का कम उपयोग हुआ है जैसे विटामिन सी के बारे में । सरकार ने ऐसे मामलों में उचित उपचार कार्यवाही की है ।

मोती बाग-2 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय

896. श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोती बाग-2 तथा मोती बाग दक्षिण, नई दिल्ली के निवासियों के लिये एक ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक्टरों की संख्या कम होने के कारण ये इस औषधालय में रोगियों की भारी संख्या का उपचार नहीं कर सकते ;

(ग) क्या यह भी सच है कि औषधियां न मिलने की भी शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या : सरकार का विचार डाक्टरों की संख्या बढ़ाने का तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय के कार्य में सामान्य सुधार करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जिस क्षेत्र को पहले मोती बाग कहा जाता था उसमें दो औषधालय हैं। इन औषधालयों के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं :

(1) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय, मोती बाग

डिप्लोमेटिक इंकलेव के दक्षिण की ओर का क्षेत्र और मोती बाग नामक क्षेत्र जिसमें ए० ब्लाक डी०-2 फ्लैट सम्मिलित हैं।

(2) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय, नानकपुर

मोती बाग -2 नानकपुर तथा मोती बाग साउथ क्षेत्र (ए० ब्लाक-डी० 2 फ्लैट को छोड़कर)

(ख) रोगियों की दैनिक औसत उपस्थिति को देखते हुए जोकि बहुत अधिक नहीं है, इन औषधालयों में नियुक्त डाक्टरों की संख्या पर्याप्त है।

(ग) और (घ). जनवरी, 1969 के अन्तिम सप्ताह में मोती बाग-2 रेजिडेंट्स वेलफेअर एसोसिएशन की ओर से एक पत्र मिला था जिसमें नानकपुर डिस्पेंसरी में औषधियों का स्टॉक अपर्याप्त होने की शिकायत की गई थी। छानबीन करने पर यह शिकायत सही सिद्ध नहीं हुई। ये औषधालय सन्तोषजनकरूप से काम कर रहे हैं।

दक्षिण मोती बाग के निवासियों के लिये सुविधायें

897. श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मोती बाग में कोई पार्क अथवा खेल का मैदान नहीं है तथा इस बस्ती में कोई समाज सदन भी नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दक्षिण मोती बाग की निवासी कल्याण संस्था एक लम्बी अवधि से उक्त सुविधाओं की मांग करती आ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो दक्षिण मोती बाग के निवासियों को ये सुविधायें प्रदान करने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं। वहां एक खुला क्षेत्र है (25 मीटर X 47 मीटर) जिसका उपयोग एक खेल के मैदान के रूप में किया जा रहा है। वहां कुछ सामुदायिक घास के मैदान (लान)

भी हैं। दो पार्क दिल्ली नगर निगम के द्वारा विकासाधीन हैं। वहां एक छोटा-सा सामुदायिक कक्ष (हाल) है। एक और बड़ा सामुदायिक कक्ष (हाल) निर्माणाधीन है जिसकी जून, 1969 के अन्त तक तैयार हो जाने की संभावना है।

(ख) जी हां।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

तम्बाकू उत्पादकों को वित्तीय सहायता

898. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने के बारे में सरकार के कोई कार्यक्रम हैं जिससे अधिक उपज हो और उसके परिणामस्वरूप तम्बाकू पर लगाये जाने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से अधिक आय हो ; और

(ख) क्या तम्बाकू उत्पादकों से उनके कृषि उत्पादन (तम्बाकू के पत्तों) पर लिये जाने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में से तम्बाकू उत्पादकों को सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने के लिये सहायता देने की कोई योजना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार की योजना है कि तम्बाकू की अधिक विस्तार में खेती करके तथा प्रति एकड़ उत्पाद बढ़ा करके निर्यात योग्य किस्मों की फ्लू क्युअर्ड वरजीनिया तम्बाकू का विकास किया जाय।

(ख) जी, नहीं। तम्बाकू उत्पादकों के लिये इस प्रकार की कोई विशेष योजना नहीं है। लेकिन खेती के काम आने वाले ट्रेक्टरों तथा मुख्यः कृषि के ही प्रयोजनों के लिए पानी खींचने के काम आने वाले, और डीजल तेल से चलने वाले, 10 अश्वशक्ति तक के अन्तर्दहन इंजनों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट मिली हुई है।

कोसी बाढ़ नियंत्रण उपाय

899. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अक्टूबर की अभूतपूर्व बाढ़ को देखते हुए कोसी बाढ़ नियंत्रण के लिये पर्याप्त कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या दरारों तथा क्षति को रोकने के लिए पश्चिम कोसी तटबंधन को सुदृढ़ करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या अगली विनाशकारी बाढ़ों के आने से पहले, इस वर्ष पश्चिम कोसी तथा पूर्वी कोसी तटबंधनों के साथ-साथ और निर्माली तथा घोघारडोहा के बीच मरम्मत सम्बन्धी सड़कों का निर्माण करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी हां । बिहार सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा जांच जारी है और धन की उपलब्धता के अनुसार स्कीमें हाथ में ली जा सकेंगी ।

गांवों में बिजली की व्यवस्था सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति का प्रतिवेदन

900. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, आसाम आदि पिछड़े क्षेत्रों के गांवों में बिजली की व्यवस्था सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में गांवों में बिजली की व्यवस्था करने के क्या कार्यक्रम हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). ग्राम-विद्युतीकरण विषयक संसत्सदस्यों की समिति ने अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । बहरहाल, उन्होंने देश में, विशेषकर असम, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, मध्यप्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 9 राज्यों में, जहां ग्राम-विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से कम है, ग्राम-विद्युतीकरण की प्रगति को तेज करने के लिए चौथी योजना के दौरान व्यय-राशियों के सम्बन्ध में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है । इस समिति ने चौथी योजना के दौरान देश में ग्राम-विद्युतीकरण के लिये 632 करोड़ रुपये की कुल व्यय-राशि की सिफारिश की है जिससे योजनावधि में 12.5 लाख पम्प ऊर्जित हो सकेंगे और 2 अक्टूबर, 1970 तक अर्थात् गांधीजी की जन्म शताब्दी की समाप्ति तक 1 लाख गांवों का विद्युतीकरण हो सकेगा । ग्राम-विद्युतीकरण के लिये चौथी योजना का कार्यक्रम विचाराधीन है ।

बिहार के दरभंगा जिले में मधुबनी सब-डिवीजन के गांवों में बिजली लगाने की योजना

901. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में बिजली की व्यवस्था करने की योजना के अन्तर्गत बिहार के दरभंगा जिले में मधुबनी सब-डिवीजन के कितने गांवों में बिजली की व्यवस्था की गई है ;

(ख) जिन गांवों में बिजली की व्यवस्था की गई है तथा जिन गांवों में 1969 में बिजली की व्यवस्था की जानी है उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सूची की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दरभंगा जिले (बिहार) के मधुबनी उपमण्डल में 31-12-68 तक 154 ग्रामों को बिजली दी गई है जिनमें से 133 ग्रामों को 31-3-68 तक और 21 ग्रामों को 1-4-68 से 31-12-68 की अवधि के दौरान बिजली दी गई है।

(ख) वर्ष 1968-69 के दौरान 122 ग्रामों के विद्युतीकरण कार्यक्रम में से 31-12-68 तक 21 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है और अन्य 8 ग्रामों के विद्युतीकरण का काम हाथ में है। उपभोक्ताओं की ओर से कम उत्साह के कारण शेष ग्रामों के सम्बन्ध में काम आरम्भ न किया जा सका। 1969-70 के लिए ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) चार विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं जिनमें यह जानकारी दी गई है—उन गांवों की सूची जिनमें 31-3-1968 तक बिजली लग गई थी ; 1968-69 के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में शामिल गांवों की सूची ; 1968-69 के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में शामिल उन ग्रामों की सूची जिनमें 31-12-1968 तक बिजली लग गई थी ; और 1968-69 के ग्राम-विद्युतीकरण कार्यक्रम में शामिल उन गांवों की सूची जिनमें काम चल रहा है। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 101/69]

चौथी योजनावधि के दौरान जनसंख्या नियन्त्रण उपाय

902. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक प्रभावशाली कार्यवाही करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है।

विवरण

परिवार नियोजन के सन्देश को अधिक विस्तृत रूप से फैलाने और चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाओं को अब से भी ज्यादा व्यापक रूप प्रदान करने का विचार है। इस प्रकार प्रजनन आयु वर्ग के 50 प्रतिशत से भी अधिक दम्पति

परिवार नियोजन के साधनों में से कोई एक साधन अपना लेंगे, जैसे नसबन्दी, लूप, प्रचलित गर्भनिरोधक और अन्य गर्भनिरोधक ।

(2) जन शिक्षा, प्रेरणा तथा शिक्षा प्रसार सम्बन्धी कार्यक्रमों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त कर दिया जाएगा । इनके साथ-साथ ये कार्यक्रम भी सम्मिलित होंगे :

(क) भीत्ती चित्रों, पोस्टरों, पत्रकों के वितरण, होर्डिंग, बस-बोर्डों, रिक्शा बोर्डों आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रचार कार्यक्रम ।

(ख) परम्परागत तथा सांस्कृतिक प्रचार साधनों जैसे गीत और नाटक, भजन मण्डली, कथा वाचक, कठपुतली नाच आदि का प्रभावशाली उपयोग ।

(ग) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न प्रचार एजेंसियों जैसे आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्र प्रचार आदि का विस्तृत उपयोग ।

(घ) जनमत नेताओं को सीधे परिवार नियोजन साहित्य भेजना ।

(ङ) रेल, डाक या तार और अन्य संगठनों की सहायता से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अभियान ।

(3) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान 300 से भी अधिक जिला परिवार नियोजन कार्यालयों के अलावा और कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि जिले में कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन करने के लिए प्रत्येक जिले में एक परिवार नियोजन कार्यालय हो । ग्रामीण जनता को पूर्ण रूप से सम्मिलित करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगभग 600 अतिरिक्त ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र तथा 10,000 और उप केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(4) चूंकि जितने नसबन्दी आपरेशन किये जाते हैं उनमें से 15 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की नसबन्दी होती है, इसलिए मौजूदा 1000 पलंगों के अलावा अस्पतालों में 3000 नसबन्दी पलंग और बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(5) वर्तमान केन्द्रों में प्रशिक्षण गतिविधियां सुदृढ़ की जाएंगी और पराचिकित्सा कर्मचारियों के लिये और अधिक केन्द्र स्थापित किये जाएंगे ।

(6) कार्यक्रम में निजी चिकित्सकों और होम्योपैथी तथा स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों को और सक्रियता से शामिल करने का प्रस्ताव है ।

(7) अनुमान है कि त्रिवेन्द्रम स्थित निरोध कारखाना मार्च, 1969 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर देगा । इसकी उत्पादन क्षमता दुगुनी करने का प्रस्ताव है ताकि यह 28 करोड़ 88 लाख निरोध वार्षिक तैयार कर सके । शेष आवश्यकता अन्य स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त की जाएगी या बाहर से आयात की जाएगी ।

(8) जीव-चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य तीव्र किया जाएगा और नये गर्भ-निरोधकों की, जिनमें होम्योपैथी और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की औषधियां भी शामिल हैं, बड़े पैमाने पर जांच-पड़ताल की जाएगी।

(9) उत्पादकता सर्वेक्षणों के लिये वर्तमान मूल्यांकन करने और के० ए० पी० अध्ययन करने के लिए राज्य परिवार नियोजन कार्यालयों में जन-विद्या और मूल्यांकन सेल स्थापित किये जाएंगे।

(10) कुछ विशेष सामाजिक उपाय भी सोचे गये हैं। ऐसे दो उपाय ये हैं :

(1) गर्भपात कानून को उदार बनाना, जिसके लिए संसद् में शीघ्र ही एक विधेयक पेश करने का विचार है और (2) लड़कों और लड़कियों, दोनों की विवाह योग्य आयु में वृद्धि करना।

आसाम में मिट्टी के तेल की कमी

903. श्री वि० ना० शास्त्री :

श्री हेम बरुआ :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ महीनों में आसाम के लोगों को मिट्टी के तेल की भारी कमी का सामना करना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) बाढ़ों से संचार-व्यवस्था के लम्बे अर्से तक भंग होने तथा गोहाटी शोधनशाला में बढ़िया मिट्टी के तेल का उत्पादन करने वाले एकक के बन्द हो जाने के कारण आसाम में शोधनशालाओं के कच्चे माल के परिचालन में कमी करनी पड़ी तथा अपने उत्पादन नमूने को बदलना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप बढ़िया मिट्टी के तेल की कम उपलब्धि हुई। जहां तक सम्भव था, कमी को घटिया मिट्टी के तेल की सप्लाई में वृद्धि द्वारा पूरा किया गया।

(ग) आसाम में शोधनशालाओं के सामान्य चालन से बढ़िया मिट्टी के तेल के उत्पादन को बहाल किया गया है। कलकत्ता से कुछ अतिरिक्त सप्लाई भेजी गई है।

आसाम में प्राकृतिक गैस का जलना

904. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन कितने लाख घन फुट प्राकृतिक गैस जल रही है ;

(ख) इससे प्रतिदिन कितने रुपयों की हानि होती है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्राकृतिक सम्पत्ति को उत्पादक प्रयोजन हेतु प्रयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 1968 में आसाम के तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 1.33 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस उड़ाई गई ।

(ख) क्योंकि यह सम्मिलित गैस है जो अनिवार्य रूप से कच्चे तेल के साथ उपलब्ध होती है ; रुपयों के रूप में हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता जब तक इसके ग्राहक नहीं मिल जाते ।

(ग) आसाम में उत्पादित गैस का अंग पहले ही बिजली पैदा करने, उर्वरकों के उत्पादन और चाय-बागान आदि जैसे अन्य अनियमित उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है । उपलब्ध गैस का प्रचुर अंश नामरूप उर्वरक कारखाने और आसाम राज्य बिजली बोर्ड को सप्लाई के लिए रखा गया है । इन दो मुख्य उपभोक्ताओं ने आवंटित मात्राओं का पूर्ण रूप से अभी उपयोग करना है ।

उर्वरक की नई किस्मों का उत्पादन

905. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे कारखाने में उर्वरक की दो नयी किस्में तैयार की गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन उर्वरकों को किसानों के लिए कब तक उपलब्ध किया जायेगा और उसका मूल्य क्या होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां । ट्राम्बे कारखाने ने दो नयी किस्मों के सम्मिश्र उर्वरक तैयार किये हैं ; जिनमें 18 : 18 : 9 और 15 : 15 : 15 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश के तीन नये तत्व हैं ।

(ख) ये बाजार में पहले से उपलब्ध हैं और 18 : 18 : 9 तथा 15 : 15 : 15 श्रेणियों के क्रमशः मूल्य 780/- रुपये प्रति मीटरी टन और 750/- रुपये प्रति मीटरी टन हैं ।

अशुद्ध तेल को नाहरकाटिया से बरौनी ले जाने पर प्रभार

906. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाहरकाटिया से गोहाटी तेल शोधक कारखाने तक भेजे जाने

वाले अशुद्ध तेल के परिवहन प्रभार का हिसाब लगाते हुए, तेल के बरीनी तेलशोधक तक भेजने और वहां से वापस मंगाने पर आने वाले खर्च को भी सम्मिलित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). दिग्बोई, गोहाटी और बरौनी स्थित तीन शोधनशालाओं के लिए प्रति मीटरी टन कच्चे तेल का प्रेषण मूल्य वही है जो द्वितीय अनुपूरक करार की धारा 9 में अनुबद्ध है। परिवहन प्रभार अलग से नहीं लिये जाते।

विदेशी ऋण

907. श्री सूरज भान :

श्री बृज भूषण लाल :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री राम गोपाल शालवाले :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

श्री रणजीत सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के अन्त तक भारत को विदेशों का कुल कितना ऋण चुकाना था ;

(ख) वर्ष 1969 में भारत को मूलधन तथा ब्याज के रूप में लगभग कितनी धनराशि विदेशों को देनी पड़ेगी ; और

(ग) यह अदायगी किस ढंग से होगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख). दिसम्बर, 1968 के अन्त में, भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों/अभिकरणों को देय रकमों तथा 1969-70 में सरकार द्वारा मूलधन और ब्याज के रूप में ; ऋण देने वाले देशों/अभिकरणों को अदा की जाने वाली अनुमति रकमों इस प्रकार हैं :

ऋण की किस्म	भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1968 के अन्त में देय ऋण	करोड़ रुपयों में (अवमूल्यन के बाद की दरों पर) 1969-70 में सरकार द्वारा देय	
		मूलधन	ब्याज
(i) विदेशी मुद्रा में देय ऋण	3841	124.65	98.62
(ii) वस्तुओं के निर्यात के जरिए देय ऋण	475	52.82	13.25
(iii) विदेशी मुद्रा में देय रकमों का जोड़	4316	177.47	111.87

(iv) रुपयों में देय ऋण

(क) पी० एल० 480 ऋणों के अलावा

अन्य ऋण	303	22.48	11.61
---------	-----	-------	-------

(ख) पी० एल० 480 ऋण	2079	3.11	33.10
--------------------	------	------	-------

(v) रुपयों में देय कुल रकमें	2382	25.59	44.71
------------------------------	------	-------	-------

(vi) कुल जोड़ :	6698	203.06	156.58
-----------------	------	--------	--------

(ग) भारत सरकार द्वारा देय ऋणों के मूलधन तथा ब्याज की वापसी के लिये आवश्यक रकमों की व्यवस्था वार्षिक बजट में रुपयों के रूप में की जाती है। विदेशी मुद्रा में की जाने वाली अदायगी निर्यात से होने वाली आय तथा भारत सरकार के अन्य साधनों से की जाती है।

Family Planning Programme in Pauri-Garhwal, U. P.

908. **Shri Onkar Lal Berwa :****Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of persons undergone family planning operations in Uttar Pradesh in 1966-67 and 1968-69, so far ;

(b) the figures of men and women out of them, separately ; and

(c) the number of family planning centres functioning at present in Pauri-Garhwal district of Uttar Pradesh and the annual expenditure incurred by Government thereof?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b). The total number of sterilisation operations, with sex-wise break up, in Uttar Pradesh from 1966-67 to 1968-69, is given below :

	Vasectomies (Male)	Tubectomies (Female)	Total
1966-67	.. 76281	3154	79435
1967-68	.. 154258	4910	159168
1968-69	.. 122519	4388	126907

(Upto December, 68)..

(c) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Irrigation Facilities in Uttar Pradesh during Fourth Plan

909. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether a final decision has been taken with regard to the programme for making available irrigation facilities in Uttar Pradesh during the Fourth Plan ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Rural Electrification in Uttar Pradesh

910. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the number of villages electrified in Uttar Pradesh, District-wise, in 1967-68 ;

(b) the number of tube-wells fitted with electric connections in Uttar Pradesh in 1967-68 ;

(c) the total expenditure incurred on supplying electricity to villages and tube-wells ; and

(d) the likely increase in the annual income of Government as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) 2,558 villages were electrified in Uttar Pradesh during 1967-68. District-wise break-up is given in Annexure. [Placed in Library. See No. LT-102/69].

(b) During 1967-68, 22,349 private irrigation pumpsets/tube-wells and 321 State tube-wells were energised in the State.

(c) An approximate expenditure of Rs. 14.75 crores is stated to have been incurred on electrification of villages private tubewells/pumpsets and State tubewells.

(d) An annual gross revenue of about Rs. 1.2 crores in 1968-69 rising to Rs. 1.5 crores by 1971-72 is anticipated by the Electricity Board.

डी० आई० जेड० क्वार्टर

911. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जेड० क्षेत्र के टाइप 1 क्वार्टरों का पुनर्निर्माण कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ; और

(ख) पुराने क्वार्टरों वाले लोगों को हाल ही में उनके द्वारा दिये गये वचन के अनुसार इस बीच की अवधि में उनके क्वार्टरों को बिजली, पानी के नल आदि सभी नागरिक सुविधाएं देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) डी० आई० जेड क्षेत्र में टाइप I के क्वार्टरों को पुनः बनाने का कार्य चरणों (फेजेज) में आरम्भ किया जा रहा है। 720 नये दो मंजिले टाइप I के क्वार्टरों का निर्माण किया जा चुका है तथा यह प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र में 1969-70 के दौरान टाइप I के कुछ और क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ किया जाये।

(ख) अतिरिक्त हाईड्रान्ट, कंटीले तारों का घेरा तथा ताले की व्यवस्था वाले स्नान-गृहों जैसी नागरिक सुविधायें पहले ही दी जा चुकी हैं। सार्वजनिक शौचालयों के खंडों (कामन लेवेटरी ब्लाक्स) में बिजली की व्यवस्था करने का कार्य चल रहा है।

पेंशन

912. श्री म० ला० सोंधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में पेंशनों पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई है ; और

(ख) उपरोक्त वर्ष के लिये बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार पेंशनों की अदायगी के लिये (रेलों को छोड़कर), 1967-68 के बजट में लगभग 35.8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जबकि अदायगियों की रकम लगभग 36.7 करोड़ रुपये थी।

पेंशनभोगी लोगों को राहत

913. श्री म० ला० सोंधी :

श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री हेम राज :

श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

श्री स० मो० बनर्जी

श्री रा० की० अमीन :

श्री जार्ज फरनेंडीज :

श्री शशि भूषण :

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

श्री बदरहुजा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा की याचिका समिति ने पेंशनभोगी लोगों को कुछ तदर्थ राहत देने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनके अनुरूप आदेश जारी कर दिये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पिछली मई में राज्य सभा 'याचिका समिति' द्वारा की गई इसी प्रकार की एक सिफारिश को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया था। फिर भी, मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

New Researches in Ayurvedic or Allopathic Systems of Medicine

914. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether some new researches have been made in India last year in Ayurvedic or Allopathic systems of medicine ;

(b) if so, whether these have been experimented anywhere on a large scale and the results thereof ; and

(c) whether some other researches are also being made this year ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) As detailed below :
Ayurvedic System

(i) A glycoside named as PERUVOSIDE obtained from Peelakanecr (*Thevetia nerifolia*) found to be valuable in the treatment of C.C.F. This drug is now undergoing clinical trials in six selected centres of Cardiology in India.

(ii) AJMALINE (Gilurytma)—an alkaloid isolated from Sarpagandha (*Rauwolfia serpentina*) found in experimental studies to be valuable in the treatment of Cardiac arithmias. This drug is now under clinical trials in four centres of Cardiology in India.

(iii) GLYCERRHETIC ACID obtained from Mulathi (*Glacyyrihzia glabra*) which was shown experimentally to be valuable in the treatment of rheumatoid arthritis had reached the stage of clinical trials in the year under reference. This substance is now under clinical trial in four centres.

(iv) The gum resin of GUGGULU (*Commiphora mukul*) : Experimental studies undertaken on different fractions of gum Guggulu had shown, in the year under review, that fraction 'A' reduces the Cholesterol levels in the blood and also the weight in obese persons. This fraction has since been subjected to clinical trials in four centres.

(v) Waxy alkaloid of PIPPALI (*Piper longum*) has been shown, in experiments in vitro, to exhibit bactericidal activity in human H-37 RV strain of tubercule bacilli. Further in vivo studies are in progress.

Allopathic System (Modern)

(a) Psoralen in the treatment of Leucoderma.

(b) Anti-thyroid compound "1-isopropyl-imidazo-lidine-2-thione".

(b) Of the drugs referred to above, PERUVOSIDE obtained from Peelakanecr has been experimentally and clinically tried in about 90 clinics in West Germany. The results reported so far show that the Indian findings stand confirmed. Further clinical trials with this drug are now in progress in India.

All Allopathic drugs mentioned above are now being clinically tried in three centres each.

(c) (i) Further experimental and clinical researches on the extract of the root of *Ricinus communis* (*Eranda*) in inflammatory states, specially rheumatoid arthritis are being proceeded with in this year.

(ii) The value of Varuna (*Crataeva nurvala*) in the restoration of the tone of the bladder after the removal of the prostrate is now under investigation.

(iii) The action of Kutkin—an active principle of *Picrorrhiza korroa* (kutki) is being investigated for its value in the treatment of infective hepatitis,

(iv) The glycosidal fraction of Shatavari (*Asparagus recemosus*) which has been experimentally shown to possess galactotropic activity has been taken up for clinical trials in the current year.

Scheme for Beautification of Roads and Parks in New and Old Delhi

915. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated for the maintenance of roads and parks at crossings in New Delhi which are being beautified ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether any such scheme is under contemplation for old Delhi also ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

Construction of Vijay Ghat, New Delhi

916. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) when the work of construction of Vijay Ghat, the memorial of late Lal Bahadur Shastri is likely to be completed ;

(b) whether any museum is also proposed to be set up at Vijay Ghat to perpetuate the memory of Late Shastriji ; and

(c) whether the question of taking a decision to instal a stone statute of Shastriji somewhere in Delhi is also under consideration ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The work at Vijay Ghat is being carried out in stages. The first stage of work immediately around the Samadhi was completed in July 1966. The second stage of work for stone pavement around the Samadhi, etc., is expected to be completed soon. The third stage of work for filling up the low areas on the back and sides of the Samadhi to the extent of 19.4 acres is likely to be completed by July 1969.

(b) No such proposal is under consideration at this stage.

(c) Information is being collected and will be placed on the Table of the House later.

Overtime Allowance Paid to Government Servants

917. **Shri Prakash Vir Shastri :****Shri Shiv Kumar Shastri :****Shri D. B. Raju :**Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

- (a) whether the amount of Overtime Allowance paid to Government servants has gone up during the last few years ;
- (b) if so, whether there is any scheme under consideration to curtail it in future ; and
- (c) the time by which this Scheme would be implemented ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Information regarding the amount of Overtime Allowance paid to Central Government employees as a whole year-wise is not readily available. However, information regarding the Overtime Allowance paid by the various Ministries/Departments to their staff in the Secretariat proper is readily available. The yearly expenditure in respect of such staff beginning from June, 1964 is as under :—

	(Rs. in lakhs)
June 1964—May 1965	.. 35.59
June 1965—May 1966	.. 34.38
June 1966—May 1967	.. 32.06
June 1967—May 1968	.. 41.93

(b) and (c). Government have already taken steps from time to time to keep down the expenditure on Overtime Allowance payable to office and comparable staff of the Government of India and there is no fresh scheme under consideration of the Government to curtail the expenditure on Overtime Allowance. The following factors have contributed to the increase of expenditure on Overtime Allowance during the year June, 1967 to May, 1968 :—

- (i) Office hours were reduced by half an hour with effect from 1st December, 1967.
- (ii) Increase in emoluments of employees to which Overtime Allowance is related, due to revision of Dearness Allowance with retrospective effect in September, 1967 and again in December, 1967.

उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय

918. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़े राज्यों में से एक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां प्रति-व्यक्ति आय अखिल भारतीय आय के आंकड़ों से कम है ।

(ख) इसका कारण उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक परिस्थितियां तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक-आर्थिक तथ्य हैं। लेकिन, दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां रहन-सहन का स्तर अखिल भारतीय स्तर से ऊंचा है। आयोजित विकास की नीति का एक उद्देश्य यह है कि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जाय।

वर्ष 1968 में शेयरों से प्राप्ति

919. श्री म० सुदर्शनम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1968 में महत्वपूर्ण शेयरों के मूल्यों तथा उनसे प्राप्त होने वाली राशि में कितनी वृद्धि/कमी हुई है ;

(ख) इस अवधि में कितनी नई फर्मों द्वारा शेयर जारी किये गये और उनमें से कितने शेयर बिके तथा कितने शेयरों को खरीदने के लिये लोगों द्वारा हमी भरी गयी ;

(ग) कितनी धन राशि के शेयरों को खरीदने के लिये सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने हमी भरी थी ; और

(घ) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा उन्होंने कितने-कितने शेयर खरीदे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विवरण संख्या I जिसमें सूचना दी गयी है, सभा की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 103/69]

(ख) विवरण-पत्रों के जरिये 1968 में कुल मिलाकर 82, 1967 में 93 तथा 1966 में 103 कम्पनियों ने शेयर जारी किये। इनमें से 1968 में 73 कम्पनियों के 1967 में 86 के तथा 1966 में 95 कम्पनियों के शेयर खरीदने का जिम्मा लिया गया था।

(ग) और (घ). विवरण संख्या II, जिसमें सूचना दी गयी है, सभा की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 103/69]

Hospitals at Veerakhaj and Andargaon at Pauri-Garhwal (U. P.)

920. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that hospital buildings have been provided at Veerakhaj and Andargaon in Pauri-Garhwal but no doctors have been appointed there so far ;

(b) if so, the time by which doctors are likely to be appointed there ; and

(c) how far it is correct that the compounders in these hospitals resort to malpractices in the distribution of Medicines and sell them in black market instead of supplying the medicines to the public ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड

921. श्री जार्ज फरनेंडीज : श्री गणेश घोष :
 श्री यज्ञ दत्त शर्मा : श्री उमानाथ :
 श्री कामेश्वर सिंह : श्री प० गोपालन :
 श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मैसर्स डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड के काम-काज के मामले में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी तथा/अथवा इसके निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जांच कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). प्रवर्तन निदेशालय ने, अब तक की गई जांच-पड़ताल के आधार पर, मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड तथा इसके कुछ निदेशकों को, विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 19 (2) के अधीन 42 कारण बताओ नोटिस और कुछ निर्देश-पत्र जारी किये हैं इनके उत्तर प्राप्त होने पर कानून के मुताबिक अगली कार्यवाही की जायगी ।

अमरीका के निक्सन प्रशासन द्वारा विदेश सहायता में कमी की जाना

922. श्री जार्ज फरनेंडीज : श्री सु० कु० तापड़िया :
 डा० कर्णो सिंह : श्री नि० रं० लास्कर :
 श्री अदिचन : श्री रा० बरुआ :
 श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात के कोई संकेत मिले हैं कि भारत को दी जाने वाली विदेश सहायता में अमरीका के निक्सन प्रशासन द्वारा कमी कर दी जायगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अमरीका से सहायता के बारे में हाल ही में उस देश की सरकार के साथ कोई बातचीत की गयी है ; और

(घ) आगामी 4 वर्षों में, वर्ष-वार अमरीका से भारत को कुल कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) सहायता के बारे में, खासतौर से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता की रकमों के इस्तेमाल और उनके निर्धारण के संबंध में बराबर बातचीत होती रहती है ।

(घ) यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाना

923. श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री स० कुण्डू :

श्री श्रीनिवास मिश्र :

श्री सीताराम केसरी :

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

श्री क० लकप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के सम्बन्ध में श्री भूतलिंगम समिति के अन्तिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) क्या उन पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). कर ढांचे का सुधार करने सम्बन्धी श्री भूतलिंगम की अन्तिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार अभी पूरा नहीं हुआ है । जो सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार करने योग्य हैं तथा जिनका कार्यान्वयन इस समय व्यवहार्य है, उनको लागू करने के लिये, कानून में संशोधन करने का विधेयक, शीघ्र ही प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है ।

विदेशी वस्तुओं की घोषणा

924. श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री न० कु० सांघी :

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 जनवरी, 1969 को उद्घोषित सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश में अधिसूचित विदेशों में बनी वस्तुओं की घोषणा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर, दिल्ली में कितनी घोषणाएं की गयी ;

(ख) क्या यह सच है कि राजपत्र अधिसूचना उपलब्ध न होने/पूर्व सूचना न मिलने और बाजारों का वर्गीकरण न होने, घोषणा प्रोफार्मों की कमी आदि के कारण दिल्ली के व्यापारी और दुकानदार शीघ्र घोषणा नहीं कर सके ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अन्तिम तारीख, अर्थात् 10 जनवरी, 1969 के गुजर जाने के बाद दिल्ली में 173 घोषणाएं की गईं ।

(ख) जी, नहीं । समाचार-पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से अध्यादेश का विस्तृत प्रचार किया गया था । सार्वजनिक सूचनाएं भी जारी की गयी थीं जिनमें अध्यादेश के महत्वपूर्ण उप-बन्धों तथा व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक बातें दी हुई थीं । सीमा-शुल्क, तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क दिल्ली के समाहर्ता द्वारा अध्यादेश की प्रतियां साइक्लोस्टाइल भी कराई गई थीं जिनको व्यापारियों में बांटा गया ।

क्षेत्राधिकार-प्राप्त अधिकारी के पास घोषणाएं दाखिल करने के काम को आसान करने के लिए बाजार क्षेत्रों का विभिन्न इलाकों में वर्गीकरण किया गया । इससे कोई कठिनाइयां उत्पन्न नहीं हुईं ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

Banking Commission

925. Shri Raghuvir Singh Shastri :	Shri Chengal Raya Naidu :
Shri Narain Swarup Sharma :	Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ranjit Singh :	Shri Mangla Thumadom :
Shri Jagannath Rao Joshi :	Shri Sradhakar Supakar :
Shri Suraj Bhan :	Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Atal Bihari Vajpayee :	Shri Bibhuti Mishra :
Shri Sitaram Kesri :	Shri D. N. Patodia :
Shri S. S. Kothari :	Shri N. R. Laskar :
Shri Madhu Limaye :	Shri Hem Raj :
Shri B. K. Das Chowdhury :	Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

- whether Government have decided to appoint a Commission to study the banking system in the country ;
- if so, the terms of reference of the Commission ;
- the names of members of the Commission ; and
- when Government propose to lay a copy of the report of the Commission on the Table ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

- Yes, Sir.

(b) and (c). The composition and terms of reference of the Commission are contained in the Government Resolution of 3rd February, 1969, a copy of which is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-104/69.]

(d) The Commission is expected to submit its report by December, 1970.

यूनानी चिकित्सा प्रणाली के लिये शुद्ध पाठ्यक्रम तैयार करना

926. श्री हेम राज : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनानी चिकित्सा प्रणाली के लिये शुद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिये 26, 27 और 28 अगस्त, 1964 को हैदराबाद में उनके मंत्रालय की यूनानी शिक्षा समिति की बैठक हुई थी ;

(ख) क्या इस बैठक में भाग लेने के लिये समस्त भारत के विशेषज्ञ आमंत्रित किये गये थे ;

(ग) क्या इस बैठक में भाग लेने वाले कुछ विशेषज्ञों को चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अब तक उनके यात्रा तथा दैनिक भत्ते नहीं दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनको इस बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) इस समिति के सदस्यों ने अपनी बैठक हैदराबाद में की थी ।

(ग) और (घ). इस बैठक में भाग लेने वाले पांच गैर-सरकारी सदस्यों में से चार ने अपने भत्ते के क्लेम भेजे थे जिनका भुगतान कर दिया गया । जब कभी पांचवां सदस्य अपना क्लेम भेजेगा तो उसका भुगतान कर दिया जायेगा ।

अस्पतालों में पृथक शल्य चिकित्सा एकक खोलकर शल्य चिकित्सा के स्तर को बढ़ाना

927. श्री ए० श्रीधरन :

डा० सुशीला नैयर :

श्री क० लक्ष्मण :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 दिसम्बर, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस आशय के समाचार को पढ़ा है कि भारतीय शल्य चिकित्सकों के संघ के प्रधान डा० युद्धवीर सचदेव ने शल्य

चिकित्सा स्तर को ऊंचा उठाने के लिये मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में विशिष्ट शल्य चिकित्सा एकक खोलने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). उपयुक्त चिकित्सा कालेजों/संस्थानों में विशिष्ट स्तर के सर्जिकल यूनिटों की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा सकता है बशर्ते कि प्रशिक्षित विशेषज्ञ और उपकरण उपलब्ध हों । सभी चिकित्सा कालेजों में वक्ष शल्य चिकित्सा, न्यूरो सर्जरी आदि जैसे उच्च स्तर के विशिष्ट शल्य चिकित्सा एककों की व्यवस्था करना संभव नहीं है ।

नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि

928. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के सैकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें भविष्य निधि या अन्य संचित बचत के लाभ प्राप्त नहीं हैं क्योंकि वे स्थायी नहीं किये गये हैं, यद्यपि वे सेवा से निवृत्त होने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं । नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकांश कर्मचारी जो स्थायी किये जाने के पात्र थे उन्हें स्थायी नियुक्ति के लिए उपलब्ध पदों पर स्थायी कर दिया गया है । स्थायी कर्मचारी स्थायी होने की तिथि से अंशदायी भविष्य निधि में अपना अंशदान दे रहे हैं । जिन अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया है वे भी सामान्य भविष्य निधि में अपना अंशदान दे रहे हैं । उनके स्थायी हो जाने पर सामान्य भविष्य निधि की रकम अंशदायी भविष्य निधि में जमा कर दी जाती है ।

(ख) नगरपालिका ने सभी अस्थायी पदों में से 80 प्रतिशत पदों को जो तीन साल से अधिक की अवधि से चल रहे हैं और जो स्थायी स्वरूप के हैं; स्थायी मान लेने का निश्चय कर लिया है और इस तरह स्थायी घोषित कर दिये गये पदों पर कर्मचारियों को स्थायी घोषित भी कर दिया गया है अथवा किया जा रहा है ।

पांचवा वित्त आयोग

929. श्री स० चं० सामन्त :

श्री यशपाल सिंह :

श्री बलराज मधोक :

श्री रणजीत सिंह :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें वित्त आयोग ने अपने कार्य में अब तक कितनी प्रगति की है; और

(ख) ये अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब तक दे देगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयोग की अन्तिम रिपोर्ट तथा उसके सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई का व्याख्यात्मक ज्ञापन 15 नवम्बर, 1968 को लोक-सभा की मेज पर रख दिया गया था। आयोग इस समय राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा है।

(ख) 29 फरवरी, 1968 को लोक-सभा की मेज पर रखे गये राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार आयोग को अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 जुलाई, 1969 तक दे देनी है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पेय जल के लिये धन का नियोजन

930. श्री द० रा० परमार :

श्री रा० की० अमीन :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). कार्यकारी-दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर और ग्राम जलपूर्ति एवं सफाई योजनाओं के लिए कुल 454.25 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। वैसे योजना आयोग ने चौथी योजना का अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है किन्तु उन्होंने राज्य सेक्टर में उक्त कार्यक्रम के लिए अस्थायी रूप से कुल 336 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने को प्रस्ताव रखा है। नगर जलपूर्ति, ग्राम जलपूर्ति और नगर एवं ग्राम सफाई जैसी विभिन्न प्रकार की अलग-अलग योजनाओं के लिए कितना-कितना प्रावधान किया जाना है यह राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये जाने वाले विस्तृत

ब्योरे पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त, ग्राम जलपूर्ति योजनाओं को पिछड़े वर्ग-कल्याण योजनाओं के माध्यम से तथा स्थानीय लोगों के अंशदान के माध्यम से सहायता पहुंचायी जायेगी।

स्वामित्व, तकनीकी शुल्क तथा लाभांश की राशि विदेश भेजना

931. श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन पर विचार किया है कि सहयोग करारों में से लगभग 40 प्रतिशत करार इस देश से निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 1960-61 से 1966-67 तक के विदेशों को भेजी गयी स्वामित्व, तकनीकी शुल्क और लाभांश की राशि दुगुनी हो गयी है;

(ग) उन कम्पनियों को अपना फालतू धन इसी देश में लगाने के लिये मनाने हेतु और उन परियोजनाओं के माल का निर्यात करने देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इन शीर्षकों के अधीन विदेशी मुद्रा में अधिकाधिक भुगतान की समस्या को सुलझाने के लिए सरकारी कम्पनियों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 'भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग' संबंधी रिजर्व बैंक की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्याय VI की सारणी 12 के अनुसार—जिसमें मार्च, 1964 के अन्त तक का ब्योरा है—कुल 1051 करारों में से 455 करारों पर किसी न किसी रूप में निर्यात प्रबन्ध लागू थे। उपर्युक्त 455 करारों में से 36 करारों के संबंध में निर्यात करने की बिलकुल मनाही कर दी गयी थी। इस प्रकार केवल 4 प्रतिशत से भी कम सहयोग करारों के मामलों में ही निर्यात की बिलकुल मनाही की गयी थी। अन्य 419 करारों के संबंध में आंशिक निर्यात प्रतिबन्ध ही लगाये गये थे, जैसे निर्यात केवल नियत क्षेत्रों को ही किया जाय, निर्यात करने के लिये सहयोगी की पूर्वानुमति प्राप्त करना आदि। ये प्रतिबंध प्रत्येक करार के सम्बन्ध में अलग-अलग सीमा तक थे।

(ख) जी, हां। भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्याय VI की सत्रहवीं, उन्नीसवीं और बाइसवीं सारणियों के अनुसार लाभांश, अधिकार-शुल्क और तकनीकी फीस के रूप में बाहर भेजी गयी कुल रकम, जो 1960-61 में 16.3 करोड़ रुपया थी बढ़कर 1966-67 में 33.6 करोड़ रुपये हो गयी। मंजूर प्रस्तावों के संबंध में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की कम्पनियों को अधिकार-शुल्क, और तकनीकी फीस की राशियों को, भारतीय करों की अदायगी करने के बाद, विदेशों में भेजने की इजाजत है। विदेशी सहयोग करारों की संख्या बढ़ जाने और विदेशी निवेश की रकम में वृद्धि हो जाने के कारण, लाभांश, अधिकार शुल्क, तकनीकी फीस आदि की विदेशों को भेजी जाने वाली रकमों भी बढ़ गयी हैं।

(ग) कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में सरकार छंटाई के आधार पर विदेशी पूंजी के निवेश के संबंध में प्रोत्साहन देती है चाहे यह निवेश बाहर से भेजी गयी पूंजी के रूप में हो

चाहे अर्जित लाभांश के पुनः निवेश के रूप में। परन्तु बाहर भेजी जाने वाली रकमों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि ऐसा करने से अन्ततः विदेशी निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विदेशी सहयोग करारों की जांच करते समय, सरकार सामान्यतः इस बात पर जोर देती है कि उत्पादन के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय ताकि देश की निर्यात से होने वाली आमदनी संबंधी क्षमता बढ़ सके।

(घ) सरकार भारतीय परामर्श सेवा का उपयोग करने पर भी जोर देती है। अनुमान है कि देश में तकनीकी जानकारी की उत्तरोत्तर वृद्धि से इन शीर्षकों के अन्तर्गत की जाने वाली अदायगियां भी कम हो जायेंगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों पर पूंजी निवेश

932. श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात का अनुमान लगाया गया है कि भारतीय उर्वरक संघ की चौथी पंचवर्षीय योजना में विनियोजन के लिये 1,420 करोड़ रुपये की आवश्यकता है;

(ख) वर्ष 1969-70 से 1973-74 तक प्रति वर्ष विभिन्न उर्वरकों की कितनी मांग होने का अनुमान है तथा इस समय देश में कितनी उत्पादन क्षमता है;

(ग) उर्वरकों का आयात किन एजेंसियों के द्वारा किया जायेगा और क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की पार्टियों को भी उर्वरकों का आयात करने की अनुमति दी जायेगी; और

(घ) उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) नाइट्रोजन, फासफेटिक और पोटैश पूरक उर्वरकों की मांग के अस्थाई अनुमान निम्न प्रकार हैं :—

(मिलियन मीटरी टनों में)			
	एन	पी ₂ ओ ₅	के ₂ ओ
1969-70	2.00	0.80	0.55
1970-71	2.40	1.00	0.70
1971-72	2.78	1.20	0.81
1972-73	3.22	1.44	0.95
1973-74	3.73	1.735	1.10

वर्तमान उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार है :—

(i) नाईट्रोजन	—	1.024 मिलियन मीटरी टन
(ii) फासफेटिक	—	पी ₂ ओ ₅ का 0.421 मिलियन मीटरी टन
(iii) पोटैस	—	शून्य । क्योंकि देश में पोटैस का कोई महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है ।

(ग) सरकार आयात करती है । प्राइवेट पार्टियों को आयात की अनुमति नहीं है ।

(घ) आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए नये उर्वरक कारखानों की स्थापना तथा वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बिजली की सप्लाई का बार-बार बंद हो जाना

935. श्री नारायण रेड्डी : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में बिजली की सप्लाई बार-बार बन्द होते रहने के क्या कारण हैं;

(ख) इसमें सुधार करने के लिये क्या कारगर उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या बार-बार बिजली बन्द होने के परिणामस्वरूप उद्योगों को हुई हानि का, जिसका अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है तथा उद्योगों को कितनी हानि हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बिजली की सप्लाई लगातार और बार-बार बन्द हुई है । वितरण प्रणालियों में कुछ दोषों, बलात् अनुपयोग, दुर्घटना अथवा अन्य विविध बातों के कारण इन शहरों में बिजली की सप्लाई कभी-कभी बन्द रही है । इन खराबियों को तुरंत ही ठीक कर दिया जाता है । कलकत्ता के सम्बन्ध में, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के कर्मकों की हड़ताल और तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण सितम्बर-अक्तूबर, 1968 के महीनों में बिजली बन्द रहने की घटनायें अधिक जल्दी-जल्दी हुईं । इन परिस्थितियों का प्राधिकारियों ने उपयुक्त ढंग से सामना किया । इन शहरों को बिजली सप्लाई करने वाले राज्य बिजली बोर्ड और बिजली उपक्रम, अपनी बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणालियों को जो कि इन शहरों में बिजली की सप्लाई में बाधाओं को और कम करेंगे, सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं ।

(ग) ऊपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाकियों के माध्यम से गर्भ निरोधक सामग्री का बेचा जाना

936. श्री मयाबन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाकियों के माध्यम से परिवार नियोजन की गर्भ निरोधक सामग्री बेचने की कोई योजना बना रही है;

(ख) क्या डाकियों की यूनियनों ने इस प्रस्ताव के बारे में अपना विरोध-पत्र भेजा है; और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। इस उद्देश्य के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रस्ताव से सम्बन्धित सम्भावनाओं तथा अन्य ब्योरा की जांच-पड़ताल की जा रही है।

भारतीय तेल निगम द्वारा आयोजित नारेबाजी प्रतियोगिता

937. श्री मयाबन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम द्वारा हाल ही में आयोजित नारेबाजी प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं;

(ख) क्या निगम ने पुरस्कार-विजेता नारे प्रकाशित नहीं किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पुरस्कार विजेता के नामों को प्रेस में प्रकाशन किया गया था। प्रतियोगिता कारणों के लिए, पुरस्कार विजेता नारे का प्रकाशन किया जायेगा जब वे इस्तेमाल किये जायेंगे।

नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र का रम्य बनाया जाना

938. श्री मयाबन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका को उसकी रमणीयकरण योजनाओं के हेतु केन्द्रीय सरकार ने कोई धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं। सिवाय उस चार लाख रुपये की राशि के जो कि नई दिल्ली नगरपालिका को 'अंकटाड' सम्मेलन के समय दिल्ली को रम्य बनाने सम्बन्धी कार्यों के लिए दिये गये थे।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पचास लाख रुपये से अधिक आय वाली कम्पनियां

939. श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी औद्योगिक और वाणिज्यिक कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये से अधिक है;

(ख) उक्त कम्पनियों को कितनी धनराशि आयकर के रूप में देनी है; और

(ग) ऐसी गैर-सरकारी कम्पनियों की वार्षिक आय पर आयकर का कितने प्रतिशत भुगतान किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). वित्तीय वर्ष 1967-68 में गैर-सरकारी क्षेत्र में जिन औद्योगिक व्यापार तथा वाणिज्य संस्थाओं पर (जिनमें बैंकिंग कम्पनियां और राज्य वित्तीय निगम शामिल नहीं हैं) 50 लाख रुपये से अधिक की आय पर कर-निर्धारण किया गया उनके नाम और कर-निर्धारण की गयी आय की रकम अनुबन्ध में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 105/69] ऐसे निर्धारितियों द्वारा देय आयकर की रकम के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, और यह सूचना प्रत्येक निर्धारित की फाइल की छानबीन करने से ही इकट्ठी की जा सकती है। इसे इकट्ठा करने में लगने वाले समय तथा श्रम प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रतिशत-अनुपात निकाल सकना सम्भव नहीं है। फिर भी, 1967-68 में जारी की गयी कुल सकल मांग 585.61 करोड़ रुपये की थी।

दस लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति

940. श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों के नाम क्या हैं जिनकी वार्षिक कुल आय 10 लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) वर्ष 1950-51 में ऐसे लोगों की कुल संख्या कितनी थी ; और

(ग) उन्होंने कुल वार्षिक आयकर के कितने प्रतिशत का भुगतान किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जिन कम्पनियों, रजिस्टर्ड फर्मों, व्यक्तियों के संगम का कर-निर्धारण 10 लाख से ऊपर का है ; तथा जिन व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों का कर-निर्धारण 1 लाख रुपये से ऊपर का है, उनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये जाते हैं। बैंकिंग व्यवसाय करने वाली कम्पनियों तथा राज्य वित्तीय निगमों से भिन्न जिन कर-निर्धारितियों का 1967-68 में कर-निर्धारण 10 लाख रुपये अथवा इससे ऊपर की आय पर किया गया उनकी संख्या 829 है।

(ख) मांगी गई सूचना सिर्फ उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपलब्ध है, जिनकी आय 2 लाख रुपये से ऊपर है तथा वर्ष 1950-51 में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या 1845 थी।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित निर्धारितियों द्वारा अदा किये गये कुल वार्षिक आयकर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अपेक्षित सूचना इकट्ठी करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा जो प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए प्रतिशत अनुपात निकालना संभव नहीं है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में नियुक्तियों के नियम

941. श्री पी० विश्वम्भरन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 9 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3757 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्धकों और उक्त फर्म के कर्मचारियों के कार्मिक संघ के बीच हुए समझौते में नियुक्तियों के लिये क्या-क्या नियम और न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित हैं ;

(ख) यह समझौता किस तारीख से लागू किया गया है ;

(ग) उक्त समझौते का उल्लंघन करके कितनी नियुक्तियां की गयी हैं और उनके क्या कारण थे ;

(घ) प्रशासी संवर्गों में वार्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियां करने सम्बन्धी नियम क्या हैं ;

(ङ) गत पांच वर्षों में भाग (घ) में उल्लिखित संवर्ग में नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं ; और

(च) इंजीनियरिंग स्नातक प्रशिक्षु-योजना के अधीन भरती के नियम क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) समझौते के ज्ञापन के पृष्ठ 2 तथा पृष्ठ 8 से 14 तक और अनुबन्ध-1 की, जिनके उद्धरण सभा-पटल पर रखे गये हैं (परिशिष्ट 'ए'), ओर ध्यान दिलाया जाता है। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 106/69]

(ख) 4 जून, 1964।

(ग) शून्य।

(घ) नियम सभा-पटल पर रखा जाता है (परिशिष्ट 'बी')।

(ङ) सूची सभा-पटल पर रखी जाती है (परिशिष्ट 'सी')

(च) नियम सभा-पटल पर रखा जाता है (परिशिष्ट 'डी')

पश्चिम बंगाल के लिये केन्द्रीय सहायता

942. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की चौथी योजना और वर्ष 1968-69 के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी न्यूनतम राशि मांगी है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार इस अनुरोध को किस सीमा तक स्वीकार करने को तैयार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). 1968-69 की वार्षिक आयोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने लगभग 46 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता पाने के प्रस्ताव पेश किये थे। सहायता की इस रकम को मान लिया गया था।

राज्य सरकार ने, चौथी पंचवर्षीय आयोजना (1969—74) के सम्बन्ध में अपनी आवश्यकता के लिए केन्द्रीय सरकार से ली जाने वाली सहायता की किसी निश्चित रकम का उल्लेख नहीं किया है। चौथी आयोजना के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यवार कितनी-कितनी सहायता देगी यह बात अभी अंतिम रूप से तय नहीं की गयी है।

उर्वरक निगम दुर्गापुर को बिजली का सम्भरण

943. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि उर्वरक निगम, दुर्गापुर को बिजली का सम्भरण करने की जिम्मेदारी दामोदर घाटी निगम की होनी चाहिए, न कि दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह निर्णय सचदेव समिति और विज समिति की उपपत्तियों एवं सिफारिशों के प्रतिकूल हैं ; और

(घ) क्या दामोदर घाटी निगम ने उसी भांति बिना औचित्य के एलाय स्टील प्लांट की बिजली की सप्लाई का काम ले लिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लि०, दुर्गापुर का एलाय स्टील प्लांट दामोदर घाटी के भीतर स्थित है । एलाय स्टील प्लांट को 33 के० वी० पर जो बिजली की सप्लाई की जा रही है वह दामोदर घाटी निगम की बिजली प्रणाली के सांविधिक सप्लाई क्षेत्र के भीतर स्थित हिन्दुस्तान स्टील लि० को दी जा रही बिजली की सप्लाई का एक विस्तार भाग है । तदनुसार दामोदर घाटी निगम इस प्लांट को बिजली की सप्लाई कर रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा विवाह प्रयोजनों के लिये समाज सदनों का प्रयोग

945. श्री शशि भूषण वाजपेयी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाह प्रयोजनों के लिए सरकारी कर्मचारियों को गृह-कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन समाज सदन देने की अनुमति होगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) समाज सदनों में ढका हुआ स्थान कम से कम है और नर्सरी कक्षाएं, दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र, संगीत तथा नृत्य कक्षाएं, शिशु गृह तथा कार्य केन्द्र (क्रीचे एण्ड वर्क सेन्टर),

पुस्तकालय तथा वाचनालय, टी० वी० क्लब, घर के अन्दर के खेलों (इनडोर गेम्ज) जैसे वर्तमान गतिविधियों को देखते हुए विवाहोत्सवों के लिए किसी वास की व्यवस्था की गुंजाइश का होना कठिन है। वास की कमी के कारण, इन गतिविधियों को इस प्रकार आगे पीछे रखा जाता है कि आगे पीछे की व्यवस्था से हाल सारा दिन प्रातः से रात्रि तक रुके रहते हैं और इन गतिविधियों का नियमित संचालन विवाहोत्सवों की मांग से संगत नहीं जान पड़ता।

विवाह के साया के दिनों में एक ही दिन के लिए वास की मांग इतनी अधिक होती है कि कुछ कम्युनिटी हाल इसे पूरा नहीं कर सकेंगे और इसके परिणामस्वरूप वहां रहने वाले लोगों के बीच ईर्ष्या उत्पन्न होगी। कम्युनिटी हालों की गतिविधियों को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए, विशिष्ट उपकरणों पर यथेष्ट लागत की पूंजी लगाई जा चुकी है। उन्हें ऐसे अवसरों से होने वाले खतरे में डालना बुद्धिमता नहीं होगी।

विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को मकानों का आवंटन

946. श्री शशि भूषण वाजपेयी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के कितने सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकान दिये गये हैं ;

(ख) उनकी प्राथमिकता की तिथियां क्या हैं ; और

(ग) अगले तीन वर्षों में टाईप एक से चार तक के कितने सरकारी क्वार्टर तैयार हो जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). 1968 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को आवंटित सामान्य पूल वास की टाईप के अनुसार स्थिति तथा प्राथमिकता की वे तारीखें जहां तक आवंटन हो चुका है, निम्नांकित हैं :—

टाईप	आवंटित मकानों की संख्या	जहां तक आवंटन हो चुका है वह तारीख
I	1,460	14-5-1955
II	1,416	31-1-1953
III	376	3-11-1943
IV	490	28-4-1943
V	543	9-5-1959
VI	146	1-8-1959
VII	27	30-7-1962
VIII	5	9-6-1965

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में 1968-69 के दौरान टाईप II से IV तक के 1,758 क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए स्वीकृति दे दी गयी है। यह प्रस्ताव है कि यदि निधियां उपलब्ध हुईं तो प्रति वर्ष (1969-70 से) टाईप I से IV तक के 2,000 क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ किया जाये।

नेपाल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं

947. श्री शशि भूषण : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आरम्भ की गयी परियोजनाओं के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). आजकल नेपाल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दो परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है ; अर्थात्, सोनउली पोखरा मार्ग तथा पूर्व-पश्चिम राज-पथ। इन दो परियोजनाओं में हुई प्रगति इस प्रकार है :—

(I) सोनउली पोखरा मार्ग

यह 200 किलोमीटर लम्बी मुख्यतः एक पहाड़ी सड़क है जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सोनउली को नेपाल की पोखरा घाटी से मिलाती है। जनवरी, 1966 से सोनउली से बुतवल तक का 17 मील की सड़क को वर्ष भर यातायात के लिए खोल दिया है। 13 अप्रैल, 1968 से बुतवल से पोखरा तक का पहाड़ी मार्ग भी जीपों और ट्रकों के लिए खोल दिया गया है। जून, 1969 तक, सभी पुलियों और अधिकतर पुलों सहित, सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने की आशा की जाती है। कुछ एक बड़े पुलों का शेष कार्य 1970 में पूरा होने की आशा है।

(II) पूर्व-पश्चिम राज-पथ (पूर्वी क्षेत्र)

यह तराई के मैदान में 256 किलोमीटर लम्बी सड़क है जो नेपाल की सीमा पर मेची नदी को भारत में जनकपुर से (नक्सालबाड़ी के निकट) मिलाती है। यह कार्य 1967 के अन्त में आरम्भ किया गया था। सारे रास्ते पर सर्विस ट्रैक बना दिया गया है। पुलियों और अधिकतर पुलों सहित सड़क का निर्माण कार्य मार्च, 1971 तक पूरा होने की आशा है। शेष कार्य पर थोड़ा समय और लगेगा।

सरकारी क्वार्टरों के नियतन में भेदभाव

948. श्री शशि भूषण : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्वार्टरों के नियतन के मामले में अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों

तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बीच भारी भेद-भाव किया जाता है क्योंकि अधिक वेतन भोगी कर्मचारियों के दो वर्षों की नौकरी के बाद ही क्वार्टर मिल जाता है जबकि कम वेतन भोगी कर्मचारियों को बीस वर्ष की नौकरी के बाद भी क्वार्टर नहीं मिलता ; और

(ख) इस विषम स्थिति को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख). जनरल पूल से वास के आवंटन के उद्देश्य के लिए, आज-कल निम्नांकित पात्रता तथा वेतन शृंखला (पे रेंज) लागू है :—

निवास-स्थान का टाईप	पात्रता/वेतन शृंखला	
I	110 रुपये से कम	प्राथमिकता की तारीख उस तारीख
II	110 रुपये से 249 रुपये तक	से मानी जाती है, जब से अधिकारी
III	250 रुपये से 399 रुपये तक	लगातार केन्द्रीय/राज्य सरकार के
IV	450 रुपये से 699 रुपये तक	अधीन कार्य कर रहा है ।
V	700 रुपये से 1,299 रुपये तक	प्राथमिकता की तारीख उस दिन से
VI	1,300 रुपये से 2,249 रुपये तक	मानी जाती है, जिस दिन से अधिकारी
VII	2,250 रुपये और ऊपर	सबसे पहले केन्द्रीय सरकार/राज्य
	(टाईप VIII के लिए पात्रता छोड़कर)	सरकार अथवा इतर सेवा के अधीन,
		एक पद पर टाईप विशेष के लिए
		उपयुक्त परिलब्धियां लगातार ले रहा है ।
VIII	भारत सरकार के सचिव तथा अपर सचिव के स्तर के अधिकारी	प्राथमिकता की तारीख उस तारीख
		से मानी जाती है, जब से अधिकारी
		अपर सचिव/सचिव हो जाता है
		या समकक्ष पद ग्रहण करता है ।

वास्तव में अधिक और न्यून वेतन वाले कर्मचारियों को सरकारी वास के आवंटन में कोई भेद-भाव नहीं है, किन्तु अन्तर वास के आवंटन की प्राथमिकता की तारीख नियत करने के भिन्न रीति के कारण है ।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि कम वेतन पाने वाले और अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सरकारी वास के आवंटन के मामले में कोई भेद-भाव नहीं है । तथापि, यह सत्य है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वर्षों तक वास नहीं मिल पाता, जबकि अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को कुछ ही वर्षों में वास मिल जाता है । ऐसा इसलिए होता है कि पहली हालत में मांग बहुत अधिक है । इस असंगति के दूर करने के उद्देश्य से ही I से IV टाईप के क्वार्टरों का अधिक निर्माण किया जा रहा है ।

M/s. Capital Finance of India

949. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 981 on the 18th November, 1968 and state :

(a) the amount of Income-tax outstanding against Messrs. Capital Finance of India (P) Limited at present ; and

(b) the steps being taken by Government to realise the same ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b). Total demand of Rs. 2,66,409 is outstanding against the assessee for the assessment years 1961-62, 1962-63, 1963-64 and 1967-68.

A major portion of the demand is outstanding for the assessment year 1967-68, the assessment for which was finalised exparte under section 144 of Income-tax Act, 1961. Assessee company has filed an application under section 146 of the Act which is under consideration. Recovery certificates have been issued. Show Cause Notices have also been issued for imposing penalty for non-payment of taxes.

केरल राज्य की सहायता

950. **श्री अदिचन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से अथवा अन्यथा केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया था कि राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इसके लिए केन्द्रीय करों से प्राप्त राजस्व में से अधिक भाग रखा जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केरल सरकार का वास्तविक अनुरोध क्या था ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). केरल सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर 1967 में हुई बैठक में विचार करने के लिये बैठक से कुछ समय पूर्व एक ज्ञापन परिचारित किया था जिसमें करों के विभाज्य कोष में अधिक संख्या में केन्द्रीय राजस्व की मदें जोड़ कर राज्यों को दिये जाने वाले करों के हिस्से के आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। तब से वित्त आयोग की स्थापना कर दी गयी है ताकि वह केन्द्र और राज्यों के बीच विभाज्य करों और शुल्कों के वितरण के संबंध में अपनी सिफारिशें कर सके और प्रशासनिक सुधार आयोग भी केन्द्र और राज्यों के संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। सरकार दोनों आयोगों के विचाराधीन मामलों के बारे में, उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

‘बाढ़ नियंत्रण’ पर परिसंवाद

951. श्री बलराज मधोक : श्री वेणी शंकर शर्मा :
 श्री रणजीत सिंह : श्री हरदयाल देवगुण :
 श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (इंडिया) गुजरात शाखा के 9वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर बाढ़ नियंत्रण पर एक परिसंवाद आरम्भ करते हुए गुजरात के लोक निर्माण मंत्री ने बाढ़ों को रोकने और बाढ़ों के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक 11 सूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया था ;

(ख) क्या उन्होंने सभी राज्यों में अन्तर्राज्यीय बाढ़ चेतावनी और नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने और बाढ़ का मुकाबला करने के उपकरण रखने के सुझाव दिये थे ; और

(ग) क्या उन सुझावों पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी हां, उन्होंने बाढ़ों को रोकने और बाढ़ों से आई मुसीबतों को कम करने के लिए कई एक उपाय सुझाए । इनमें लोगों को तथा उनकी चल सम्पत्ति को मर्मस्थलों से शीघ्र निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिये बाढ़ चेतावनी की एक प्रणाली शामिल है ।

(ग) मुख्य केन्द्रों पर नदी के प्रवाह आंकड़ों पर आधारित तापी और नर्मदा की बाढ़ों के सम्बन्ध में पूर्वसूचनाएं जारी करने के लिये सूरत में एक बाढ़ पूर्वसूचना केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । जिन क्षेत्रों के संकट-ग्रस्त होने की संभावना होगी, वहां के लोगों को उचित समय पर चेतावनी देने के लिए ये बाढ़-सम्बन्धी पूर्वसूचनाएं सिविल प्रशासन को भेज दी जाएंगी ताकि वे लोग अपनी चल-सम्पत्ति और मवेशियों समेत सुरक्षित स्थानों पर निकल कर जा सकें । बाढ़ से उत्पन्न संकट स्थितियों का मुकाबला करने तथा इस सम्बन्ध में व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये गुजरात सरकार आवश्यक उपकरण खरीदने की एक स्कीम तैयार कर रही है ।

कर्जन रोड होस्टल, नई दिल्ली

952. श्री ए० श्रीधरन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित कर्जन रोड होस्टल में गैर-सरकारी कर्मचारियों को भी आवास दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किन श्रेणियों के कर्मचारियों को इसमें आवास दिया जाता है ; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों से कितना किराया लिया जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख), कर्जन रोड होस्टल में वास प्रायः सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किया जाता है। निम्नांकित मामलों में अपवाद किया गया है :—

- (i) “ई” ब्लॉक में एक कमरा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, नई दिल्ली को, अपने लेडी डाक्टरों को आवंटन के लिए सौंप दिया गया है।
- (ii) होस्टल की केटरिंग सेवा को कुशलता के साथ देखरेख करने के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार होस्टल के केटरर्ज मैसर्स एस० पी० सिंह तथा नीरज प्रकाश को “एफ” ब्लॉक में एक कमरा आवंटित कर दिया गया है। भोजन कक्ष (डाइनिंग हाल) परिसर के साथ 8 सर्वेन्ट क्वार्टर तथा 2 गैराज भी उन्हें आवंटित कर दिये गये हैं।
- (iii) निवासियों की सेवा करने के लिए नाई, श्री के० के० वर्मा को भी एक सर्वेन्ट क्वार्टर आवंटित कर दिया गया है।
- (iv) “एफ” ब्लॉक में 50 कमरों का उपयोग सरकारी काम से दिल्ली आये सरकारी तथा गैर-सरकारी आगंतुकों के लिए होस्टल के रूप में किया जाता है।
- (ग) कर्जन रोड होस्टल में सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य से वसूल किया जाने वाला किराया निम्न प्रकार है :—

(i) सरकारी कर्मचारी :—

(1) ब्लॉक ‘ए’ से ‘डी’ तक	161 रुपये प्रतिमास
(2) ब्लॉक ‘ई’	98 रुपये प्रतिमास
(3) ब्लॉक ‘एफ’	110 रुपये प्रतिमास
(उपर्युक्त दरों में बिजली तथा पानी का प्रभार शामिल नहीं है।)	

(ii) अन्य :—

(1) हास्पिटल	पानी तथा बिजली तथा अन्य सेवा प्रभारों के बगैर 355 रुपये प्रतिमास।
(2) केटरर	पानी तथा बिजली प्रभार के बगैर 3,411 रुपये प्रति माह एक मुश्त किराया।
(3) नाई	बाजार दर किराया और उसके साथ पानी तथा बिजली प्रभार।
(4) दौरे पर आये सरकारी कर्मचारी तथा अन्य।	

(i) केन्द्रीय सरकार के साथ
पारस्परिक व्यवस्था

रखने वाले केन्द्रीय
सरकार के कर्मचारी
तथा राज्य सरकारों
एवं निगमों के कर्म-
चारी ।

— 8 रुपये प्रति दिन

(ii) अन्य राज्य सरकारों
तथा अर्द्ध-सरकारी
संगठनों के अधिकारी ।

—12 रुपये प्रति दिन

(iii) अन्य

—20 रुपये प्रति दिन

Popularisation of Family Planning Programme and Proper Utilisation of Money Granted for Villages

953. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Health, and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government propose to take some special measures to popularise the family planning programmes in the villages ;

(b) whether it is a fact that the major portion of the money being spent on this scheme is not being utilised properly ;

(c) if so, whether Government have also made any high level enquiries about it ; and

(d) the results thereof ?

The Minister of State for Health, and Family Planning, and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

नई दिल्ली नगरपालिका के प्रांगण में लगे हुए पेट्रोल पम्प को हटाना

954. श्री समर गुह :

श्री पी० विश्वम्भरन् :

श्री क० लक्ष्मण :

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के प्रांगण में लगे हुए पेट्रोल पम्प को अभी तक नहीं हटाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका के चार दीवारी के भीतर वाले पम्प को हटाया जा सकने के लिए एक वैकल्पिक स्थान आवंटित कर दिया गया है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारियों द्वारा मुद्रा की जालसाजी

955. श्री समर गुह :

श्री जे० अहमद :

श्री क० लक्ष्मी :

श्री दिनकर देसाई :

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

डा० कर्णो सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 के प्रथम सप्ताह में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारियों को मुद्रा का लेन देन करने के लिये गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो मुद्रा की इस जालसाजी का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस जालसाजी से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने भारतीय तथा विदेशी सम्बन्धित हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ग). तीन व्यक्तियों को, जो पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी थे, दिल्ली में, जनवरी, 1969 के पहले सप्ताह में, विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के संदेह में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूछताछ अभी जारी है, फिलहाल अधिक जानकारी देना जनहित में नहीं होगा ।

उत्तर बंगाल में बाढ़ पीड़ित लोगों का पुनर्वास

956. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, 1968 में आई बाढ़ के कारण उत्तरी बंगाल के विभिन्न जिलों में बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिये केन्द्र द्वारा कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी तथा आज तक कितनी राशि दी गई है ;

(ख) कितने परिवारों को नये घरों में बसाया जा चुका है और उन्हें खेती वाली भूमि दी गई है ; और

(ग) कितने परिवार अभी तक उन बांधों पर रह रहे हैं, जहां उन्होंने पहले शरण ली थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को राहत और पुनर्वासि सम्बन्धी कार्यों के लिए अलग-अलग सहायता नहीं दी जाती। चालू वित्तीय वर्ष में, राज्य में बाढ़ के कारण शुरू किये जाने वाले राहत और पुनर्वासि सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के खर्च को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अब तक 17.50 करोड़ रुपया दिया गया है।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

अधवाड़ा नदी समूह की बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई योजना

957. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 988 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधवाड़ा योजना की बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई योजना के रूप में क्रियान्विति में आरम्भ से ही क्या कठिनाइयां हैं ;

(ख) क्या अधवाड़ा योजना को केवल बाढ़ नियंत्रण योजना के रूप में क्रियान्वित करने के बारे में आपत्तियां और ज्ञापन प्राप्त हो गये हैं ;

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अधवाड़ा ग्रुप की नदियों की बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन एक समिति द्वारा किया गया था जिसमें राज्य और केन्द्र सरकारों के प्रवर तकनीकी अधिकारी शामिल थे। इस समिति ने सिंचाई के लिये तथा बाढ़ों को संयत रखने के लिये जलाशयों, निरोधकारी वेसिनों और तालों की संभाव्यता तथा बाढ़ पानी को कई नालियों के जरिये वितरित कर देने की संभाव्यता की जांच भी की और यह निर्णय किया कि ये कार्य इस क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए व्यवहार्य नहीं है और बाढ़ नियंत्रण कार्य हाथ में लिये जाएं। इन बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए अनुसंधान किया जा रहा है।

(ख) बिहार सरकार ने सूचना दी है कि कोई अपत्ति अथवा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलनों के तैयार हो जाने के पश्चात ही राज्य सरकार को इस पर विचार करना होगा।

दरभंगा मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाना

958. श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 9 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3740 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल के शल्य चिकित्सा विभाग का दर्जा बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर निर्णय कर लिया गया है और उसका ब्योरा क्या है ;

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). दरभंगा मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर शल्य चिकित्सा विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता देने का बिहार सरकार का प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हुआ है ।

पश्चिमी कोसी नहर

959. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 9 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3807 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी कोसी नहर के बारे में मामला उच्चतम स्तर पर नेपाल सरकार के साथ उठाये जाने का क्या परिणाम निकाला ;

(ख) नेपाल सरकार के समक्ष अनुमोदन करने के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) पश्चिमी कोसी नहर की पूर्ति के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि निर्धारित रखी गई है अथवा रखी जा रही है ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नेपाल सरकार के अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) पश्चिमी कोसी क्षेत्र से सम्बद्ध नेपाल को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की कार्यान्विति से सम्बन्धित कुछ प्रक्रियात्मक प्रश्न विचाराधीन हैं ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिमरूप दिया जाना है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 5694 दिनांक 26 अगस्त, 1968 के उत्तर में शुद्धि संबंधी वक्तव्य

Statement correcting reply to U. S. Q. 5694 dated 26-8-1968

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : 23 अगस्त, 1968 को दिल्ली नगर निगम ने बतलाया था कि बिजली शवदाहगृह के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष लगभग 1,60,000 रुपये की रकम खर्च होती है । बाद में 30 नवम्बर, 1968 को उन्होंने बतलाया कि इस सम्बन्ध में एक गलती ही पड़ी है । 23 अगस्त, 1968 को दी गई 1,60,000 रुपये की रकम वस्तुतः निगम के सभी शवदाहगृहों के स्टाफ

के रख-रखाव के वार्षिक खर्च से सम्बन्धित है। बिजली शवदाहगृह पर प्रतिवर्ष केवल 80,000 रुपये खर्च होते हैं। अतः 1,60,000 रुपये की रकम के स्थान पर 80,000 रुपये की रकम मानी जाय।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी प्रधान मंत्री के घर के सामने भूखे मर रहे हैं। वे लोग मर रहे हैं। पिछली बार भी उनमें से कई लोग मर गये थे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिये। उनके किसी भी शब्द को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री म० ला० सोंधी**

अध्यक्ष महोदय : चूंकि बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं इस कारण सभा की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता। वह जो कह रहे हैं उसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री म० ला० सोंधी**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मिजो विद्रोहियों द्वारा सुरक्षा सैनिकों पर हमले

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

“Attacks by Mizo rebels on security forces causing death of an army officer and the steps taken by Government to face the situation.”

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जैसाकि सभा को विदित ही है सुरक्षा सैनिक मिजो पहाड़ी जिले में विद्रोहियों के विरुद्ध अपनी कार्यवाही कर रहे हैं। 7 फरवरी को लगभग 6½ बजे सायंकाल एक मेजर पर, जो अपने कार्यवाही क्षेत्र की सीमाओं में हनाहलन नामक गांव का दौरा कर रहा था, अचानक ही गोली चलाई गई थी। हमें बड़े दुख के साथ पता लगा है कि वह मेजर उससे मारा गया। अगले ही दिन सुबह सुरक्षा सैनिकों ने उस क्षेत्र की पूरी तरह से खोज की।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Though we find that the position in regard to Mizo problem has improved but still the position there is very serious. One of the reasons of this is that the means of communication there are very meagre. Secondly, rigid steps have not been taken on the hard core of Mizos nor full freedom has been given to the security forces

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

in this connection. I admit that an attack cannot be launched on our own people immediately but no leniency should be shown to those who indulge in treason against the country. In this connection may I know whether these Mizo rebels have already established relations with Pakistan and now they are establishing relations with China also? May I also know what steps have been taken to smash these links? I would also like to know what steps are being taken to improve communications there? May I also know when normalcy will be restored and when emergency will be removed there? I also want to know the details of persons killed and injured there?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने एक व्यापक प्रश्न पूछा है जिसमें मिजों समस्या की सारी बातें आ जाती हैं। जहां तक सम्भव हुआ मैं उन सबका उत्तर देना चाहूंगा।

सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी यह जानकारी कि वहां पर संचार साधन विकसित नहीं हैं, गलत है। पहले मिजो जिले में संचार व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी परन्तु सीमा सड़क संगठन ने वहां की संचार व्यवस्था में बहुत सुधार कर दिया है हालांकि वहां पर संचार व्यवस्था सुधारने का काम बहुत ही कठिन है।

माननीय सदस्य ने यह ठीक ही कहा है कि मिजो विद्रोहियों की हार्ड कोर अभी विद्यमान है। परन्तु इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि गत वर्ष दो चीजें अवश्य हुई हैं। एक चीज तो यह हुई है कि शस्त्रास्त्रों की घटनाओं में कमी हुई है और दूसरी चीज यह हुई है कि वहां के लोगों का मनोबल ऊंचा हो गया है। इनसे पता चलता है कि वहां पर स्थिति में सुधार हो रहा है।

जहां तक उन लोगों के पाकिस्तान और चीन के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रश्न है यह बात सही है कि उन्होंने गत तीन वर्षों में पाकिस्तान से प्रशिक्षण और हथियार प्राप्त किये हैं। मिजो विद्रोहियों के एक दल ने चीन के साथ भी सम्बन्ध स्थापित किये थे और उनमें से कुछ लोग चीन भी गये थे जो प्रशिक्षण लेने के बाद वापिस लौट आये हैं।

जहां तक हमारी ओर के उनकी ओर के मारे गये लोगों की संख्या का सम्बन्ध है, मैं उसका ब्योरा बता सकता हूं, परन्तु इस समय नहीं।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I feel that the Hon. Minister is not putting the clear picture before the House and is trying to make out that the situation is not so serious, as has been stated. The information regarding the training of Mizo rebels in China given by the Hon. Minister is not correct because two thousand Mizos and Kukis are still in China and are getting training there in warfare in hill areas. So, in this connection may I know one or two questions? May I know whether the officers of the army had told the Government that it had not been possible to enforce civilian administration in Mizo district, because of fear amongst the officers deputed there. May I also know the areas where the civilian administration is at a standstill there?

Secondly, may I know whether the rifles given by Government to the loyal Mizos are being used by Mizos who are fighting against us?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, वह बिल्कुल गलत है क्योंकि जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वह मुझे मंत्री की हैसियत से मिली है। इसलिये यदि वह उस जानकारी का आधार बता दें तो उस पर विचार किया जा सकता है।

जहां तक असैनिक प्रशासन का सम्बन्ध है, मैंने यह नहीं कहा है कि वह वहां पर बहुत प्रभावी है। वास्तविकता तो यह है कि कुछ देहाती क्षेत्रों में असैनिक प्रशासन प्रभावी रूप से करना बहुत कठिन था। इसीलिये गांवों का पुनर्वर्गीकरण किया गया था। ऐसे गांवों में प्रशासन भली भांति चल रहा है क्योंकि जब हम गांवों का पुनर्वर्गीकरण करते हैं तो दिन-प्रति-दिन की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। जहां तक मेरी जानकारी है लगभग आधी जनसंख्या को इन पुनर्वर्गीकृत गांवों में संगठित किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस समिति के बारे में आपकी राय क्या है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि वहां पर कोई समिति है जो अपने को जिला कांग्रेस समिति कहती है। एक बार उस समिति का प्रधान एक विद्रोही था। हमारी ओर से उनके साथ कोई बातचीत नहीं करता। जब तक वे अपने हथियार नहीं फेंक देते, हम उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं हैं।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : जब इस प्रकार का प्रश्न उठाया जाये तो यह आशा की जाती है कि मंत्री महोदय इस बारे में पूरी-पूरी जानकारी देंगे कि हमला करने की मिजो लोगों की क्षमता के बारे में उनका अनुमान क्या है परन्तु मंत्री महोदय को सुनने से यह पता चलता है कि मिजो लोगों तथा बर्मा और पाकिस्तान की सीमाओं के पार लोगों के बीच गुप्त करार हुए हैं। इसलिये इस समस्या को हल करने के लिये राजनीतिक प्रयास की आवश्यकता होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस राजनीतिक पहलू को हल करने के लिये कौन कार्यवाही आरम्भ करेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मिजो क्षेत्र में सबसे पहले विद्रोह को कम किया जाना चाहिये। राजनीति का प्रश्न बाद में उठाया जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि अन्ततोगत्वा इस प्रश्न को राजनैतिक तरीके से हल किया जा सकता है। परन्तु इस समय राजनैतिक कार्यवाही के बारे में विचार नहीं किया जा सकता। जहां तक मेरे अनुमान का सम्बन्ध है मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उनकी शक्ति कम कर दी गई है परन्तु उनका हार्ड कोर ठीक ठाक है।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : लगभग दो अथवा तीन महीने पहले बर्मा की सीमा के निकट चम्पाई में विद्रोही मिजों से बहुत से हथियार पकड़े गये थे। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इससे यह पता चलता है कि मिजो विद्रोही एक भारी आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो जानकारी माननीय सदस्य ने मांगी है मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसमें सन्देह नहीं कि वे लोग चीन अथवा पाकिस्तान की ओर से अधिक

शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब वे ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो निस्सन्देह हमें भी किसी भारी आक्रमण की अशंका से तैयार रहना चाहिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : उस हार्ड कोर की शक्ति कितनी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं वे आंकड़े नहीं बताना चाहता।

श्री नि० रं० लास्कर : मैं यह जानना चाहता था कि हमारे सुरक्षा सैनिकों के वहां होते हुए वे वहां पर आधुनिक हथियार कैसे ले आये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है। वहां पर कोई भी छोटा-सा दल पाकिस्तान तथा कुछ हद तक बर्मा से हथियार प्राप्त करने में सफल हो जाता है।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : बर्मा-चीन की सीमा पर जैसे सरकार ने सुरक्षा सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और मिजो लोग चीन की ओर से बर्मा की सीमा पार करके नहीं आ सकते हैं। क्या उसी तरह से वह पाकिस्तान सीमा पर भी सुरक्षा सैनिकों की संख्या बढ़ायेगी ताकि वहां से भी कोई व्यक्ति उसे पार करके न आ सके ?

दूसरी बात यह है कि क्या मेजर के साथ कुछ सिपाही भी थे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब वह मारा गया तो क्या वे लोग दौड़ गये थे अथवा उन्होंने मिजो लोगों पर भी गोली चलाई थी और वे भी मारे गये थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेजर के साथ तीन अथवा चार व्यक्ति थे। जब गोली चलनी शुरू हुई और उन्हें पता लगा कि अनेक व्यक्ति उन पर गोली चला रहे हैं तो वे वापिस आ गये तथा अन्य व्यक्ति लेकर वहां पर वापिस गये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पत्र

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स मिलिटेड, पिम्परी का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 84/69]

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : श्री के० के० शाह की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 83/69]

दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1969 आदि

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 जनवरी, 1969 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (177)/68-फिन (जनरल) में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूँ । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 85/69]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अधिकार अधिनियम, 1964 की धारा 24-क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2203 की एक प्रति, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान तथा जलयान को संचालित करने वाले उद्यमों की आय पर दोहरे करारोपण से बचने के लिये भारत सरकार तथा रूमानिया समाजवादी गणतंत्र की सरकार के बीच हुए समझौते के सम्बन्ध में थी । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 86/69]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 2244 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 21 जो दिनांक 4 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 31 जो दिनांक 1 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

- (चार) जी० एस० आर० 32 जो दिनांक 1 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (पांच) जी० एस० आर० 33 जो दिनांक 1 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (छ) निर्दिष्ट माल (गैर-कानूनी निर्यात का निवारण) नियम, 1969 जो दिनांक 3 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 36 में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) जी० एस० आर० 37 जो दिनांक 3 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (आठ) जी० एस० आर० 38 जो दिनांक 3 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (नौ) जी० एस० आर० 39 जो दिनांक 3 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (दस) अधिसूचित माल (गैर-कानूनी आयात का निवारण) नियम, 1969 जो दिनांक 3 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 40 में प्रकाशित हुए थे ।
- (ग्यारह) जी० एस० आर० 41 जो दिनांक 3 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (बारह) जी० एस० आर० 42 जो दिनांक 3 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (तेरह) जी० एस० आर० 84 जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (चौदह) जी० एस० आर० 85 जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (पन्द्रह) जी० एस० आर० 88 जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (सोलह) जी० एस० आर० 89 जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (सत्रह) जी० एस० आर० 91 जो दिनांक 7 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

- (अठारह) जी० एस० जार० 93 जो दिनांक 10 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (उन्नीस) जी० एस० आर० 94 जो दिनांक 10 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (बीस) निर्धारित माल (विधिविरुद्ध निर्यात को रोकना) संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 10 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 95 में प्रकाशित हुए थे ।
- (इक्कीस) जी० एस० आर० 96 जो दिनांक 10 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (बाईस) जी० एस० आर० 201 जो दिनांक 1 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (तेईस) जी० एस० आर० 202 जो दिनांक 1 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (चौबीस) जी० एस० आर० 237 जो दिनांक 8 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (पच्चीस) जी० एस० आर० 240 जो दिनांक 8 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (छब्बीस) जी० एस० आर० 256 जो दिनांक 5 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (सत्ताईस) एस० ओ० 84 जो दिनांक 1 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
- (अठाईस) एस० ओ० 551 जो दिनांक 8 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 87/69]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

- (एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) पहला संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 80 में प्रकाशित हुए थे ।

- (दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 81 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 82 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 83 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) पांचवां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 1 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 199 में प्रकाशित हुए थे।
- (छ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) छठा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 1 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 200 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) सातवां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 8 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 239 में प्रकाशित हुये थे।
- (आठ) जी० एस० आर० 241 जो दिनांक 8 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 11 जनवरी, 1969 की जी० एस० आर० 83 का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (नौ) जी० एस० आर० 242 जो दिनांक 8 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 11 जनवरी, 1969 की जी० एस० आर० 82 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 88/69]

(5) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (21वां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 21

- दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2202 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (22वां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2217 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (23वां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2218 में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) जी० एस० आर० 20 जो दिनांक 4 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) जी० एस० आर० 86 जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1968 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 432 में एक संशोधन किया गया तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।
- (छः) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 25 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 157 में प्रकाशित हुए थे ।
- [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 89/69]

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मिलित करने और उन्हें उनसे निकालने, उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन तथा संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन, जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सूचियों से निकालने अथवा उसमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप आवश्यक हो तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय 29 अगस्त, 1969 तक बढ़ाती है ।”

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : There is no need to extend the time upto 29th August. The report should come early.

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : This committee will not be able to complete its work during this session. The committee will sit from the 1st of July for clause by clause consideration. Next session will take place in August. Therefore extension has been asked upto August so that we may not have to ask for further extension of time.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : This has been pending before the joint committee for the last one year. Its report should come early. It is an important matter, there should be no effort to evade it further.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : We should look to our exchequer also. We should not drag it on for long.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मिलित करने और उन्हें उनसे निकालने, उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन तथा संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन, जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को सूचियों से निकालने अथवा उनमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप आवश्यक हो, तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय 29 अगस्त, 1969 तक बढ़ाती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : The Government's policy has been responsible for the economic, social and regional disparity in the country. We cannot build the edifice of political stability and national integration on the foundations of this rising disparity. The Government has been following the policy of making the strong stronger and the weak weaker. There is no mention in the President's Address about the nationalisation of banks, abolition of privy purses and about socialism. The result of Government's policy has been the unprovoked murders of Harijans and communal minorities. I agree with Shri Ranga that political morality demands that the Home Minister should resign from his office.

The Home Minister went to Bihar and hatched the conspiracy of making a man, who is a professional defector, the Chief Minister of Bihar. Still he has the temerity of indulging in condemnation of defections and the defectors.

If the country today faces any danger from within, it is not from the Naxalites but from the communal forces like the Shiv Sena and the R. S. S. The continuance of such a Home Minister in office, who has acted as a guardian of such fascist forces is a grave danger to the

Indian democracy. I want to say a word or two about our foreign policy. We should press for the recall of American forces from Vietnam. Diplomatic relations should be established with the G. D. R. These steps will further the cause of world peace.

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जिस चित्र को पेश किया है उसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

गत एक वर्ष में देश में आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं रही है। छात्र असंतोष समस्त जनता के असंतोष का एक अंग था। देश में असंतोष तथा निराशा बढ़ती जा रही है और जनता के विभिन्न वर्ग सरकार की नीतियों का खुले रूप से विरोध करने पर उतर आए हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि कृषि उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है और देश दो-तीन वर्ष में अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा। अपने अनुमान को सिद्ध करने के लिये सरकार ने 1967-68 के अनाज उत्पादन के आंकड़ों का उदाहरण दिया है। यह आंकड़े 1964-65 के अब तक के उच्चतम आंकड़ों की तुलना में 60 लाख टन अधिक हैं। परन्तु यह बहुत ही भ्रामक हैं क्योंकि उत्पादन के साथ-साथ जनसंख्या भी बढ़ी है। इसलिये कृषि के क्षेत्र में प्रगति का सही अनुमान प्रति व्यक्ति उत्पादन को दृष्टि में रख कर ही लगाया जा सकता है। 1968 में प्रति व्यक्ति उत्पादन 1964 की तुलना में कम हुआ है। प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन बराबर कम होता जा रहा है और सरकार आत्मनिर्भरता की बात करके अपने आपको तथा दूसरों को धोखा दे रही है।

मजे की बात यह है कि प्रत्येक योजना में कृषि के लिये पिछली योजना की तुलना में अधिक राशि रखी गई है परन्तु फिर भी उत्पादन दर घटती गई है।

हमें बताया जाता है कि बहुत ही अच्छी फसल हुई है और उत्पादन बढ़ा है परन्तु यदि प्रति व्यक्ति खपत को देखा जाये, तो कुछ राज्यों में केवल 3 औंस राशन है और कुछ में 4 औंस तथा 6 औंस। चाहे बढ़िया फसल हुई हो या अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई हो लोगों को पूरा भोजन नहीं मिल रहा है।

यह ठीक है कि उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा है। परन्तु लोगों के पास उन्हें खरीदने के लिये पैसे ही कहां हैं। अनाज का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब 30-40 प्रतिशत लोगों, विशेषकर खेतिहर मजदूरों को जो भूमि पर निर्भर करते हैं पैसा, जमीन तथा अन्य सहायता दी जाये। बहुत से राज्यों में भूमि सुधार कानून के होते हुए भी भूमि सुधार लागू नहीं किये गये हैं और लगभग 4.35 करोड़ एकड़ कृषि योग्य तथा परती भूमि बेकार पड़ी है। उस पर खेती क्यों नहीं की जाती है? उन्हें अध्यादेश जारी करके यह भूमि खेतिहर मजदूरों को दे देनी चाहिए और उन्हें कुछ पैसा तथा सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध कर देनी चाहिए। तब देखिये उत्पादन बढ़ता है या नहीं।

अभिभाषण में बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थिति सुधरती जा रही है। हमें बताया गया है कि इस वर्ष 5-6 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। यदि इसे मान भी लिया जाये, तो भी यह 1954 से 1967 तक की अवधि में हुई वार्षिक वृद्धि से कम है। नई पूंजी का सूचकांक भी पिछले वर्ष की तुलना में कम है। इसलिये जब उत्पादन दर तथा नई पूंजी प्रति वर्ष घटती जा रही है तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है, कि उद्योगों में स्थिति में सुधार शुरू हो गया है।

एक और उदाहरण लीजिये। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को 1967-68 में 2,276 मशीनें सप्लाई करने के क्रयादेश मिले थे जबकि 1968-69 में केवल 1,217 मशीनों की सप्लाई के ही क्रयादेश मिले हैं। इससे भी स्थिति में सुधार का कोई संकेत नहीं मिलता।

एक और उदाहरण कपड़ा मिलों का बन्द होना है। बन्द होने वाली मिलों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। हालांकि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, तो भी मैं कह सकता हूं कि हथकरघा उद्योग की हालत भी अच्छी नहीं है। विदेशी मण्डियों में मांग के अभाव में तथा अन्य किन्हीं कारणों से हथकरघे भी बन्द होते जा रहे हैं।

जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, केरल में काजू, नारियल जटा तथा बीड़ी उद्योग की हालत बहुत खराब है। उनका विकास होना तो दूर रहा, वे बन्द होते जा रहे हैं। इसलिये जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है, सुधार की बात करना निरी कल्पना है।

यह बताया गया है कि मूल्य स्थिर हो गये हैं। परन्तु तथ्य यह है कि तम्बाकू, खनिज पदार्थों, कपड़े, पटसन, धातु की वस्तुओं तथा रासायनिक पदार्थों, आदि के मूल्य 1968 के दौरान बराबर बढ़ते रहे हैं।

श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1968 में बढ़कर 215 हो गया है जबकि 1967 में यह 209 था। इसलिये मूल्यों के स्थिरीकरण की बात करना सच से बहुत दूर है।

सरकार कहती है कि कृषि और उद्योग क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि से बेरोजगारी कुछ कम हुई है। परन्तु इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कितने ही इंजीनियर, डाक्टर, तकनीशियन लोग बेकार फिर रहे हैं। केरल में ही गत वर्ष 17,000 व्यक्तियों ने आई० टी० आई० से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एक वर्ष हुआ इंजीनियरों ने संसद् भवन के सामने सत्याग्रह किया था।

बेरोजगारी का प्रश्न एक गम्भीर प्रश्न है इसलिये आज देश में हर जगह छात्रों में असंतोष फैला हुआ है।

तीसरी योजना की समाप्ति पर 1 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे और मन्दी के अगले तीन वर्षों को ध्यान में रखते हुए बजट के इस अवसर पर बेरोजगारों की संख्या 120 लाख हो गई है। गत तीन मास में मिलों के बन्द होने से कितने ही श्रमिकों की छंटनी कर दी गई है। बंगाल में

लगभग 6,000 पटसन श्रमिकों की छंटनी कर दी गई है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार अपने तथा अपने कर्मचारियों के बीच सौहार्द बनाए रखने तथा उनकी शिकायतें दूर करने के लिये संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था करने जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल, दिन प्रतिदिन उनकी बढ़ती कठिनाइयों के कारण उत्पन्न भारी असंतोष की अभिव्यक्ति थी। परन्तु उन्हें दबाया गया और केन्द्रीय सिविल सेवा अनुशासनिक नियमों को ताक पर रख कर उनको परेशान किया गया और उनके साथ बदले की भावना से व्यवहार किया गया। मैं इस प्रश्न में नहीं जाना चाहता कि हड़ताल के बाद क्या हुआ। अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि निर्दोष व्यक्तियों को वापस सेवा में ले लिया जाये। 7 जनवरी, 1969 के प्रेस नोट का पालन नहीं किया गया है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने केवल उस दिन दफ्तर में हाजिरी नहीं दी थी, वापस सेवा में नहीं लिया गया है। वे हड़तालियों की सूची में नहीं थे परन्तु वे 19 सितम्बर को हाजिर नहीं हो सके थे। उदाहरण के तौर पर, ओलावाकोट रेलवे शाखा कार्यालय में ऐसे अनेक मामले हैं।

केरल राज्य सरकार ने सभी मामले वापिस ले लिये थे। परन्तु केन्द्र द्वारा अपने विभागों के अध्यक्षों को आदेश दिये गये कि वे इस कार्यवाही का विरोध करें। इसलिये मुकदमें चल रहे हैं। कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिये प्रायः राज्य सरकार जिम्मेदार होती है परन्तु विभागाध्यक्षों को राज्य सरकार के फैसले के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। यदि केन्द्रीय सरकार केरल सरकार को नहीं चाहती है, तो क्या कर्मचारियों पर इसका गुस्सा निकालना उचित है? परन्तु केरल में यही हुआ है।

इन सब दमनकारी उपायों से भी सरकार संतुष्ट नहीं हुई और वह इस सत्र में हड़तालों को समाप्त करने वाले विधेयक को पेश करने जा रही है। क्या 8000 कर्मचारियों को मुअत्तिल या सेवा से बाहर रखकर सरकार अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उचित वातावरण उत्पन्न कर रही है? यदि वह अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है, तो उसे उनको वापस सेवा में ले लेना चाहिए। यह उस दिशा में पहला कदम होगा।

जब अधिकांश कर्मचारी संघों की मान्यता छीन ली गई है, तो संयुक्त परामर्श व्यवस्था की बात करना निरर्थक हो जाता है। इससे भी अच्छे सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकते।

अनेक राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनी हुई हैं। आज स्थिति यह है कि केन्द्र तथा कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में भी नीतियों के बारे में मतभेद हैं। इसलिए राज्यों के साथ बातचीत द्वारा इन्हें दूर किया जाना चाहिए। जबकि कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों के हाथ में शासन है, तब तो केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिए यह और भी अधिक जरूरी

हो जाता है। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ उचित व्यवहार करेगी। प्रधान मंत्री जी राज्य सरकारों का पूरा सहयोग चाहती हैं। उन्होंने 'हम' शब्द का प्रयोग किया है परन्तु कुछ मंत्रियों तथा कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के वक्तव्यों से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे सहयोग चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिङ्गप्पा ने अभी हाल में कहा है कि यदि केरल में अराजकता के बारे में उन्हें मिले समाचार सही हैं, तो केन्द्र द्वारा केरल सरकार को अपने अधिकार में करने का समय आ गया है।

21 अक्टूबर को उपप्रधान मंत्री श्री देसाई ने सी० आर० पी० के जवानों तथा अफसरों के समक्ष सी० आर० पी० की 20वीं वर्ष गांठ पर बोलते हुए कहा था कि यदि नम्बूद्रीपाद सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य करती रहेगी तो केन्द्र हस्तक्षेप करने तथा वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने में संकोच नहीं करेगा। यदि आम सभा में ऐसा कहा जाये तो समझ में आ सकता है। परन्तु अधिकारियों का मनोबल कम करने के लिए ऐसी बातें कहना कहां तक उचित है?

केन्द्रीय विधि मंत्री श्री गोविन्द मेनन के भाषणों का तो कहना ही क्या है। उन्होंने केरल में अराजकता का जो चित्र पेश किया है वह तो बहुत ही मनोरंजक है।

उन्होंने तो केरल में अपने दल के लोगों को कहा है कि वे कानून को अपने हाथ में लें और इस सरकार को निकाल फेंके। मैंने उनके अनेक ऐसे भाषणों की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्हें एक पत्र लिखा था। परन्तु मंत्री महोदय उनसे मुकर गये। एक बेशर्म डरपोक ही ऐसा कर सकता है। ये चीजें "केरल कौमुदी" में निकली हैं जिसकी एक लाख से अधिक कापियां बिकती हैं और जो साम्यवाद-विरोधी विचारधारा रखता है। एक महीने बाद वह "केरल कौमुदी" में ही इसका खण्डन कर सकते थे। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसी हालत में केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे सम्बन्धों की कैसे आशा की जा सकती है?

राष्ट्रपति के भाषण में क्षेत्रवादी, जातिवादी तथा साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों का उल्लेख है। परन्तु इनके लिए स्वयं कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। शिव सेना की पहली बैठक की श्री चट्टाण ने ही अध्यक्षता की थी जिसमें "इटली सांभर वापस जाओ" का नारा लगाया गया था। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए था। यह एक राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि एक विघटनकारी संगठन है।

मैंने मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री को भी लिखा था, दक्षिण भारतीय ही सबसे पहले इसके शिकार बने, जब भी कभी शिव सेना की सभा होती थी तो फेरी वाले वहां से भाग जाते थे, अगर कोई फेरी वाला वहां होता था, तो उसे पीटा जाता था।

केरल कौमुदी नाम के अखबार ने लिखा था कि केरल में बहुत बेरोजगारी है और ये लोग वहां से निकाल दिये गये तो इन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। अखबार में लिखा

है कि हम भारत के अंग हैं। केरल में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और वे बाहर भी नहीं जा सकते हैं। वहां पहला आक्रमण दक्षिण भारतीयों पर ही हुआ तब उन्होंने कम्युनिस्ट दल पर आक्रमण किया।

मैं तेलंगाना के विषय में कुछ कहना चाहूंगा, मैंने ही विशाल आंध्र का सवाल उठाया था और उसका समर्थन किया था, यह सदन में नहीं किया जा सकता है कि राज्य के बाहर का आदमी यह सोचे कि आंध्र प्रदेश में उसके लिए कोई स्थान नहीं है।

मैं जनसंघ की जातिवाद सम्बन्धी नीति नहीं समझ सकता, जनसंघ का वहां एक कार्यक्रम है, जो मोपिलिस्तान के विरुद्ध है। यहां कोई नहीं जानता कि केरल में मोपिलिस्तान का क्या अर्थ है। केरल में अगर एक या दो और जिले बनाये जाते हैं, तो इससे देश की सुरक्षा और विदेश नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर इन जिलों में मुस्लिम बहुसंख्या में हैं, तो क्या यह मोपिलिस्तान बन जायेगा। केरल में कई जिले ऐसे हैं, जहां जिनमें हिन्दू तथा ईसाई बहुसंख्या में हैं तो क्या वे जिले भी हिन्दुस्तान या ईसाइस्तान बन जायेंगे? अभी तो यह निर्णय नहीं हुआ है कि कौन से गांव इसके अन्तर्गत आयेंगे और इससे पहले ही मोपिलिस्तान का नारा उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस इसका खुले आम समर्थन कर रही है। मैं कांग्रेसी नेताओं को सावधान कर देना चाहता हूं। यह याद रखना चाहिए कि एक बार साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के बाद उनको रोकना कठिन हो जाता है जैसाकि 1921 में हुआ था जबकि ब्रिटिश सरकार को इसे रोकना बहुत मुश्किल हो गया था।

मैं चुनाव के दौरान बंगाल गया था। कांग्रेस नेतागण यह प्रचार कर रहे थे कि संयुक्त मोर्चे तथा बिहारियों को वोट मत दो। वे क्यों इस तरह का प्रचार कर रहे हैं जिससे बंगाल और बिहार के बीच द्वेषभावना फैले। वे क्यों इस तरह बिहार और अन्य स्थानों के लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं ताकि कांग्रेस गद्दी पर बैठी रहे। अगर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता को इस तरह से भड़काया जाये, तो फिर स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि उस पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन हो जायेगा। यह साम्प्रदायिकता का विष इस तरह फैल रहा है कि अगर इसको रोका नहीं गया, तो एक स्थिति ऐसी आ सकती है जबकि इसको रोकना कठिन हो जायेगा इस समय अगर इसको इस तरह भड़काया गया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे न केवल कांग्रेस दल का अपितु समूचे देश का नुकसान होगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट

म० प० के लिए स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned for Lunch till Ten minutes past Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर दस मिनट म० प०

पर पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at Ten minutes past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Sheo Narain (Basti) : I rise to support the motion of thanks on the President's address.

Firstly, I want to draw the attention of the Government to the Patel Commission. Our ex-minister Shri T. T. Krishnamachari had assured me that Balia and Basti would be brought under Patel Commission. In spite of the assurance we are neglected. There is no reference of it in the address given by the President. Basti, Balla and Gorakhpur are the backward areas of India. A report on the enquiry made about the backwardness of these areas was submitted to the Government but the Government paid no attention to it.

I convey my thanks to the former Education Ministers Dr. Trigun Sen, and Shri Bhagwat Jha Azad for their granting Rs. 3 crores to our teachers but the teachers of the Degree Colleges are on fast even to-day. Their demands are just. I am their representative. It is my request to the Government that they grant them their just rights.

Means of Communication play an important role in the development of the country. Therefore, it is necessary that villages are inter linked with roads. Ram Janki road is a historical road in Basti district. It is my request that the Ram Janki road may be completed. It is a demand of the people of Basti district. I request the Transport Minister to instruct the U. P. Government to make arrangements for the construction of road from Shahpur to Gonda and other roads in that area. The construction of roads in that area is also necessary from defence point of view. A bridge in Ganeshpur of my constituency may also be constructed so that the it may be linked with Basti.

It is necessary for the industrial development of Eastern U. P. that a Cement or Jute factory is set up there as well as due consideration should be given to Small Scale industries.

The Prime Minister visited my constituency on my invitation. She addressed about nine public meetings in my constituency in a most disciplined and dignified manner. The Jan Sangh party alleged that she abused them but it is totally wrong. I want to draw the attention of Shri Atal Bihari Vajpayee to the old saying that one who respects the woman is Pandit. We have always worshipped our mothers and sisters according to Indian Culture. What he has mentioned is not proper. We were abused in Uttar Pradesh but we defeated them in the election.

I welcome the Governments, which have come into power in Bengal, Orissa and Bihar but they should be stable. Bengal has been the symbol of revolution for freedom. The people of Bengal fought with the Britishers and got independence. Bengal is the land of Subash. So the Government of Bengal should have stability. We will Co-operate with them. I also request the Central Government to extend full co-operation to them.

Pakistan and China are our enemies. I request the country and all opposition parties that our Youth have to be vigilant and to defend our country against them. Differences may exist among us but we should stand united as one force at the time of peril.

The President has expressed his satisfaction on the performance in the agricultural sector. The policy of the Government is correct but it is not implemented in a proper way. The

farmers do not get money in time. I want a clean administration otherwise the welfare of the society will not go ahead. Water should be given for the development of agriculture. The Government should provide us water in time which is very necessary.

The Photo of the commonwealth Prime Ministers published in the English Bulletin shows that the Prime Minister is seated in the second row. Is it etiquette of English people who profess the principle of 'Ladies First'. This is a question of dignity of the country. I request the Prime Minister to send the second rate Minister only to the commonwealth conference whenever the same takes place. Let her send one of her state Ministers. Mr. Wilson regards us as their slaves even now. I appeal to the Prime Minister that whenever she goes to commonwealth, she should not be given second row. We were really much pained when we saw the photo. Is it the culture of English people? The Prime Minister should maintain the dignity shown by her in the U. N. O.

I earnestly appeal to the Government to have a lenient attitude towards the Government servants who took part in the strike of 19th September. They may be granted pardon and taken back on their posts. They will not repeat this mistake. The Government should not ignore the teachers also.

11 नवम्बर, 1956 को तेलंगाना को आंध्र में मिलाकर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। इस समय एक समझौता किया गया था जिसके अनुसार तेलंगाना के लोगों को रोजगार इत्यादि देने के मामले में संरक्षण दिया जाना था तथा तेलंगाना की राजस्व बचत को तेलंगाना के विकास पर खर्च किया जाना था परन्तु इसको कार्यान्वित नहीं किया गया। आंध्र और तेलंगाना में हरिजनों का अनुपात 4 : 3 का है परन्तु राज्य सरकार ने हरिजनों के भलाई के लिए जो धन नियत किया वह 3 : 1 के करीब आता था। यह आंध्र प्रदेश के लिए 3 और तेलंगाना प्रदेश के लिए 1 आता है। 19 जनवरी, 1969 को राज्य सरकार ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि तेलंगाना के लोगों के हितों की रक्षा नहीं की गई है। केन्द्रीय सरकार को इस समझौते को लागू करने की पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

I want to say that Harijans of this country are being treated in a very rough manner. Their responsibility lie on the shoulders of our Prime Minister. With these words I welcome the address of President.

Shri S. M. Joshi (Poona) : I was disappointed with the address of the President. It seems to be hollow if we judge it from the angle of presentation of factual position. The policies to improve the present situation do not seem to be sound. The economic conditions is not so good. The strike and lock-out etc. by the employees all indicate it. Increasing unemployment, unrest among students, language agitation and regional movements all depict that things are not good. All these should be given attention. There is no remedy given in the address of the President for all these things. Many people died on account of firing by the police in the country. This is not the question of S. V. D. Government or Congress Governments. We should all think over it and find some solution.

Today there is no stability in the country. How can we achieve political stability in the country. The Prime Minister, while on a visit to certain states, had said that only Congress

can give strong and stable Government. But I have repeatedly said that they cannot give such a Government. The instability is inherent in the country. We should find out way to remove this.

Although the Government of Pakistan are against us but the people have no enmity towards us. During the independence struggle many people like Badshah Khan, Bhasani Sahib, Wali Sahib etc. were with us. We had given some assurances to our people but we could not fulfil them. Some people advocate for Dictatorship in India. They say that the regime of Ayub Khan had abolished corruption. Those people never took part in the freedom struggle. Those who took part in it know the value of democracy and that is why the people are against the present regime and I congratulate them. The martyrs have done great service to their nation. I pay my homage to them because they fought for the democracy. When we say that Pakistan is our neighbour and we should live like brothers but how is it possible when the Dictatorship and the Democracy are on trial there. If Democracy is established there, a way for friendship can be opened. We should know why there is so much unrest among the people. When I think over it, I find that there are two or three causes for it. The Prime Minister has said that our Government have brought great changes in Economic, Social and Political fields. We declared that we would eradicate poverty. For this we formulated Five-Year Plans. But these too have failed to achieve their aim. The gap between the rich and the poor is increasing and the same is the case about unemployment. Today 56 thousands engineers are unemployed. The technical experts are also unemployed. Big factories are not working. We talk of raising the standard but really are these things taking place? Whenever I go to villages, I find that boys and girls do not have clothes on their body even during winter. I feel that by introducing Five-Year Plans we only deprived the poor of the basic amenities. We even could not provide them huts etc. though we are realising indirect taxes from them. Only one crore people can say that there is some improvement in their standard of living. Who are these people? They are money-lenders. Out of 50 crores only one crore are money-lenders and their standard of living is rising and the rest are suffering. We want to know about the National income which has increased. A committee should be set up to examine it. We want full neutralisation so that the standard of living may rise but our suggestion was not accepted. The strike took place and even now nine thousand employees have not been reinstated.

The economic condition of the country is going from bad to worse. Prices of articles are rising steeply. The same thing is happening in Pakistan. The second cause is social. We gave certain assurances but they have not been fulfilled. It is said here that social injustice will be removed and the ill feelings for the low caste people should be ended.

The Prime Minister has asked for our co-operation but mere request for the same is not sufficient. I think Uttar Pradesh is untouched by social revolution. The high class people, ruled Uttar Pradesh, should now handover the reign to other people. I want to tell you that when we were fighting for a Samyukta Maharashtra then an ex-Labour Minister of Britain had asked me that if we get Samyukta Maharashtra then whether the Chief Minister would be Brahmin or not. I atonce replied that it would not be possible for twenty-five years to come. The backward classess have got the reign instead of High Class people, who ruled it before.

You see how the elections are going on now-a-days. There are complaints that some people obstruct smooth polling and ask the voters to vote for a particular person. This is

happening in Bihar, Uttar Pradesh and many other places. The candidates are murdered. The Late Dr. Ambedkar had asked the British Government that India should be given freedom and along with this right of adult suffrage may also be given to the people. At that time it was said that the weapon of suffrage would open the door of prosperity but what is happening these days. Pressures are put on the poor people and thus they cannot exercise franchise in a proper way. I do not blame any single party because many parties are involved in it.

The third cause is regional imbalances and the delaying tactics by the Government in solving the problems. The prevailing unrest in Telengana shows that the development work is not taking place in accordance with the promise which was given to the people at the time of announcing the formation of Vishal Andhra.

In the same way the present activities of Shiv Sena in Bombay are undesirable. I admit that I am responsible for the Samyukta Maharashtra.

It is a fact that I participated in the struggle for United Maharashtra and I take responsibility for the lapses caused by it. At that time we never said that the people of other states would not find place in Maharashtra. They have got the same right to live like Maharashtrians. When the Mahajan Commission was appointed, the representatives of the people of Maharashtra were not consulted. Under such circumstances the situation goes out of control and organisation like Shiv Sena take over.

The Prime Minister as well as the President have asked for our Co-operation but it can be on the basis of certain policies. We left the Congress because of some policy differences. We advocated Socialism in the country whereas the Congress opposed it. Now Shri Morarji Desai says that they also believe in Socialism. Their call for Socialism has now become hollow. Actually that is no Socialism and that is why we differ on this point. We asked the Prime Minister that in the present circumstance it would not be desirable to construct Prime Minister's house at a cost of Rs. 20 lakhs. We are the followers of Mahatma Gandhi. When we cannot provide houses to crores of people, it is not proper for us to live in grand bungalow. Keeping this in view Mahatma Gandhi had said that Congress Minister should draw Rupees 500 only as salary. We are going to celebrate Gandhi Centenary and as such we should avoid extravagancy. We should help the people in raising their standard of living. There is a talk of double standard in the country. If the Government are really interested in removing the poverty, then such extravagancy must be avoided. At present we should not think of giving facilities to Prime Minister and other Ministers.

Today at the time of setting up big industries, air-conditioned houses are constructed for the high officers but the poor workers are neglected. I had asked the Poona Corporation to reserve land for the construction of huts for labourers in the industrial areas. It is improper for the Shiv Sena to set the huts on fire in Bombay. The poor men of Kerala come to Bombay for employment. It was Kerala, who strongly supported the demand for United Maharashtra. I feel sorry for the treatment given to Keralites.

We are following the policy of double standards. When Prime Minister visited Bihar in connection with the last election, the Government made all the arrangements for her. Contrary to this we are denied even ordinary facilities. I will give you an instance. I sent a telegram to the Collector of Darbhanga requesting for sleeping arrangement at the circuit house

on my arrival there. But to my great surprise, when I reached there, I found that nothing was arranged for me. Have we got some rights as Members of Parliament or not? That is why I have said that the Government is following double policy.

The poor do not get any benefits of the laws. These are meant for the rich whose voice is heard. Until the policy of double standards is given up, this struggle will go on unabated. So efforts should be made to remove the discontentment. So a way should be found out. For this our basic policy should be changed.

An enquiry Commission should be set up to examine the happenings in Bombay. Nowadays the term victimization is much used. You have let off the teachers who remained on strike for thirty-five days but you penalised the Government servants. Is it not victimization? You should let off both. You have not fulfilled your promise, which you gave to us, we did nothing but only protested. So there should be no victimization.

You ask for our co-operation but how can we give it. We are struggling for more powers for standing committee. Today there is an opinion in favour of National Government in the Country but it is impossible due to the differences of policies. So at least the Government should give more powers to the standing committee where representative of the people are there. The Government make laws without the consultations of standing committee. The Railway Minister has increased the freight by ten per cent and we were not consulted. Is it a way for taking Co-operation? You are breaking the standing committee. The rights of labour have been snatched by the laws.

The report regarding the school of International Studies indicates that Grants of Rs. 15 lakhs have been reduced to Rs. 10 lakhs without consultation from anyone. Will you call it democracy where decisions are taken in an arbitrary manner?

There is a talk going on that Emergency Commissioned Officers will be turned out. Have you ever made efforts to find a way out in the standing committee? Then you go on asking for co-operation. How is it possible when things are done in such a way? We are fighting for the cause of the poor people and it is our duty to guide them. I see that unless the balance in the country is restored, the ups and downs can not be checked. I want to know whether there is stability in Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, etc.? I will only say that while trying to give stability you have made the things more unstable.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : मेरे माननीय मित्र श्री अ० कु० गोपालन ने कहा है कि आज का विद्यार्थी निराश है और इसका कारण बेकारी है। कइयों का कहना है कि अध्यापकों तथा छात्रों में सम्पर्क के अभाव के कारण यह असंतोष बढ़ रहा है। परन्तु ऐसा समृद्धिशाली देशों में भी हो रहा है। एक तरह से यह सब जगह विद्यमान है हमें इसके लिए कोई विवेकयुक्त कारण ढूँढ़ना पड़ेगा।

मेरे विचार में आज का विद्यार्थी एक विशेष मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कार्य कर रहा है और इसका कारण बढ़ती हुई परिस्थितियाँ हैं। आज का युग परमाणु युग के नाम से पुकारा जाता है। आज के युग में हम उन उपलब्धियों को प्राप्त कर रहे हैं जो कि अब तक काल्पनिक

थीं। आज धर्म, राजनैतिक संस्था, राजनैतिक दार्शनिकता के प्रति विचार बदलते जा रहे हैं। यह सब हमारी परिस्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन से हुआ है। इन संस्थाओं और धर्म का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ जोकि आज हमारे लिए भिन्न हैं। आज का विद्यार्थी परिवर्तन चाहता है। जो लोग छात्र-समस्या का समाधान 19वीं या 20वीं शताब्दी के आरम्भ के संदर्भ में करना चाहता है तो इसमें उसे असफलता मिलेगी।

समाज कभी भी समय से आगे नहीं होता। इसको किसी विशेष परिस्थिति से उबारना पड़ता है। इन विद्यार्थियों में फैली हुई असंतोष की भावना को तभी दूर किया जा सकता है जब उन्हें समय के साथ मिलाकर चलाया जाये। यह तभी हो सकता है जब मत देने के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाये। क्योंकि तभी राजनीतिज्ञ विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रख सकेंगे जोकि अत्यन्त आवश्यक है। आज का युवक 18 वर्ष में काफी समझदार व परिपक्व हो जाता है। अतएव मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अ० कु० गोपालन ने कृषि के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हैं। अपने पूरे वक्तव्य में उन्होंने सरकार की आलोचना की है तथा यह कहा है कि यह सब झूठ है। उन्होंने कहा है कि औद्योगिक प्रगति बहुत अच्छी नहीं रही है और यही स्थिति कृषि क्षेत्र में भी है। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया है कि सरकार को क्या करना चाहिए। अब हम आगामी वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं परन्तु इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

यह बहुत आवश्यक है कि हम विकास की ओर समुचित ध्यान दें। अगर इस क्षेत्र में भूमि सुधार किया जाता तो और अच्छी फसल हो सकती थी। हम इसके बारे में कहते तो बहुत हैं परन्तु व्यवहार में प्रयोग नहीं करते। गत वर्ष श्री जगजीवन राम ने कहा था कि भूमि सुधार बहुत आवश्यक है और हम इसको कार्यान्वित करेंगे परन्तु ऐसा नहीं किया गया। अमरीकी विशेषज्ञों के एक दल ने भी भूमि सुधार कार्य को तेज करने की सिफारिश की थी। उन्होंने जापान तथा फारमोसा में भी लागू किया। यहां हम केवल समाजवादी ढांचे पर आधारित समाज की ही बात करते हैं। अगर कृषि को उन्नत बनाना है तो इसके लिए भूमि-सुधार आवश्यक है।

औद्योगिक क्षेत्र में निर्यात के मामले में बढ़ोतरी हुई है परन्तु हमें अवमूल्यन की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा अगर आप औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं तो स्वचालित यंत्र तथा कंप्यूटर लगाने की बड़ी आवश्यकता होगी। मेरे इस विचार से बहुत संसद् सदस्य, जोकि श्रमिकों के नेता हैं, असहमत होंगे। उनका विचार है कि ऐसा करने से बेकारी बढ़ेगी। परन्तु ऐसा ही उन्होंने औद्योगिक क्रांति के समय कहा था। आज वे स्वयं जानते हैं कि मशीनें हमारे लिए कितनी उपयोगी बन गयी हैं।

आज के विश्व में प्रतिस्पर्धा के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन करने के सक्षम साधन हों। औद्योगिक क्षेत्र में नए देशों को एक लाभ यह है कि वे आधुनिकतम यंत्रों का प्रयोग करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अतएव उद्योगों की उन्नति के लिए स्वचालित यंत्र तथा कंप्यूटरों का लगाना अत्यावश्यक है। समझौते के रूप में हम यह कह सकते हैं कि निर्यात करने वाले उद्योगों में नवीनतम स्वचालित यंत्र लगाने चाहिए और देश में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं तैयार कराने वाले उद्योगों में वही पुरानी प्रक्रिया चलते रहने दी जानी चाहिए। जैसे कपड़ा मिलों में नए स्वचालित यंत्र लगाये जायें परन्तु खादी उद्योग में ऐसा कुछ न किया जाये, इससे करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। परन्तु वे इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

चीन के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। यह विदेशी नीति का काम है कि वह भविष्य के बारे में बताये। इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चीन में सत्ता के हस्तान्तरण के समय बड़ी खून खराबी हुई। चीन 20 वर्ष तक युद्ध में रत रहा और वहां बहुत हानि हुई। परन्तु आज बीस वर्ष पश्चात् वे हाइड्रोजन बम का निर्माण कर रहे हैं और अपने निर्यात के द्वारा उन्होंने अपने विदेशी ऋण को चुका दिया है जबकि हम ऐसा नहीं कर पाये हैं। आज विश्व में हमसे अधिक चीन की प्रतिष्ठा है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि अगर हमें उन्नति करनी है तो इसके लिए त्याग की बहुत आवश्यकता है। हमें आज संयम का मार्ग पकड़ना है। सब मंत्रियों को गांधीजी के बताए हुए मार्ग के अनुसार छोटे घरों में रहना चाहिए। छोटे और बड़े का विचार समाप्त किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि हम साधारण आदमी के साथ-साथ चलें। आज चारों ओर बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे उप-प्रधान मंत्री तस्करी को रोकने के लिये कुछ कदम उठा रहे हैं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई नई बात नहीं है, केवल यह आभास मिलता है कि यह वर्ष गांधी-शताब्दी के रूप में मनाया जायेगा। मुझे याद है कि जब माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनाये गये थे तो उन्होंने तीन मूर्ति भवन में रहना चाहा था। परन्तु श्री नेहरू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में ही रहने को कहा था क्योंकि उन्हें यहां चार-पांच महीने ही ठहरना था। इसका अर्थ यह हुआ कि चार-पांच महीने पश्चात् राष्ट्रपति भवन गांधीजी के विचारों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और आज राष्ट्रपति भवन एक कस्बा-सा बना हुआ है जिसमें छविगृह जैसी कई सुविधाएं विद्यमान हैं। क्या यह सब आवश्यक है? यह उनके लिए आवश्यक था जिन्होंने हम पर शासन किया। वे हमें अपनी तड़क-भड़क से प्रभावित करना चाहते थे। क्यों नहीं राष्ट्रपति व राज्यपाल साधारण निवास-स्थानों में रहते हैं? हमें उन परम्पराओं को छोड़ देना चाहिए जिनका हमारे शासक पालन करते थे क्योंकि ऐसा करने से ही मितव्ययिता आ सकती है। सरकार यहां लगी विदेशी शासकों की मूर्तियों को समय पर नहीं हटा सकी। यह तभी किया गया जब उन मूर्तियों पर काला रंग पोता गया तथा तोड़-फोड़ की गई।

आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई राष्ट्रपति भवन में भूख-हड़ताल करे और कहे कि जब तक वह मोटर में नहीं जाते तब तक वह वहां से नहीं हटेगा क्योंकि यह हमें अपनी दासता की याद नहीं दिलायेगी ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एकता के बारे में कहा है । आज हर जगह इसी की बात की जाती है । भावात्मक एकता को आप कविता, संगीत तथा गानों में पायेंगे । क्या इनको भावनात्मक रूप से देखना है अपितु विवेक की दृष्टि से । मैं नहीं जानता कि भावनात्मक एकता का यह मूर्खतापूर्ण शब्द किसने बनाया । भावावेश में किये गये कार्य के प्रति संशय पैदा होना स्वाभाविक है । मैं अब तक यह समझने में असमर्थ रहा हूं कि सरकार किसकी एकता चाहती है । स्वतंत्रता संग्राम के समय हममें राष्ट्रीय एकता थी और उसी को आधार बनाकर हम विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में जुट गये । हमने उस समय एकता की जो बात सीखी है उसे हम नहीं भूल पाये हैं किन्तु उसका क्षेत्र अब सीमित हो गया है । पहले हम राष्ट्रीय एकता के लिए एक हुए थे किन्तु आज यह एकता परिवार के लिए ही सीमित रह गई है । इसका मुख्य कारण स्वार्थ परायणता है । आज हम यह देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की चिन्ता न करके अपने स्वार्थ की ही बात सोचता है । आज यह एक परम्परा-सी बन गई है कि यदि परिवार का कोई व्यक्ति संसद सदस्य अथवा किसी मंत्री पद पर रहा हो तो उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र अथवा उसकी विधवा द्वारा उसके रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है ।

आज कोई व्यक्ति जातीयता के नाम पर अधिक अच्छी स्थिति में रह सकता है । राष्ट्रीयता या राष्ट्रवादिता के नाम पर वह, वह कार्य नहीं कर सकता है जो कि वह जातिवाद के नाम पर कर सकता है । एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अपने साठवें जन्म दिन के अवसर पर एक-दो महीनों में 60 लाख रुपये एकत्रित कर लिए थे । यह सब कुछ जातिवाद के कारण ही हुआ है । एक दूसरा उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति केवल कुछ समय के लिए मुख्य मंत्री बने थे; उन्होंने अपने पद पर अल्पकाल में ही इतना धन कमा लिया था कि उसने मध्यावधि चुनावों में अपने उम्मीदवार प्रायः सभी स्थानों के लिए खड़े किये थे और उन्हें इसमें काफी सफलता मिली । यह सब जातिवाद की ही कृपा है ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम राष्ट्रीय एकता के बारे में चाहे जो कुछ कहें किन्तु जब तक हमारा दृष्टिकोण एक संकुचित दायरे में ही सीमित है तब तक राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकती है । इसके लिए हमें जातिगत, दलगत तथा राज्यगत स्वार्थों से ऊपर उठना होगा । संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में कोई भी व्यवसाय करने की पूरी स्वतंत्रता है । किन्तु क्या आज कोई नागरिक इस अधिकार का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग कर सकता है ? यदि ऐसा होता तो आन्ध्र प्रदेश तथा बम्बई में इस प्रकार की घटनाएं न हुई होतीं । इसका मुख्य कारण है कि सम्बन्धित अधिकारी कानून का उपयोग नहीं करते हैं । हमारे सामने नक्सलबाड़ी का उदाहरण है । जब तक नक्सलवादियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की गई

तब तक उनकी गतिविधियां बढ़ती ही गईं किन्तु राज्यपाल का शासन लागू होते ही उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई जिसके परिणामस्वरूप उनकी गतिविधियां समाप्त हो गईं। अतः जब तक कानून का सख्ती से पालन नहीं होता तब तक कोई समस्या हल नहीं हो सकती है।

मैंने 18-19 वर्ष पहले, जब मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस से कहा था कि या तो अच्छी तरह शासन चलाओ या सत्ता छोड़ दो। इस प्रकार गांधीजी के नेतृत्व में चलाये गये स्वतंत्रता संग्राम के नाम को नष्ट न करो। आज एक ओर गांधी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और दूसरी ओर मद्य-निषेध का विरोध किया जा रहा है। सरकार ने राज्य सरकारों को लाटरियां चलाने के नाम पर खुले आम जुआ खिलाने की अनुमति दे दी है। यह एक अच्छी सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। जब सरकार ही इस प्रकार जुआ चला रही है तो वह अड़्डों पर खेले जाने वाले जुए को बन्द कैसे कर सकती है?

हमारा व्यय कैसे बढ़ रहा है? चुनावों के लिए धन एकत्रित किया जाता है। क्या इस धन का पार्टी को या जनता को कोई हिसाब दिया जाता है? आज हमारे जन-जीवन को इस प्रकार के ढांचे में ढाला जा रहा है। अभी हाल में प्रधान मंत्री ने बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले मंत्रिमण्डल में बड़े पैमाने पर हेर-फेर किया। क्या बजट प्रस्तुत करने से पहले इस प्रकार का निर्णय करना उचित था? एक मंत्री अपने पद पर दो वर्ष से कार्य करने के बाद कुछ न कुछ तो अनुभव प्राप्त करता ही है और अपने कार्य के बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेता है। दो वर्ष के अनुभव और जानकारी के बाद इस प्रकार उनके विभाग बदल देना उचित प्रतीत नहीं होता। क्या कांग्रेस दल के सदस्य तथा वरिष्ठ मंत्री उस समय सोये हुये थे जबकि ऐसा किया गया था? क्या वित्त मंत्री महोदय यह समझते हैं कि इस बजट के लिए की गई व्यवस्था में गड़बड़ हो जायेगी और प्रशासन को इसके लिए दिन में 20 घण्टे कार्य करना पड़ेगा? मेरा केवल यह कहना है कि इस समय मंत्रिमण्डल में इतना बड़ा हेर-फेर करने की आवश्यकता नहीं थी। अनुभव प्राप्त मंत्रियों को अपने पदों पर बने रहने देना चाहिए था।

आज हम देखते हैं—क्या केन्द्र में क्या राज्यों में—कि मंत्रि-परिषदों में मंत्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् में 56 मंत्री हैं। इतने अधिक मंत्रियों को प्रधान मंत्री जानती भी नहीं होंगी। इतने अधिक मंत्री रखने का क्या औचित्य है। मंत्रियों के साथ और भी प्रश्न सम्बद्ध हैं। जितने मंत्री होंगे उसी के अनुसार सचिव से लेकर नीचे के पद तक कर्मचारी भी अधिक होंगे। इतने कर्मचारी के होने से सरकार के व्यय में वृद्धि ही होगी। ब्रिटिश-शासन काल में पांच कार्यकारी पार्षदों द्वारा सरकार चलाई जाती थी और आज सरकार चलाने के लिए अधिक से अधिक 20-30 मंत्री होने चाहिए। यदि सत्तारूढ़ दल के कुल सदस्यों के $\frac{1}{6}$ या $\frac{1}{8}$ सदस्य मंत्री हो गये, तो फिर रह ही क्या गया? 13 जिलों वाले राज्य पश्चिम बंगाल में 32 मंत्री नियुक्त किये गये हैं और संभावना यह है कि इस संख्या में और वृद्धि की जायेगी। उत्तर प्रदेश में 52 जिले हैं। यदि इसी अनुपात से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती रही तो उत्तर प्रदेश में यह संख्या काफी बढ़ जायेगी।

हमें बताया जाता है कि देश ने काफी उन्नति की है किन्तु इसमें सच्चाई नहीं है। सरकार के पक्ष में जो बात होती है उसे जनता को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है।

[श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुए]
Shri R. D. Bhandare in the Chair

आज सरकार ने यह एक रूढ़ि-सी बना ली है कि देश में खराब स्थिति के लिए दोष दूसरों पर थोपा जाता है और थोड़ी बहुत सफलता का श्रेय सरकार स्वयं ले लेती है। देश में फसल अच्छी नहीं होती है तो उसका कारण अनावृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप बताये जाते हैं और जब उत्पादन थोड़ा बढ़ जाता है तो उसका श्रेय सरकार स्वयं ले लेती है।

अन्त में मैं सरकार से केवल यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को देश का थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए और उस व्यक्ति के प्रति आदर दिखाना चाहिए जिसकी हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं। अन्यथा हमें गांधीजी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। जब भी लोग मुझसे यह कहते हैं कि मैं उन्हें गांधीजी के सम्बन्ध में भाषण दूँ, तो मैं उन्हें यह उत्तर देता हूँ कि उस वृद्ध को भूल जाओ वह अब नहीं है। आज हम अपनी इच्छानुसार मनमाना कार्य कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : I rise to support the Motion of thanks on the President's Address. The President has referred to language, communal, Nagaland, foreign and other problems in his address. But today the greatest problem before the country is of poverty and it is the root of all the problems of today.

According to the National Sample Survey 80 per cent of the population lives on one rupee a day and one-third population of the country leads a life of absolute poverty. Even after the economic development during the last 20 years the per capita income of this section of the society is Rs. 15 per month in rural areas and Rs. 24 per month in urban areas. In 1952, per capita expenditure of 80 per cent of our population was less than one rupee a day and today also this figure remains the same.

The analysis of the economic development of the country made by the President is quite different from the actual position of the country. The President has stated at page 2, para 7 of his address that our national income has increased by Rs. 1,393 crores as compared to the income of the last year but according to the report of the Mahalanobis Committee this increase in national income does not include the increase in the income of land less people, labourers and other weaker sections of the society.

Agricultural production has shown some increase and some agricultural labourers have been able to get jobs but on the whole unemployment is increasing day by day rapidly. Even in Punjab which is considered to be the most prosperous state of the country, the unemployment is on the increase and same is the situation in Maharashtra also. The problem of unemployment among educated persons is much more serious in both urban and rural areas and this problem will become still more serious during the Fourth Five Year Plan.

The landless labourers and the agricultural labourers do not get work throughout the year. A resolution was passed by the Parliament in order to provide employment and to pay minimum wages to landless and agricultural labourers but unfortunately nothing has been done in this respect. Small farmers are not benefited by the programmes prepared by the Government for agriculture. Therefore they are not able to increase the production. Government do not pay any attention towards the people belonging to scheduled castes, scheduled tribes, backward classes, agricultural labourers, small farmers and landless labourers and their economic condition is miserable.

We may agree that it is a very difficult task to provide employment, full employment to such a large number of unemployed but it is the obligation of the Government to meet their basic minimum needs. The Woodhead Commission, which was set up to report on the Bengal famine, stated in their report, "It was one of the obligation of the Government to make available to every citizen basic quantities of food at reasonable rates and to make it available all over the country was a fundamental national obligation."

It is regretted that Government have not brought forward so far the crop and cattle Insurance Bill for the benefit of the farmers. The programme prepared by the Government in respect of the agriculture shows that Government is lagging behind in the matter of agricultural production.

Agriculturists are not paid remunerative price for their produce whereas the prices of non-agricultural commodities have increased too much and the agriculturists are suffering a lot on this account. In this connection I would like to submit that a country may become self-sufficient in the matter of food when the farmers are paid reasonable prices for their produce. I would urge upon the Government that they should prepare a scheme for fixing the minimum reasonable price for the farmers based on the cost of production in order to increase the food production as well as the production of other cash crops.

The Government have concentrated their attention on irrigated agriculture during the last 20 years but the dry agriculture has been neglected. The report of the Planning Commission says in this respect :

"We have over the years neglected dry agriculture and concentrated attention on irrigated agriculture. We have built up structures—cooperative and others—that easily profit the substantial and the middling cultivator. But they do not look the problem of the small farms and the landless labour. I therefore request the Government to pay more attention towards dry farming with a view to increase the production per acre."

Irrigation and power are two essential factors for increasing the agricultural production. I want to say that the programme accepted for water and electricity for agricultural purposes will not be fulfilled. I want to suggest that sur tax should not be charged from the small farmers who have uneconomic agricultural holdings because their income is meagre. You propose to impose tax on those agriculturists who earn something out of their produce but you do nothing for those who get much less than their investment from their land. You do not give serious consideration to exemption of small land holdings from the land revenue. About Planning Commission I would like to say that it always pays attention to the cities. It does not pay attention to 70 per cent people, who live in the villages. It cares for those 30 per cent people who live in cities and ignores the people living in villages while making provision of water, etc. The income

of 80% of the people is less than Rs. 45/- per month but they are not paid dearness allowance. To sum up, I want to say that more attention should be paid to the development of agriculture in the Fourth Five Year Plan. This country will be a country of Gandhi's dream, if there is an uplift of villages.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैंने राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा है। उसमें नीति सम्बन्धी कोई घोषणा नहीं की गई है। वह अभिभाषण परम्परागत ढंग से तैयार किया गया है। प्रतिवर्ष इसी प्रकार का अभिभाषण पढ़ दिया जाता है। उसमें सरकार ने जो गत वर्ष में कार्य किया उसका लेखा-जोखा दिया जाता है। इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ है। वह सरकार की सफलताओं की सूची मात्र है। कृषि विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उसमें नाममात्र के लिये उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति का संसद् में अभिभाषण और राज्यपाल का विधान मंडलों में अभिभाषण अब एक प्रथा मात्र बन गई है और उनकी अब कोई उपयोगिता शेष नहीं रह गई है। मेरे विचार से संविधान से इस उपबन्ध को ही निकाल दिया जाये।

मैं पूछना चाहता हूँ कि कृषि विकास की दिशा में सरकार ने क्या कार्य किया है? कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसमें सरकारी प्रयत्नों और प्रकृति का कितना योगदान है। सरकार ने इस दिशा में क्या-क्या कार्य किये इसका ब्योरा अभिभाषण में नहीं दिया गया है। गत वर्ष सूखे और बाढ़ के जिस प्रकोप का जनसाधारण को सामना करना पड़ा उसका उल्लेख भी नहीं किया गया। आसाम में बाढ़ प्रति वर्ष आती है और वहाँ की फसलों को बर्बाद करती है। सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिये क्या किया है। आसाम को केन्द्रीय सरकार उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। एक ओर आसाम से कच्चा तेल पटसन तथा अन्य वस्तुओं की भारत सरकार को आय होती है दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार उसके विकास पर यथोचित ध्यान नहीं देती। यदि आसाम राज्य की उपेक्षा की प्रवृत्ति चलती रही तो एक दिन आसाम को भी भारत अपने हाथ से खो बैठेगा। आज आसाम में नदी पुल के लिये, तेलशोधक कारखाने के लिये या अपने वित्त के भाग को लेने के लिये आन्दोलनों का आश्रय लेना पड़ता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आसाम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

भारतीय अर्थ व्यवस्था का ढांचा जीर्ण होता जा रहा है। 'इकनोमिक सर्वे' नामक समाचार-पत्र भी इस बात का समर्थन करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में, भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये क्या प्रयत्न किये जायेंगे, इस बात का संकेत भी नहीं दिया गया है। हिंसात्मक घटनाओं का बहुत ही संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। भारत के विभिन्न भागों में हरिजन मौत के घाट उतारे जा रहे हैं और सरकार यह जानने का प्रयास तक नहीं करती कि इन हिंसात्मक घटनाओं का मूल कारण क्या है। इनका कारण है आर्थिक विषमता अथवा औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन। युवक आन्दोलनों की जड़ में बेरोजगारी की समस्या है, जो दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इन मूलभूत कारणों पर भी अभिभाषण में प्रकाश नहीं डाला गया। बम्बई की 'शिव सेना' और आसाम की 'लचित सेना' की हम भर्त्सना तो करते हैं परन्तु उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये सरकार के जिस उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण

का परिचय दिया है, इससे भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। शिव सेना के सम्बन्ध में श्री निजलिगप्पा, ने जो न्यायिक जांच की मांग की है, उसका हमें समर्थन करना चाहिये और सरकार को ऐसी जांच कराकर उपद्रवों के मूल कारणों का पता लगाना चाहिये।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का सम्बन्ध है प्रधान मंत्री एक ओर चीन से बातचीत शुरू करने की बात कहती हैं, तो दूसरी ओर उपप्रधान मंत्री चीन से अपना क्षेत्र बल के आधार पर वापस लेने की बात कहते हैं। किसका विश्वास किया जाये ? अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिये एक नीति होनी चाहिए और एक आधार। यही नहीं, पाकिस्तान की ओर से भी खतरा बढ़ने की सम्भावना है। क्योंकि श्री अय्यूब गद्दी छोड़ रहे हैं और श्री भट्टो को गद्दी पर आरूढ़ होने के आसार दिखलाई पड़ रहे हैं। मुझे तो शंका यह है कि श्री भट्टों पदारूढ़ होते ही चीन को भड़का कर भारत पर आक्रमण कराने की चाल चलेगा। अतः चीन और भारत से खतरा बढ़ता जा रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधान मंत्री के चीन से बातचीत करने सम्बन्धी सुझाव से हमारी प्रतिरक्षा की भावना को ठेस पहुंची है और आक्रमण का मुकाबला करने की क्षमता क्षीण हुई है। यह कहना कि भारत के निवासी पाकिस्तान को विदेश और भारत को स्वदेश समझें साम्प्रदायिक बिल्कुल नहीं है। स्वभावतः भारत के निवासी में भारत के प्रति निष्ठा होनी चाहिए।

मैं पुनः यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की परम्परा अब व्यर्थ हो गई है उससे समय और धन की बर्बादी मात्र होती है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है इसलिये संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति द्वारा संसद् को और राज्यपाल द्वारा विधान सभा को भाषण देने के उपबन्ध को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाये।

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज) : मेरे मित्रों ने यह शिकायत की है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल घटनाओं का निरूपण मात्र किया गया है। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का कोई वार्षिक प्रतिवेदन नहीं है। परन्तु यह राष्ट्रपति ही के शब्दों में वह इस वर्ष की वास्तविक स्थिति को सामने रखता है और अगले वर्ष में सरकार की नीतियों और उद्देश्यों की मोटी रूपरेखा बताता है।

गत दो वर्ष न केवल सूखे, बाढ़ और आर्थिक गतिरोध के लिये कष्टकर रहे बल्कि वे घेराव और बंद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहे। घेराव और बंद का श्रेय तो विरोधी दलों को ही देना होगा। श्री गोपालन ने योजनाओं की निरर्थकता की ओर संकेत किया। परन्तु क्या कोई वास्तव में इस बात से इन्कार कर सकता है कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हुई है; मूल्य स्थिर हुये हैं और भुगतान संतुलन की स्थिति सुधरी है ? मैं श्री हेम बरुआ के इस कथन पर विस्मित हुए बिना भी नहीं रह सकता कि अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गये सरकार के प्रयत्नों की सराहना नहीं की जा सकती अनाज के अधिक उत्पादन के लिये वर्षा की तो आवश्यकता होती ही है। साथ ही सरकार ने अनाज के अधिक उत्पादन के लिये

एक नया उपाय अपनाया है। अधिक उपज वाले बीजों और उर्वरकों का प्रयोग दुहरा और तिहरा फसल लगाना सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और मूल्य नीति आदि इस उपाय में सम्मिलित हैं। वर्ष 1967-68 के तत्सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आनाज का उत्पादन बढ़ा है और उसका श्रेय सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों को है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार के प्रयत्नों के साथ लोगों के कड़े परिश्रम के मिलने से ही यह सफलता प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस नई चातुर्यपूर्ण योजना का लाभ केवल कुछ बड़े-बड़े किसान उठा रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार सहारनपुर में 5 एकड़ से कम वाले केवल दो व्यक्ति उसका लाभ उठाते और 25 एकड़ से उपर वाले 13 व्यक्ति उसका लाभ उठाते हैं और अमृतसर में यह अनुपात 1 और 26 है। इससे किसानों में विषमता बढ़ती जा रही है। अतः इस नई कृषि योजना को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि उसका लाभ सब लोगों को पहुँचता है। जिस योजना से छोटे किसानों को लाभ नहीं पहुँचता, इसका लाभ कुछ भी न होगा। देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं और उनमें से अधिकांश छोटे किसान हैं। जब तक इन लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकती।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चौथी पंचवर्षीय योजना का भी उल्लेख किया है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि अगर हमारी योजनाएं हमारे राष्ट्र की इच्छा और उसके दृढ़ निश्चय की तरजुमानी नहीं करतीं और लोगों की आवश्यकताओं और सुलभ संसाधनों के अन्तर को पूरा नहीं करतीं तो वे भविष्य की रूपरेखा मात्र बनकर रह जायेंगी। सरकार ने पक्का निश्चय कर लिया है कि वह अपनी बचत उद्यम और प्रबन्ध योग्यता के साधन जुटाने की पूरी कोशिश करेगी। मैं यह आशा करता हूँ कि योजना बनाने वाले योजना को वांछित दिशा में मोड़ेंगे। योजना का उद्देश्य विषमता को दूर करना होना चाहिये। योजना से निचले स्तर पर आय बढ़नी चाहिये और ऊपरी स्तर पर आय कम होनी चाहिये। महालनोबिस समिति के प्रतिवेदन के अनुसार हमारे यहां समाजिक ढांचे का निर्माण ठीक प्रकार नहीं हो पाया है। उसमें आय के वितरण में विद्यमान विषमता का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बताया गया है कि सरकार देश के एकीकृत आर्थिक विकास के प्रति जागरूक है। आर्थिक स्थिरता स्थिर राजनीतिक स्थिति से सम्बद्ध है। मुझे आशा है कि मध्यावधि चुनावों के बाद राज्यों में स्थायी सरकारें बनेंगी। इन चुनावों में जो गड़बड़ी हुई है जैसे कुछ लोगों या दलों द्वारा नागरिकों को अपनी ओट न डालने के लिये बाध्य करना आदि की जांच करने के लिये आयोग बैठाया जाना चाहिये और आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सरकार को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये।

गांधी जी की जन्म शताब्दी केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी मनाई जाती है। परन्तु जिस तरह से वह मनाई जा रही है मैं नहीं समझता

कि गांधी जी उसे पसन्द करते । जब वह जीवित थे तो वह अपने जन्म दिन को “चरखा जयन्ती” के नाम से पुकारना पसन्द करते थे । चरखा आर्थिक संगठन की एक विशेष किस्म का द्योगक है जो गांधी जी के अनुसार ऐसा होना चाहिये जिसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को खाने-पीने और वस्त्र के अभाव से कष्ट नहीं होना चाहिये । इसलिये हमें गांधी जी की जन्म शताब्दी मनाते समय भारत में मित्रता की भावना बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये । इसके लिये मैं दो कार्यक्रम बनाने का सुझाव देना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में नीचे के 20 प्रतिशत लोगों की दशा सुधारने का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये । दूसरे, आर्थिक क्रान्ति लाने के लिये उनकी न्यासव्यवस्था के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दिया जाना चाहिये । उनका यह मत था कि वह शक्ति जिसका दुरपयोग किया जा सकता है उस पर शक्ति से न कि अन्तरात्मा से नियंत्रण किया जा सकता है । गांधी जी समझाते थे कि सारी सम्पत्ति न्यास है । गांधी जी कहते थे कि यदि मालिक लोग न्यासव्यवस्था को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करते तो उसका परिवर्तन जनता की राय के दबाव से किया जाना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इसका पता तब ही चल जाता है जब उन्होंने राजप्रमुखों को भारतीय संघ से मिलने के लिये कहने से संकोच नहीं किया । समय का अभाव होने के कारण मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता । गांधीजी ने इस सिद्धान्त को श्री जी० डी० बिड़ला के माध्यम से भारतीय पूंजीपतियों को भी भेजा था । श्री बिड़ला ने तो उनके न्यायव्यवस्था के सिद्धान्त को 1929 में ही स्वीकार कर लिया था परन्तु बाद में उसे क्रियान्वित नहीं किया गया । इसकी पैरवी करने से पहले ही गांधीजी की हत्या कर दी गई थी । आज लगभग 20 वर्ष हो गये हैं जब गांधीजी ने श्री बिड़ला के माध्यम से पूंजीपतियों को विशेषाधिकार छोड़ने का नोटिस दिया था परन्तु उनके हृदय में कोई परिवर्तन आया दिखाई नहीं देता है । इसके अलावा उन्होंने विदेशी पूंजी की सहायता से लोगों का और शोषण करना आरम्भ कर दिया है । इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या जनता देश के ऐसे लोगों से जो गांधीजी की जन्म शताब्दी मनाने के बहुत इच्छुक हैं और जो उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं, यह आशा कर सकती है कि वे उनके दायित्व को पूरा करने का प्रयास करेंगे ।

Shri B. P. Mandal (Madhipura): The lacuna that we have found in the President's Address was that there was no special mention made in regard to the upliftment of Harijans even though they form in all about eighty per cent of the whole population. When we hear that at some places Harijans are burnt alive we fail to understand as to when the future of India will improve.

The educational facilities that are being provided to the children of Harijans and backward classes are not adequate.

I would also like to point out that one of the reasons of our having been slave for such a long period was that people were not provided educational facilities and were deprived of high posts.

The allocation of Harijans in services in the country as a whole and especially in Bihar is very low. This shows that 80 per cent of the people in the country are being given a cold shoulder.

If we look at the figures of labourers and agricultural labourers we find that the greatest number amongst them is that of Harijans but their condition is very miserable. In our country people suffer not only from economic exploitation but also from social exploitation. But I am sorry to say that no mention has been made in the President's Address in regard to them. I feel that our country cannot progress unless and until people of our country begin to disbelieve in casteism.

I feel that had Shri Ambedkar been not there amongst the framers of the Constitution the Harijans would have been totally neglected. He was of the view that exploitation of one man by the other in our country should end with the achievement of Independence. But, it is a matter of great regret that no attention is being paid towards it.

I would also like to draw the attention of the Hon. House towards the elections which have taken place recently. Before elections I had seen the Election Commissioner who had assured me that fair elections will be held in the country but I am sorry to say that the scenes that were created in Bihar during elections prove that democracy has failed in our country. In those elections I have seen that Presiding Officers had done a lot of mischief. I therefore feel that our Government is not yet in a position to hold elections in one single day. I also feel that the Presiding Officers of our country are not so able persons or perhaps proper arrangements are not made for their safeguard. With the result that riots take place here and there and people are not in a position to exercise their franchise freely and independently. It is a very bad thing that these things are happening in the President's rule. I therefore feel that if we are to maintain democracy in our country then such things must be put an end to. If this sort of atmosphere will continue in elections as it was in Bihar then no body would be in a position to fight elections without seeking the help of goondas. The more the goondas one will have the better position he will secure to control the booth.

Now I would like to suggest how elections could be executed fairly. I feel that a committee or commission should be set up for this purpose. It is not necessary for us to copy the West and do elections in one single day.

We know that China is expanding its nuclear power day by day. It is a country whom we cannot trust much. Therefore, I would like to know what steps India is taking to protect itself from nuclear attack?

At the end again I would like to say that our country cannot compete with other countries if social exploitation, casteism, etc. are not removed from here.

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : According to the recent survey made by World Bank the per capita income of India is Rs. 675 per year and the ranks 92nd in a list of 115 countries. The report further says that India ranks 22nd in per capita gross national product among 28 Asian countries. Thus in Asia also our number is 22nd. By looking at the statewise income we find that Rajasthan ranks only second to Bihar. Thus we find that India is very backward yet.

Unemployment also is increasing in our country day by day. The density of population in Rajasthan is about 92 whereas in Bengal and Kerala, where there are leftist Governments, it is about 400 and 350. I also admit that the increasing population is one of the factors responsible for it. But in frustration our young people think how to change the Government so as to get relief thereby. As far as Rajasthan is concerned there were 5 lakhs and 13 thousand unemployed persons there two years back and now their number has increased to 9 lakhs and 31 thousand. Thus I was making it out that Rajasthan is very backward in India and India is very backward in Asia what to speak of the world. Thus we should find out how to solve this problem.

It is a very strange thing that Committees and Commissions are appointed but the recommendations made by them are not implemented. The recommendations made by Mahajan Commission, Khosla Commission etc. have not been implemented which results in frustration amongst the concerned persons. I am therefore of the view that before appointing any commission the financial aspect must be kept before it. Thus this aspect also should not be lost sight of. A commission was appointed in Rajasthan. That commission had made very good recommendations but Rajasthan Government does not possess the necessary finances to implement those recommendations so steps are being taken to go on strike and Government is in a fix.

Similar Finance Commission has been appointed. I think a memorandum has been presented to it also. According to the news items the Finance Commission has severely criticised the extraordinary increase in the pay bills of Kerala Government. It was stated before the Finance Commission that Kerala Government had created 12,855 new posts during the last two or three years. Out of these 2,355 were Gazetted posts while 10,500 were non-Gazetted posts, which created an additional burden of Rs. 3 crores on the Government. Which shows that Government is increasing its expenditure while there are no resources with them. This creates troubles between the Central and State Governments. In this way how the relations between the Centre and State Governments can improve.

On the one hand we see that the engineers are not finding jobs and the employees are also getting retired at the age of 55. On the other hand we see that retirement age of I.C.S., I.A.S. and judges is being increased with the result that expenditure is increasing on the big officers and small employees are not getting even full pay. I think that there should be uniformity in the retirement age in all the categories. We should also keep this thing in view that our judges have become politicians. Shri Subbarao lost his post of Chief Justice because of politics and steps are being taken to enhance the retirement age of such persons. Thus there should be uniformity in the retirement age.

I feel that the Geological Survey department should be given more importance. The need of the hour is that instead of increasing the taxes we should make search for new sources. Copper is found in abundance in Rajasthan. But no survey has been made in regard to that. By making survey in this direction we can solve many problems. But in our country what is happening is that non-productive expenditure is increasing every now and then. The number of gazetted and non-gazetted employees is increasing very often. But no attention is paid for the development of sources.

Reports are printed that taxation should be liberalised but more and more taxes are being imposed which people do not like. Thus Government should find new sources of revenue.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रंगा राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर एक और संशोधन देना चाहते हैं। मैं उन्हें पूर्व सूचना न दिये जाने पर भी अनुमति दे रहा हूँ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये अर्थात् :—

“परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के औद्योगिक विकास का उल्लेख करते हुये, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये प्रस्तावित कार्य-वाही के बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया।” (558)

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश के भागों में दंगे करने की प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया है इससे यह प्रतीत होता है कि राष्ट्र के टुकड़े-टुकड़े करने के लक्षण दिखाई देते हैं। शिव सेना की तरह के कई संगठन देश में काम कर रहे हैं। बम्बई में विशेषकर अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत घृणा दिखाई गई है। वहां पर बहुत से स्थानों पर आग लगाई गई थी और लूटमार की गई थी। जहां तक कि 50 से अधिक लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। मैं समझता हूँ कि ये घटनायें सरकार तथा विशेषकर गृह-कार्य मंत्री की भूल का नतीजा है। मैसूर सरकार इस मसले को पुनः बिल्कुल नहीं उठाना चाहती थी परन्तु उनकी प्रार्थना पर ध्यान न देकर एक आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग की नियुक्ति के समय महाराष्ट्र और मैसूर दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने आश्वासन दिये थे परन्तु जब आयोग ने प्रतिवेदन दिया तो उन्होंने अपने बचन वापिस ले लिये। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि सरकार ने इस प्रतिवेदन को लगभग दो वर्ष तक सामने क्यों नहीं आने दिया। शिव सेना को प्रोत्साहन देकर भी सरकार ने भूल की है।

मैं मैसूर के लोगों की ओर से यह कह रहा हूँ कि वे चाहते हैं कि सरकार महाजन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करे। यदि उसमें किसी भी प्रकार की अदला-बदली की गई तो उसे सहन नहीं किया जायेगा। आखिरकार मैसूर के लोगों का भी आत्म-सम्मान है। वे भी बहादुर हैं बुजदिल नहीं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कोई और रास्ता अपनाकर उन्हें इस मामले को और जटिल नहीं बनाना चाहिये।

इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये कि हम इन उग्रवादी संगठनों को किस हद तक काम करने की अनुमति दे सकते हैं। वे तो कुछ समय बाद राष्ट्र को छिन्न-भिन्न कर देंगे।

अल्पसंख्यकों पर हमलों को रोकना तथा उनकी रक्षा करना जरूरी है। सरकार इसके लिये क्या उपाय करेगी।

श्री कृपालानी ने अभी कहा है कि भावनात्मक एकता केवल भावुकता से ही नहीं प्राप्त की जा सकती है। वह तो कानून के द्वारा लाई जानी चाहिये। क्या बम्बई में कोई कानून तथा

व्यवस्था थी ? महाराष्ट्र सरकार की उनके साथ सहानुभूति है । इस संगठन का जन्म उस समय हुआ था जब श्री चव्हाण बम्बई के मुख्य मंत्री थे । उन्होंने ही इस संगठन को जिन्दा रखा है । यदि ऐसी घटनाएं जारी रहती हैं तो सरकार को बम्बई नगर को एक केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

राज्य पुनर्गठन आयोग और महाजन आयोग ने बेलगाम नगर को मैसूर में मिलाए जाने की सिफारिश की है । यह ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश है जिनका मैसूर से कोई सम्बन्ध नहीं है और जो काफी बड़े आदमी हैं । इसलिये उनकी राय का आदर किया जाना चाहिये । महाराष्ट्र सरकार का इस बारे में रवैया उचित नहीं है ।

शिव सेना के इस आन्दोलन से मैसूर वालों को ही अधिक क्षति पहुंची है । इसलिये उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिये ।

महाराष्ट्र और मैसूर के बीच कृष्णा-गोदावरी जल विवाद इतने अधिक समय से चला आ रहा है । मैसूर सरकार 10 वर्ष से भारत सरकार से एक न्यायाधिकरण नियुक्त करने की मांग करती रही है । दो वर्ष बीत चुके हैं परन्तु अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । डा० के० एल० राव दो न्यायाधिकरणों को नियुक्त करके इस मामले को पेंचीदा बनाना चाहते हैं । वे समय गुजारने की फिकर में हैं जिससे कि नागार्जुनसागर का दूसरा चरण पूरा हो जाये ।

भारत इलैक्ट्रानिक्स और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का विस्तार वहीं पर होना चाहिये जहां ये मूल कारखाने हैं । अन्यथा उन्हें किसी अन्य जगह स्थापित करने से उनसे लाभ की बजाय हानि ही होगी ।

गृह मंत्री को शिव सेना की गतिविधियों के बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिये और इस बारे में कड़ाई से काम लिया जाना चाहिये ।

उत्तर कोरिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात**

EXPORT OF MANGANESE ORE TO NORTH KOREA**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : भारत का व्यापार एक और देश के साथ होना शुरू हुआ है । चीनी आक्रमण के समय उस देश के साथ व्यापार स्थगित कर दिया गया था क्योंकि वह चीन का निकट मित्र था । 1967-68 में भारत ने उत्तर कोरिया को 10,000 टन मैंगनीज अयस्क निर्यात किया था । उत्तर कोरिया के साथ व्यापार करने में कई आपत्तियां हैं । एक यह है कि भारत को एक ऐसे देश के साथ व्यापार शुरू करने की आवश्यकता क्यों हुई जो हमारे शत्रु का हमदर्द हो ।

**आधे घंटे की चर्चा ।

**Half-an-Hour Discussion

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]
Shri Vasudevan Nair in the Chair

दूसरे हमें करार की शर्तों आदि से कुछ सन्देह होता है। अतारांकित प्रश्न 1 के उत्तर के आधार पर इस चर्चा को उठाया गया है।

यह प्रश्न इस प्रकार था :

“(क) क्या उत्तर कोरिया को मैंगनीज अयस्क के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना मैंगनीज अयस्क निर्यात किया जायेगा और किस मूल्य पर; और

(ग) यह मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में कैसा है ?”

उत्तर यह था :

“(क) जी हां।

(ख) और (ग). अभी करार नहीं किये गये हैं।” यह उत्तर 18 फरवरी, 1969 को दिया गया था और निर्यात की पहली किस्त 10,000 टन मैंगनीज अयस्क—अक्टूबर 1968 में भेजी गई। मेरी समझ में नहीं आता कि करार की शर्तें जाने बिना कोई सरकार या संस्था कैसे माल भेज सकती है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : यह इस वर्ष के बारे में है। वह पिछले वर्ष के बारे में था।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह 1968-69 के बारे में है। जहां तक मैं समझता हूँ सभी संबंधित सरकारों का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

हम उत्तर कोरिया के साथ रुपये में भुगतान के आधार पर व्यापार कर रहे हैं। उत्तर कोरिया भारत से आयात करके हम पर कोई अहसान नहीं कर रहा है अपितु यहां से आयात करने से उसे भाड़े में काफी बचत होती है क्योंकि भारत उत्तर कोरिया के काफी निकट है। इसके बावजूद भी भारत ने उससे रुपये के भुगतान के आधार पर व्यापार करना उचित समझा, जबकि उत्तर कोरिया अन्य देशों से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में इन वस्तुओं का आयात करता है।

पूर्वी यूरोप के देशों के साथ रुपये में भुगतान पर आधारित करारों से हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ी हानि पहुंची है। एक तो इन करारों से हमें आयात बहुत महंगा पड़ता है। इनमें से अधिकतर परम्परागत वस्तुओं के परम्परागत बाजार खत्म से होते जा रहे हैं और इन वस्तुओं की बदनामी हुई है। इस बुरे अनुभव के बाद भी सरकार ने एक और देश के साथ रुपये में भुगतान के आधार पर करार करना उचित समझा।

जहां तक मुझे मालूम हुआ है एक विशिष्ट करार के अन्तर्गत उत्तर कोरिया को हमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर विभिन्न अलौह धातुओं का निर्यात करना था। परन्तु उत्तर कोरिया ने अब तक इस करार का पालन नहीं किया है। इसके बावजूद मंत्री महोदय ने बताया है कि एक और करार होने वाला है। हमें इसके बारे में पहली बार 1 फरवरी के "मार्च आफ दि नेशन" के संस्करण से पता चला था। उसमें कहा गया था कि भारत 30,000 टन मैंगनीज अयस्क और निर्यात करेगा। इस जानकारी के आधार पर ही और प्रश्न उठाए गये हैं।

मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि भुगतान की शर्तें क्या हैं, पीछे जो 10,000 टन मैंगनीज अयस्क निर्यात किया गया था उसके बदले में किन वस्तुओं का आयात किया गया है और किन शर्तों पर और यदि आयात नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं? उस अवस्था में जब हमने अधिक मूल्य का निर्यात किया हो और आयात कम मूल्य का हुआ हो तो क्या उत्तर कोरिया शेष राशि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में देगा? या यह राशि उनके पास तब तक रुकी रहेगी जब तक हम उत्तर कोरिया से किसी वस्तु का उनकी सुविधा वाले मूल्य पर आयात करने के लिये तैयार न हो जायें? इन प्रश्नों का सही-सही उत्तर दिया जाना चाहिये और यदि उत्तर संतोषजनक न हो तो इन करारों को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

क्या सरकार ने इस बारे में अपनी तसल्ली कर ली है कि यह मैंगनीज अयस्क वहां से चीन नहीं भेजा जायेगा?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने जिस उत्तर की ओर निर्देश किया है वह चालू वर्ष के बारे में था। यह सच है कि 1968 में मैंगनीज अयस्क 185 रुपये एफ० ओ० बी० प्रति टन की दर से निर्यात किया गया था। यह 46.48 ग्रेड के मैंगनीज अयस्क के लिये था।

यह प्रश्न उठाया गया है कि हमने चीन के एक मित्र देश के साथ व्यापार करार क्यों किया है। उत्तर कोरिया के साथ रुपये में भुगतान के आधार पर व्यवस्था 1961 से चालू थी जब पहली बार व्यापार करार किया गया था। यह नया व्यापार करार नहीं है। इसे 1962 में स्थगित कर दिया गया था। हमारे दक्षिण तथा उत्तर कोरिया दोनों के साथ व्यापार सम्बन्ध है। दक्षिण कोरिया के साथ हमारे व्यापक व्यापार सम्बन्ध हैं और मेरी राय में माननीय सदस्य को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह उत्तर कोरिया के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने में कोई हानि नहीं है। अनेक देशों के जो राजनीतिक मामलों में चीन से आंख से आंख नहीं मिलाते स्वयं चीन के साथ विस्तृत व्यापार सम्बन्ध हैं; चीन का मित्र होने की बात तो दूर रही। भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले देशों से व्यापार सम्बन्ध स्थापित न करना हमारे वाणिज्यिक हित में नहीं है।

मैंगनीज अयस्क को सामरिक महत्व की धातु नहीं समझा जाता है। इसलिये यह उस श्रेणी में नहीं आता कि इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना पड़े। अमरीका तथा अन्य अनेक देशों में यही प्रथा है।

मैंगनीज अयस्क के बाजार में बड़ी होड़ है। स्वयं माननीय सदस्य ने आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों का उल्लेख किया है। इसलिये अपने निर्यात को बनाए रखने तथा विदेशी मुद्रा कमाने के लिये हमें इसके निर्यात को कम नहीं होने देना चाहिए। हमें नए-नए बाजारों का पता लगाना है और इसलिये अपने वाणिज्यिक हित में इस धातु को व्यापार करार में शामिल करना जरूरी है।

माननीय सदस्य ने इस मैंगनीज अयस्क के चीन पहुंचने के खतरे की ओर संकेत किया है। चीन में मैंगनीज अयस्क पैदा होता है। फिर भी ऐसे सभी करारों में पुनर्निर्यात के बारे में एक खण्ड होता है। ये वस्तुएं किसी तीसरे देश को पुनः निर्यात नहीं की जा सकतीं। उत्तर कोरिया में इस्पात उद्योग काफी तरक्की पर है। इसलिये इसे चीन को निर्यात किये जाने की संभावना बहुत ही कम है विशेषकर जबकि चीन में इसका काफी मात्रा में उत्पादन होता है। फिर भी थोड़ी बहुत संभावना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

जहां तक उत्तर कोरिया से आयात का प्रश्न है, करार के अनुसार हम वहां से, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, अलौह धातुएं, मिश्रित इस्पात या हाई-स्पीड इस्पात आदि आयात कर सकते हैं। परन्तु अभी तक कोई आयात नहीं किया गया है। हमें जिन वस्तुओं की जरूरत है हम उनका शीघ्र ही आयात करेंगे। पैसा कहीं भागा नहीं जाता। उसका इस्तेमाल होगा। माननीय सदस्य तो जानते ही हैं कि रुपये में भुगतान के आधार पर व्यापार कैसे चलता है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या उस पर ब्याज मिलता है ?

श्री ब० रा० भगत : इसके बारे में मुझे कागजात देखने पड़ेंगे।

माननीय सदस्य का उद्देश्य मैं समझ गया हूं। उन वस्तुओं के आयात के प्रश्न पर जिनकी हमें आवश्यकता है अवश्य ही विचार किया जायेगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : उत्तर कोरिया परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भी मैंगनीज अयस्क खरीद सकता था। उस देश से हमने रुपये में भुगतान के आधार पर करार क्यों किया ? इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि अक्टूबर, 1968 के निर्यात के बदले हमने कोई आयात नहीं किया है। इसका अर्थ है कि हमारा सारा रुपया रुका पड़ा है तथा हम इस बात के लिये बाध्य हैं कि हम उनकी इच्छा के अनुसार उन्हीं द्वारा निर्धारित मूल्यों पर माल खरीदें।

श्री ब० रा० भगत : कुछ देशों से हमारा व्यापार रुपयों में होता है तथा कुछ देशों से विदेशी मुद्रा में यह तो सुविधा की बात है। यहां तो यह देखना होता है किस माध्यम से हम अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। और हम समझते हैं कि रुपये के माध्यम के बिना हम अपना व्यापार इस देश से नहीं बढ़ा सकते थे। खैर रुपये के माध्यम से व्यापार करने के लाभ और हानि के बारे में

तो हम अलग से विचार कर लेंगे। वैसे विदेशी मुद्रा देने वाले देशों के साथ व्यापार में हमें घाटा हो रहा है जबकि रुपये के माध्यम से व्यापार करने में हमारा व्यापार संतुलित रहता है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : North Korea is a country which openly sided with our enemy and hostile country China. But still we are having a trade agreement with her under Russian pressure. Besides this, no publicity was given about the arrival of North Korean trade delegation. So it is a sort of mysterious trade agreement which amounts to be a political decision. Manganese is certainly a very strategic material and I want to know whether the Government have ensured any guarantee under this trade agreement that China will not get any advantage out of this deal for manganese, which is used in making steel?

My second point is that although the Hon. Minister claims that no political consideration is kept in mind while executing a trade agreement still our Government is not prepared to have any trade with Israel who has never been hostile to us and who is always willing to help us in technical know how and other things, whereas we under the pressure of Russia, are having trade agreements with North Korea, who openly sided with our enemy China; I want to know how much manganese, and other things also, have we exported to North Korea since we resumed our trade with her?

Shri George Fernandes (Bombay South) : The Hon. Minister has stated that in India the annual production of manganese ore is more than 10 lakh tons whereas China also produces 10 lakh tons. He might also be aware that China produces four or five times the quantity of steel produced by us. It is, however, possible that either their production is of a lower quality or it is not sufficient for their requirements. So, he should be clear in his mind about it. I want to know whether you received any offer of supply of goods from some other source while you were holding talks with the North Korean trade delegation here in November last? How far it is true that the Koreans offered to send those goods to India which we either produce ourselves or which we do not need at all? You may also specifically answer the point, on the basis of your own information or as per the information obtained from internal or outside source that this trade of ours with North Korea would not in any way benefit China.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : My first question is whether the trade agreement with North Korea, prior to 1962, was on rupee payment basis and if so, what benefits could we get in regard to foreign exchange which we are not getting now? What convenience did we have before 1962? Secondly, you are not using this rupee fund and the money is lying blocked. May I know whether you are taking steps to convert this rupee payment into roubles so as to boost your trade?

Thirdly, from this deal with Korea, can we take that it is a source of having a dialogue with China in regard to trade and diplomatic relations?

श्री श्रीचन्द्र गोयल (चण्डीगढ़) : मंत्री महोदय ने कहा है कि ये व्यापारिक समझौते हम केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से करते हैं राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं। फरवरी 1967 में हमने पूर्व जर्मनी को 10,000 टन मैंगनीज अयस्क सप्लाई करने का समझौता किया। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह समझौता सफल नहीं हुआ और क्या इसी कारण यह व्यापार फिर उत्तर कोरिया

यह व्यापार फिर उत्तर कोरिया की ओर चल पड़ा ? दूसरे, क्या अमरीका और जापान को मैंगनीज अयस्क बेचने के हमारे प्रयत्न गत वर्ष सफल हुए ?

तीसरे क्या सरकार मैंगनीज अयस्क की उत्पादन लागत को घटाने का गम्भीरता से प्रयत्न कर रही है ताकि हम अपने निर्यात को 8 करोड़ रुपये के मूल्य तक बढ़ा सकें ?

Shri B. R. Bhagat : To answer the last point first ; our total export of manganese ore in 1968 to all the countries was of the value of Rs. 11.7 crores. In regard to a decision being political or Commercial these days it is not possible to separate a commercial decision from the political relations. But it is not correct to say that we are under Soviet pressure in this behalf. So many western countries are trading with China, is it all under some political pressure ?

I was saying that we had been having a rupee trade for convenience sake. It has been going on for the last 10-12 years. And we believe that we could not have more trade without rupee payment.

So far as checking of re-export, nothing can be guaranteed fully ; but the terms and conditions settled between the two countries will however be protected. Clause No. 11 says :—

“The commodities exchanged between the two parties shall be for consumption in their respective countries and shall not be re-exported.”

But no guarantee can be ensured for steel products.

As regards items of export, we have 17 items which include alloy, steel and non-ferrous metals, etc. We have sold an additional quantity of about 10,000 tons of manganese to them and we hope for a better mutual trade. There is nothing to worry.

सभापति महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 25 फरवरी, 1969/6 फाल्गुन, 1890 (शक) के
11 बजे तक के लिए स्थगित हुई

**The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday,
February 25, 1969/ Phalguna 6, 1890 (Saka)**